खण्ड-209, अंक-9
मंगलवार, 4 फाल्गुन, शक संवत् 1881
(23 फरवरी, 1960 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 209 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६०

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २३ फरवरी, १९६०

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३४४

अक्षयवर्सिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
ग़रीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री

गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
जुगुलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दुर्योधन, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
प्रतापबहादुर सिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाश सिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री

बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्भरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भूपकिशोर , श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री

मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुर सिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री

रामदीन, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावत, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुधामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री

सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

मंगलवार २३ फरवरी, १९६०

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

ऋण लेने के सम्बन्ध में राज्य सरकार को रिजर्व बैंक आफ इंडिया की सलाह

१--श्री प्रतापसिंह** (जिला नैनीताल)--क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने यह कहा है कि प्रदेशीय सरकार को अब कर्जे के मार्केट में नहीं आना चाहिये ?

वित्त मंत्री के सभा-सचिव (श्री महमूद अली खां)--राज्य सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

श्री प्रतापसिंह--क्या माननीय मंत्री जी राज्य सरकार की उस एजेन्सी को बताने की कृपा करेंगे जिसकी सूचना देने पर यह जवाब दिया गया कि उनको इसकी कोई सूचना नहीं है जबकि गवर्नमेंट आफ उत्तर प्रदेश को एनुअल डेवलपमेंट प्लान के पेज ७ पर यह एडवाइस दी गई है कि,

"On the other hand, the State Government has been advised by the Reserve Bank of India that the Government should refrain from going into the market this year for loans."?

वित्त मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)--मुझे मालूम नहीं है यह किस जमाने की रिपोर्ट आप पढ़ रहे हैं। अगर इस किस्म की एडवाइस होती तो जरूर किया जाता।

श्री प्रतापसिंह--यह १९५७-५८ की रिपोर्ट है।

श्री अध्यक्ष--जिस जमाने के विषय में आपने पूछा है उसका उन्होंने जवाब दिया है। यह पहले की बात होगी जो आप पूछ रहे हैं। उसके लिये उन्होंने कह दिया कि उनको सूचना नहीं है। जिस जमाने की बात आप कह रहे हैं इस रिपोर्ट के अनुसार उस साल के लिये उनको एडवाइस होगी कि वह मार्केट में न जायं और उस साल वह नहीं गये होंगे।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ५७-५८ में जब कि वह वित्त मन्त्री थे तो क्या तब भी उनको सूचना नहीं थी ?

श्री अध्यक्ष--आपका तो एक जनरल क्वेश्चन था कि १९५९-६० में यह सरकार को एडवाइस थी या नहीं, लेकिन रिपोर्ट ५७-५८ की है और तब के लिये सरकार से कहा गया कि उसको मार्केट में नहीं आना चाहिये। उस वक्त की हालत के बारे में उनका प्रश्न था जो उनको मालूम नहीं है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या माननीय वित्त मंत्री जी को यह मालूम है कि ५७-५८ में रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने यह बात कही थी कि यू० पी० सरकार को कर्जे के लिये मार्केट में नहीं जाना चाहिये ?

श्री सैयद अली जहीर--रिपोर्ट में चाहे जो कुछ लिखा जाय लेकिन स्टेट गवर्नमेंट तब ही मार्केट में जाती है जब कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया उनको एडवाइस करता है और कहता है कि तुम मार्केट में जाओ, इतना कर्जा लो, इस सूद पर कर्जा लो और इस तारीख तक। यह सब बातें वह निश्चित कर देते हैं सारे हिन्दुस्तान के लिये और हरएक स्टेट के लिये कि फलां तारीख तक यह लोन उठाना होगा। इस तरह की हमको सूचना होती है। उनको हम अपनी एडवाइस नहीं देते हैं और न हम कोई तारीख रखते हैं। जब वे हमको इजाजत देते हैं तब हम कर्जा लेते हैं। हमको इजाजत नहीं देते तो हम कर्जा नहीं लेते हैं। रिपोर्ट में क्या लिखा है इससे हमको सरोकार नहीं हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि रिजर्व बैंक ने जो लेटेस्ट एडवाइस गवर्नमेंट को दी है वह कितना कर्ज लेने के लिये और किस रेट आफ इंटरेस्ट पर है ?

श्री सैयद अली जहीर--जो उनकी गुजिश्ता ऐडवाइस थी उस पर काम हो चुका। उसका हमने एलान किया और उसकी डेट भी एनाउन्स कर दी। अब आइन्दा जो उनकी एडवाइस आयेगी तो उस पर हम अमल करेंगे। इस वक्त कोई ऐडवाइस उनकी हमारे पास नहीं है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न।]

करवी में गोस्वामी तुलसीदास का स्मारक बनाने का आयोजन

*१--**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने गोस्वामी तुलसीदास जी की स्मारक समिति से करवी (जिला बांदा) में गोस्वामी जी का स्मारक भवन आदि बनवाने के लिये कोई रकम अपने पास जमा करवाई है ? यदि हां, तो कितनी व कब ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री के सभा-सचिव (श्री धर्मसिंह)--जी हां, समिति ने अब तक एक लाख रुपया पचास-पचास हजार की दो किस्तों में १०-७-५८ तथा २९-२-५९ को जमा किया है।

*२--**श्री लक्ष्मणराव कदम**--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उसने भी उक्त स्मारक के लिये कोई अनुदान दिया है अथवा देने का विचार कर रही है ?

श्री धर्मसिंह--सरकार ने कोई अनुदान नहीं दिया है।

*३--**श्री लक्ष्मणराव कदम**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त स्मारक की तामीर वह अपने निर्माण विभाग के अधिकारियों की देख रेख में फ्री करा रही है ? यदि नहीं, तो उसने उक्त समिति से उसके charges स्वरूप कितना रुपया किस रेट से जमा करा लिया है ?

श्री धर्मसिंह---उक्त स्मारक का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों की देख रेख में किया जा रहा है और इसके लिये नियमानुसार १२ प्रतिशत की दर से प्रतिशत परिव्यय (centage charges) लिया जा रहा है।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---जो स्मारक बन रहा है उसकी रूपरेखा क्या है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)---उसका एक खास किस्म का नकशा है और वह बनाया जा रहा है। अगर आपको समय और रुचि हो तो उसे आप देख सकते हैं।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि स्मारक का निर्माण कार्य ठेकेदारों द्वारा अथवा विभाग द्वारा कराया जा रहा है और वह कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री गिरधारीलाल---यह काम इस विभाग द्वारा कराया जा रहा है और जितना रुपया मिला था वह करीब-करीब सब खत्म हो गया है और जैसे-जैसे रुपया आता जायगा उस हिसाब से काम चलेगा। अभी पूरा रुपया नहीं आया है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि स्मारक का कोई तखमीना बना है और क्या वह १ लाख रुपये से ज्यादा है ?

श्री धर्मसिंह---जो तखमीना फिलहाल अब तक बना है वह २,८१,५०० रुपये का है।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि एक लाख रुपया जो जमा हुआ था वह चन्दे के द्वारा जमा हुआ था अथवा किसी और सोर्स द्वारा जमा हुआ था ?

श्री धर्मसिंह---जहां तक सरकार का सम्बन्ध है उसको मालूम नहीं है, लेकिन इसके लिये एक कमेटी बनी हुई है और इसका आपको पता होगा।

श्री लक्ष्मणराव कदम---जब माननीय मंत्री जी इसके लिये सुपरवीजन चार्जेज ले रहे हैं तो क्या वह एक लाख रुपये का व्याज देने को भी कृपा करेंगे ?

श्री गिरधारीलाल---१ लाख रुपये का व्याज देने की कोई बात नहीं है। जितना रुपया मिला है उतना काम भी साथ-साथ हो गया।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास स्मारक भवन का जो इस्टीमेट है वह मंत्री जी के कथनानुसार २ लाख ८१ हजार रुपये का है और समिति ने कुल १ लाख रुपया दिया है जो खर्च हो चुका है ? तो क्या सरकार शेष रुपया अनुदान के रूप में देने की कृपा करेगी अन्यथा कहां से यह बाकी रुपया आयेगा इसकी कोई व्यवस्था है ?

श्री गिरधारीलाल---वह समिति ही इस रुपये को देगी।

श्री मदन पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो स्मारक बनाया जा रहा है उसमें तुसलोदास जी द्वारा जो ग्रंथ, निर्मित किये गये हैं वह जनता को सस्ते में सुलभ हो सकें इसकी भी कोई व्यवस्था की गयी है ?

श्री धर्मसिंह---इसका सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह तो उस समिति पर निर्भर करता है।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या स्मारक समिति ने सरकार से इस बात की सिफारिश की है कि वह भी इस स्मारक में अनुदान के रूप में कुछ दे ?

श्री धर्मसिंह—जी नहीं, एक प्रार्थना-पत्र जरूर आया था कि जिसमें जो सुपर-वीजन चार्जेज थे उनको वेव करने के लिये प्रार्थना की गयी थी और यह बाद में आया और इस पर सरकार विचार कर रही है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या समिति के कुछ अधिकारियों ने माननीय मंत्री जी से यह निवेदन किया था कि कोई निश्चित रकम स्मारक बनाने के लिये वह दें ?

श्री अध्यक्ष—वह तो उन्होंने बता दिया।

*४-६—श्री प्रतापसिंह तथा श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—[हटा दिये गये।]

रामगंगा बांध का अनुमानित व्यय

*७—श्री रामस्वरूप वर्मा तथा श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामगंगा बांध का अनुमानित व्यय क्या है और वह तृतीय पंचवर्षीय योजना में बनकर तैयार होगा या नहीं ?

श्री धर्मसिंह—रामगंगा बांध का अनुमानित व्यय ३९·८३ करोड़ रुपया है। अभी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि यह कब बन कर तैयार होगा।

*८—श्री रामस्वरूप वर्मा तथा श्री देवकीनन्दन विभव—उक्त बांध में कितने क्यूसेस पानी सिंचाई के लिये मिलेगा और कितने किलोवाट बिजली प्राप्त हो सकेगी ?

श्री धर्मसिंह—औसतन ३,६२० क्यूसेस पानी सिंचाई के लिये मिलेगा।

लगभग ३६ करोड़ किलोवाट हार्सपावर (K.W.H.) बिजली प्रतिवर्ष उत्पन्न की जायगी।

*९—श्री रामस्वरूप वर्मा तथा श्री देवकीनन्दन विभव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रामगंगा बांध का उपर्युक्त अनुमानित व्यय सही नहीं है वरन् सही व्यय इससे ड्योढ़े से अधिक है ?

श्री धर्मसिंह—प्रश्न संख्या ७ के उत्तर में दिया गया अनुमानित व्यय सही है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह जो ३९.८३ करोड़ रुपया इसमें है काम का, उसमें विद्युत स्थापना पर और उसके ट्रांस्मिशन पर कितना लगेगा और बांध में और उसकी नहर बनाने में अलग-अलग कितना लगेगा ?

श्री धर्मसिंह—फिलहाल हमारे पास जो एस्टीमेट है उसके आधार पर २२.४१ करोड़ रुपया तो सिंचाई के भाग के ऊपर लगेगा और जहां तक विद्युत के भाग का सम्बन्ध है उस पर १७.४२ करोड़ रुपया लगेगा। कितना ट्रांस्मिशन लाइन्स में खर्च होगा, इसके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या मंत्री जी बता सकेंगे कि इसमें उनको कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी ?

श्री धर्मसिंह—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो नहर डिजाइन की जायगी यह पूरे वर्ष चलेगी और कितना क्षेत्रफल यह सिंचित करेगी ?

श्री धर्मसिंह—जैसा मैंने निवेदन किया इतना पानी होगा जैसा कि प्रश्न के उत्तर में कहा गया है और साल भर तक ही चलेगी।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो ३९·८३ करोड़ का अनुमानित एस्टीमेट है यह कब तैयार हुआ?

श्री धर्मसिंह—शुरूआत में जहां तक इस योजना का सम्बन्ध है कुछ एस्टीमेट १९५५ में हुए थे, उसके बाद उसमें तबदीलियां हुईं और यह जो ३९.८३ करोड़ रुपये का है यह १९५८ के बाद हुआ है।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि रामगंगा योजना के, वह कहते हैं कि, समाप्त होने का समय मालूम नहीं है, लेकिन वह कब से शुरू हुई और कितन कार्य हो चुका है?

श्री धर्मसिंह—इस प्रोजेक्ट के निर्माण का जहां तक सम्बन्ध है, १९५६ में प्रारम्भ हुआ कार्य और ३ वर्षों तक चलता रहा है। फिर कुछ दिक्कत आयीं। अब यह गवर्नमेंट आफ इंडिया को गया हुआ है, एस्टीमेट इसका तैयार हो रहा है।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि रामगंगा बांध से लोअर गेंजेज कैनाल को भी अधिक पानी मिला करेगा?

श्री धर्मसिंह—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री रामस्वरुप वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसकी इन्सटालेशन कैपेसिटी कितनी होगी?

श्री धर्मसिंह—एक लाख पांच हजार किलोवाट होगी।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि माताटीला बांध का जितना एस्टीमेट था वह बढ़ गया है, आइन्दा एस्टीमेट्स वगैरा का कार्य ऐसे इंजीनियरों को सौंपा जायेगा जिनका रिटायर होने का समय १० वर्ष रह गया हो ताकि एस्टीमेट बढ़ न सके?

श्री धर्मसिंह—इसकी आवश्यकता नहीं है। विभाग के जो इंजीनियर्स हैं वे ही इस कार्य को करेंगे।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे, जैसा कि उन्होंने कहा कि ३ साल बनने के बाद उसमें कुछ बाधायें, गड़बड़ी पैदा हो गयी, तो वे क्या बाधायें हैं जिनके लिये केन्द्रीय सरकार के पास जाना पड़ा?

श्री गिरधारीलाल—बाधायें इसमें कई प्रकार की आईं। पहली बाधा तो फारेन एक्सचेंज की थी, इसके अलावा फाइनेन्शियल स्ट्रिन्जेन्सी की भी थी, यही कारण थे कि जिनकी वजह से काम धीमा कर दिया गया था।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन बाधाओं के दूर होने के बाद यह कार्य आरम्भ कब से हो जायेगा?

श्री गिरधारीलाल—अब बाधायें करीब-करीब दूर हो गयी हैं जैसा कि माननीय वित्त मंत्री के बजट भाषण के अन्दर भी इसका उल्लेख है। अब इस वर्ष में काम आरम्भ हो जायेगा।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि इस प्रोजेक्ट पर अब तक कितना धन व्यय हो चुका है?

श्री धर्मसिंह—१०३.०१ लाख रुपये का व्यय हो चुका है।

*१०—श्री गोविन्दसिंह विष्ट—[१० मार्च, १९६० के लिये प्रश्न ४ के अन्तर्गत स्थगित किया गया।]

आजमगढ़ की बाढ़ से सुरक्षा के लिये बांध निर्माण योजना

*११—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ नगर की बाढ़ से सुरक्षा के लिये कोई बांध बनाने की योजना सरकार के विचारधीन है ?

श्री धर्मसिंह—आजमगढ़ जिले के पूर्वी तरफ एक बांध बनाने की योजना सरकार ने ३ लाख ५० हजार रु० की लागत पर स्वीकृत की है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस धनराशि की स्वीकृति कब हुई थी और क्या इस बांध का कार्य आरम्भ हो गया है ?

श्री धर्मसिंह—इसकी स्वीकृति नवम्बर, १९५९ में दी जा चुकी थी। टेन्डर्स मांग लिये गये हैं। जब टेन्डर्स मांग लिये जाते हैं, तब समझिये कि काम शुरू हो गया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—इस बांध के बन जाने से आजमगढ़ जिले की कितनी जमीन की रक्षा हो सकेगी ?

श्री धर्मसिंह—डेढ़ मील के करीब जो जमीन है उसकी रक्षा हो सकेगी। इसके आसपास जो आबादी होगी उसकी भी रक्षा हो सकेगी।

श्री शिवप्रसाद नागर—जो धन की स्वीकृति हुई है उसके लिये क्या कोई एस्टीमेट सरकार के सामने आया था या ऐटरैन्डम इसको स्वीकार कर दिया गया है ?

श्री धर्मसिंह—ऐटरैंडम स्वीकृति नहीं होती है। पहले सर्वे वगैरह किया जाता है। फिर चीफ इंजीनियर सरकार के पास एस्टीमेट भेजता है।

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह बांध अब की बरसात के पहले बनकर तैयार हो जायेगा ?

श्री धर्मसिंह—कोशिश की जायेगी।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि एक छोटा-सा बांध पहले से वहां पर बना हुआ भी है आजमगढ़ की सुरक्षा के लिये, तो क्या उस बांध को तोड़ कर यह दूसरा बांध बनाया जायेगा, या उसके अलावा यह बांध बनाया जायेगा ?

श्री धर्मसिंह—पहले से भी बना हुआ है। जो बांध पहले से बना हुआ है वह वैसा ही रहेगा, उसे नहीं तोड़ा जायेगा। वह पहली स्कीम थी, यह दूसरी स्कीम है। यह उसी का दूसरा हिस्सा है।

[२३ फरवरी, १९६० के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

टी० सी० एम० प्रोग्राम के अन्तर्गत सिंचाई विभाग के अधिकारियों का अमेरिका जाना

*१—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग के कितने अधिकारियों को वित्तीय वर्ष १९५९–६० में टी० सी० एम० प्रोग्राम के अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका उच्च प्रशिक्षण प्राप्त करने के हेतु भेजा गया है ?

श्री धर्मसिंह—वित्तीय वर्ष १९५९–६० में सिंचाई विभाग के तीन अधिकारी संयुक्त राज्य अमेरिका टी० सी० एम० प्रोग्राम के अन्तर्गत technical training प्राप्त करने के हेतु भेजे गये हैं।

*२—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भेजे गये अधिकारियों का चुनाव करते समय प्राथमिकता किस बात की दी गई है ?

श्री धर्मसिंह—उक्त अधिकारियों का चुनाव, उनके उच्च academic career के कारण, व्यवहार में लाने योग्य अनुभव (practical experience) प्राप्त करने के लिये किया गया है, ताकि वापस आने पर वे प्रदेशीय सरकार की कम से कम पांच साल तक विशेष projects पर (जिनके लिये वह sponsor किये गये) सेवा करें। इन लोगों का एक शास्त्रीय उपाधि (academic degree) प्राप्त करने के लिये चुनाव नहीं हुआ है।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या यह सही है कि उक्त प्रोग्राम के अन्तर्गत चुनाव भारत सरकार ने किया था और दो ही व्यक्तियों का चुनाव हुआ था ?

श्री धर्मसिंह—जहां तक तीन व्यक्तियों के भेजने का सम्बन्ध है, एक का चुनाव अमरीका के द्वारा हुआ था जिसके लिये उन्होंने भारतीय सरकार को लिखा और उसकी इत्तिला प्रदेशीय सरकार को भी मिली थी और दो व्यक्ति उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा चुनकर भेजे गये हैं।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रशिक्षण के सिलसिले में अधिकारियों को भेजने के पूर्व क्या उनसे कोई एग्रीमेन्ट भरवाया गया था ?

श्री धर्मसिंह—जी हां, उसकी कुछ शर्तें हैं जैसा कि मैंने निवेदन किया कि वहां से लौटने के बाद उनको ५ साल तक काम करना पड़ेगा।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो सरकारी कर्मचारी अमरीका भेजे गये उन पर प्रति व्यक्ति कितना खर्चा होगा ?

श्री धर्मसिंह—फिलहाल इसके कोई आंकड़े इस वक्त नहीं हैं लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश की सरकार का सम्बन्ध है, दो व्यक्तियों को एलाउन्स वगैरह के जो नियम होते हैं, उतना ही दिया जायगा।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ये किस योग्यता के अधिकारी भेजे गये हैं, वे चीफ इंजीनयर हैं, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर हैं या एग्जीक्यूटिव इंजोनियर हैं ?

श्री धर्मसिंह—तीनों एग्जीक्यूटिव इंजोनियर हैं।

कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वर्क्स यूनियन तथा कानपुर बिजली मजदूर सभा

*३—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि केसा में कानपुर बिजली मजदूर सभा, कानपुर की मान्यता का प्रश्न यू० पी० स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि यह कितने समय से विचाराधीन है तथा उसके निर्णय में किन कारणों से इतना विलम्ब हो रहा है।

श्री धर्मसिंह—इन्डियन ट्रेड यूनियन ऐक्ट, १९२६ के अधीन रजिस्टर्ड यूनियनों को मान्यता देने का प्रश्न नहीं उठता।

*४—श्री मदन पांडेय—क्या यह सत्य है कि रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन, उत्तर प्रदेश ने केसा में कानपुर बिजली मजदूर सभा तथा कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई वर्कर्स यूनियन नाम की दोनों मजदूर यूनियनों की प्रतनिधित्व शक्ति की जांच गत मई महीने में वर्क्स काउन्सिल के निर्माण के सम्बन्ध में की थी ? यदि हां, तो सरकार बतायेगी कि रजिस्ट्रार उस जांच के बाद किस निर्णय पर पहुंचे ?

श्री धर्मसिंह—जी हां, रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन्स, उत्तर प्रदेश की जांच के अनुसार कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई वर्क्स यूनियन तथा कानपुर बिजली मजदूर सभा के सदस्य संख्या क्रमशः ९४८ और ७९१ है ।

*५—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि केसा में अस्थायी कर्मचारियों की संख्या कुल कितनी है तथा उनमें से २ वर्ष या इससे भी अधिक समय से कितने लोग काम करते हैं ?

श्री धर्मसिंह—अस्थायी कर्मचारियों की संख्या ३४२ तथा २ वर्ष या उससे अधिक समय से काम करने वालों की संख्या ६० है ।

श्री मदन पांडेय—अध्यक्ष महोदय, आपसे यह निवेदन है कि चूंकि यह तीनों प्रश्न तीन तरह के हैं इसलिये पूरक प्रश्नों के लिये अधिक समय देने की कृपा की जाय ।

क्या यह सत्य है कि रजिस्टर्ड होने पर कोई रिकगनिशन की आवश्यकता नहीं है, मंत्री जी के इस कथन के बाद भी वहां पर कानपुर बिजली मजदूर सभा और कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई वर्कर्स यूनियन के बीच भेदभाव की नीति इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से बरती जाती है और पे ऐन्ड एलाउन्स वगैरह की सुविधायें जो रिकगनाइज्ड यूनियन को मिलनी चाहिये वह उन्हें नहीं प्राप्त होती हैं ?

श्री धर्मसिंह—जैसा कि मैंने प्रश्न संख्या ३ में निवेदन किया कि ट्रेड यूनियन ऐक्ट की धारा २६ के अधीन रजिस्टर्ड यूनियन को मान्यता देने का प्रश्न ही नहीं उठत ।

श्री मदन पांडेय—कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई वर्कर्स यूनियन जिसका सम्बन्ध आई० एन० टी० यू० सी० से है उसको मान्यता दी हुई है लेकिन कानपुर बिजली मजदूर सभा जिसका कि हिन्द मजदूर सभा से सम्बन्ध है उसको मान्यता नहीं मिली है, इस ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

श्री धर्मसिंह—जहां तक कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई वर्कर्स यूनियन का सम्बन्ध है, सन् १९४८ में कुछ मामलों में मान्यता दी गई थी । जहां तक औरों का सम्बन्ध है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां के सुधार के लिये वर्क्स कांउसिल बनने जा रही हैं, इसलिये उसका कोई प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मदन पांडेय—प्रश्न ४ के उत्तर से सम्बन्धित । अध्यक्ष महोदय मेरा प्रश्न स्पष्ट था कि वर्क्स काउंसिल के निर्माण के सम्बन्ध में रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन ने जो सूचना दी उसके सम्बन्ध में नहीं बताया गया कि रजिस्ट्रार ने क्या निर्णय किया, इसलिये क्या मंत्री जी उस पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मसिंह—यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्क्स काउन्सिल का मामला कब से विचाराधीन है और इस पर सरकार कब तक निर्णय लेगी ?

श्री धर्मसिंह—लेजिस्लेशन लाना होगा, इसलिये कुछ समय लगेगा ।

श्री उग्रसेन—क्या मंत्रीजी बतलायेंगे कि जब इसकी संख्या केसा वर्कस यूनियन की सदस्यता से अधिक है तो मजदूर सभा को सहूलियत क्यों नहीं दी जाती है ?

श्री धर्मसिंह—सदस्यता बहुत नहीं है । ६४८ और ७६१ है । तो आप स्वयं देख सकते हैं कि किसकी कम हुई ।

कानपुर टेक्सटाइल मिलों से बकाया बिक्री–कर की वसूली

*६—श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कानपुर टेक्सटाइल मिलों के ऊपर अलग–अलग किन–किन वर्षों का कितना–कितना बिक्री-कर बाकी हैं और उस बकाया को वसूल करने के लिये क्या कदम उठाये गये ?

श्री महमूद अली खां—कानपुर की टेक्सटाइल मिलों के ऊपर अलग अलग वर्षों की बिक्री-कर की बकाया धनराशि तथा उसकी वसूली के लिये किये गये उपायों का ब्योरा संलग्न सूची में दिया हुआ है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८१० पर) ।

*७—श्री भीखालाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस बकाया की वसूली के लिये किसी फर्म या पार्टी से कोई समझौता हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उस समझौते की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री महमूद अली खां—बिक्री-कर की बकाया धनराशि की वसूली के लिये सरकार का कानपुर की किसी टेक्सटाइल मिल से कोई समझौता नहीं हुआ है ।

श्री भीखालाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सूची में नं० १ पर सन् ४४ से ५५ तक की बकाया है और नं० ७ पर ५० से लेकर ५८ तक की बकाया है करीब १० लाख के, तो इनकी वसूली की क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री अध्यक्ष—४४ से ५५ की जगह ५४ से ५५ है ।

श्री सैयद अली जहीर—एथर्टन वेस्ट कम्पनी बीच में बन्द हो गई थी जिसके कारण वसूली में दिक्कत हुई । उनकी तरफ ६,६३१ रुपया बाकी है । म्योर मिल का जहां तक मुझे मालूम है, दो पार्टियों में मिल्कियत के लिये झगड़ा चल रहा है गालिबन सन् ५० से । दोनों पार्टियां काफी सालवेन्ट हैं, कोई अन्देशा नहीं है । बहरहाल, वसूली के लिये कानूनी कार्यवाही हो रही है ।

श्री भीखालाल—सूची के ७ नामों के अलावा लक्ष्मी रतन काटन मिल और स्वदेशी काटन मिल पर भी क्या कुछ बकाया है ।

श्री सैयद अली जहीर—सूचना चाहिये ।

श्री चन्द्रजीत यादव—माननीय वित्त मंत्री को इत्तिला देते हुये मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या उन्हें जानकारी है कि श्री सम्पूर्णानन्द बनाम नेवे केस में कानपुर के सेल्स टैक्स के श्री ए० के० मिश्रा ने अपने बयान में कहा है कि कानपुर स्वदेशी काटन मिल का ५६–५७ और ५७–५८ का असेसमेंट अभी तक नहीं हुआ है और लक्ष्मी रतन काटन मिल्स का ५६–५७ का और ५७–५८ का १२।। लाख व १०.६३ लाख रुपये का असेसमेंट हुआ है और क्या ये रकमें वसूल हुई हैं ?

श्री अध्यक्ष—किसी केस में दिये बयान को आप यहां कनफर्म या कंट्रेडिक्ट नहीं करा सकते हैं । मैं इस प्रश्न की इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—मिलों से बिक्री-कर का बकाया अगले साल ही क्यों नहीं वसूल कर लिया जाता है ?

श्री सैयद अली जहीर—कोशिश तो जल्दी वसूल करने की की जाती है। लेकिन असेसमेंट में कुछ वक्त लग जाता है। साल खत्म होने पर ही असेसमट की कार्यवाही शुरू की जाती है और साल २ साल अससमेंट में लग जाते हैं। फिर उन्हें अपील, रिवीजन का और हाईकोर्ट जाने का हक हासिल है। ७ में से कम से कम ४ केस हाईकोर्ट के कारण रुके हुये हैं, एक मामला जज अपील्स के यहां विचाराधीन है। इस प्रकार देर हो जाती है।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या सरकार को पता है कि कानपुर स्वदेशी काटन मिल और लक्ष्मी रतन काटन मिल के ऊपर ५६-५७ और ५७-५८ में लगभग ५९ लाख रुपया टैक्स का असेस हुआ है जो अभी तक वसूल नहीं हुआ है ?

श्री सैयद अली जहीर—नोटिस चाहिये।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार इस बात की जांच करावेगी कि उसकी उत्तर में दी हुई सूची पूरी है या अधूरी ? और अगर अधूरी है तो ऐसा उत्तर देने वाले से उसका जवाब तलब करेगी ?

श्री सैयद अली जहीर—अगर अधूरी साबित हो जायगी तो जवाब तलब जरूर किया जायगा।

श्री रामस्वरूप वर्मा—सबसे पुरानी बकाया कौन सी और कब की है ?

श्री अध्यक्ष—इसका जवाब उन्होंने दे दिया है।

श्री उग्रसेन—क्या मंत्री जी सेल्स टैक्स ऐक्ट में कोई व्यवस्था करने की सोच रहे हैं कि बड़े बड़े मिल वाले अदालतों की शरण लेकर अदायगी में देरी न करें और क्या वे ऐसा कोई संशोधन लाने का विचार रखते हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—किसी का वैधानिक हक छीनने का हमें अधिकार नहीं है।

श्री भीखालाल—क्या इन बकाया को अदा करने के लिये मिल वालों को कुछ सहूलियतें दी गई हैं ? यदि हां, तो वे क्या हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—मुझे किसी विशेष रियायत की इत्तिला नहीं है।

श्री ऊदल—क्या मंत्री जी की सूची में स्वदेशी काटन मिल का नाम है ?

श्री अध्यक्ष—आप लिस्ट देख लें।

श्री शिवप्रसाद नागर—सन् ५० से लेकर बकाया के लिये अभी तक कितने बार साइटेशन कराया गया, क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर—नोटिस चाहिये।

*८—श्री भीखालाल—[८ मार्च, १९६० [के लिये स्थगित किया गया।]

नहरी पानी के सम्बन्ध में नगला गड़रियान के पुरवा से प्रार्थना-पत्र

*९—श्री उग्रसेन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मौजा चिरखरी के नगला गड़रियान का पुरवा जिला कानपुर के किसानों का प्रार्थना-पत्र सरकार के पास इस आशय का आया है कि उन्हें नहर ब्रांच इटावा के मील ९१ कुलाबा नं० ३ से पानी नहीं मिलता है ? यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री धर्मसिंह—जी नहीं ।

*१०—श्री उग्रसेन—क्या सरकार के पास इस आशय का कोई प्रार्थना–पत्र नगला गड़रियान के किसानों का आया है कि सरकार ने जो फसली कुलाबा धान के लिये इस नगला के वास्ते रखा था वहीं रहने दिया जाय, वरना रबी की परेवट न हो सकेगी ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री धर्मसिंह—जी हां, किंतु पानी की कमी के कारण प्रार्थना को स्वीकार करना सम्भव न था और इसकी सूचना किसानों को दी जा चुकी है ।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि मौजा चिरखरी के नगला गड़रियान से पुरवा का कोई प्रार्थना-पत्र चीफ इंजीनियर के पास आया था ?

श्री धर्मसिंह—१९५७ में एक प्रार्थना-पत्र और बातों के लिये आया था ।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि उस समय जब कि उन्हें कुलाबा नहीं दिया गया, नहर का पानी बेकार डिस्चार्ज हो रहा था ? यदि हां, तो कुलाबा क्यों नहीं दिया गया ?

श्री धर्मसिंह—१९५७ के प्रार्थना-पत्र में किसानों ने खाकी की सिंचाई के लिये प्रार्थना की थी, कुलाबे के लिये कोई प्रार्थना-पत्र नहीं दिया । इसका उनको जवाब दे दिया गया था ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इसी ब्रान्च पर किसानों को धान की सिंचाई के लिये फसली कुलाबा दिया गया था ?

श्री धर्मसिंह— समय समय पर जैसी जैसी आवश्यकता होती है फसली कुलाबे दिये जाते हैं ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—जब सन् १९५९ में किसानों का धान सूख रहा था और उन्होंने आवेदन-पत्र दिया था तो उनको फसली कुलाबा क्यों नहीं दिया गया ?

श्री धर्मसिंह—पानी की कमी होना ही उसका कारण था । अमूमन फसली कुलाबा १५ जून से १५ अक्तूबर तक दिया जाता है । कभी कभी जब अधिक आवश्यकता पड़ती है तो उसके टर्म को बढ़ा दिया जाता है ३१ अक्टूबर तक । आवश्यकतानुसार दिया जाता है लेकिन वहां कोई धान की फसल नहीं सूख रही थी ।

धोबहा साइफन निर्माण-कार्य से सम्बंधित एक्जीक्यूटिव इंजीनियर तथा श्री पी० एन० पंजाबी का निलम्बन

*११—श्री उग्रसेन—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री प्रश्न संख्या ३, दिनांक ८–९–५९ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि श्री पी० एन० पंजाबी, लिपिक, नारायणी कैनाल, गोरखपुर ने धोबहा साइफन के निर्माण में भी भ्रष्टाचार एवं सरकारी रकम के गोल माल का चार्ज एक्जीक्यूटिव इंजीनियर नारायणी कैनाल के विरुद्ध लगाया था ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही सरकार ने की ?

श्री धर्मसिंह—जी हां। एक्जीक्यूटिव इंजीनियर जो कि निलम्बित (suspended) हैं उनको जो अभियोग पत्र (charge sheet) दिया गया उसमें इस चार्ज को भी सम्मिलित किया गया एक्जीक्यूटिव इंजीनियर का उत्तर प्राप्त होने पर उप मुख्य-अभियंता, सिंचाई विभाग ने लिखित तथ्यों के आधार पर अपनी जांच की रिपोर्ट प्रस्तुत की जो कि मुख्य अभियंता की टिप्पणी के साथ सरकार को प्राप्त हो चुकी है और विचाराधीन है।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिस पंजाबी नाम के क्लर्क ने इस रहस्य का उद्घाटन किया था उस को भी डिपार्टमेंट से निकाल दिया गया है ?

श्री धर्मसिंह---उसको सस्पेंड कर रखा है।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि घोबहा नाले की गड़बड़ी के सम्बन्ध में जिस एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को निलंबित किया गया था, उसके खिलाफ क्या चार्जेज थे और उसमें कितना रुपया लगा ?

श्री धर्मसिंह---यह समस्त प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री उग्रसेन---एक्जीक्यूटिव इंजीनियर जो मोअत्तिल हैं उनके खिलाफ चार्जशीट में भ्रष्टाचार, गबन आदि के कितने प्रश्न हैं ?

श्री धर्मसिंह---उसमें अनेक प्रश्न हैं। इस समय उसकी मेरे पास कोई कापी नहीं है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि शिकायत करने वाले क्लर्क को किस अपराध में मुअत्तल किया गया है ?

श्री गिरधारीलाल---शिकायत करने वाले को इसी अपराध में नहीं बल्कि इसके अलावा और बहुत सी बातें थीं, डिप्टी चीफ इंजीनियर प्रयागनारायण ने इसकी शिकायत की थी और कहा था कि इसको सस्पेंड कर दिया जाय। पहले एक प्रश्न के उत्तर में भी यह बातें बतला दी गयी थीं कि उसको क्यों सस्पेंड किया गया। सिर्फ इसी बात की वजह से उस को सस्पेंड नहीं किया गया।

श्री मदन पांडेय---अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि "सिर्फ इसी बात की वजह से उस को सस्पेंड नहीं किया गया" तो क्या भ्रष्टाचार का रहस्योद्घाटन करना, सरकार की अपनी नीति के अनुसार अपराध समझा जाता है ? यदि नहीं तो उस व्यक्ति को सस्पेंड करने का क्या कारण है ?

श्री गिरधारीलाल---जैसा मैंने कहा इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर एक बार मैंने दिया था कि इस व्यक्ति के खिलाफ बहुत से चार्जेज थे। इस व्यक्ति की करेक्टर रोल में यही बात नहीं, वह शुरू से एडवर्स एन्ट्रीज से भरी पड़ी है, यह झगड़ालू भी है। इस प्रकार की बहुत सी बातें थीं। पहले भी एक बार निकाला गया था और फिर सिफारिश से रखा गया। उसके बाद दोबारा इस प्रकार की चीजें उठीं। पहले चार्जेज के खिलाफ जब इंक्वायरी की गयी थी तो प्रयागनारायण साहब ने फरमाया था कि इसको सस्पेंड कर दिया जाय। यह व्यक्ति जानता था कि उसका यहां रहना मुनासिब नहीं है, इसलिये उसने इस्तीफा भी दिया था लेकिन वह मंजूर नहीं किया गया और उस को सस्पेंड कर दिया गया।

श्री उग्रसेन---माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि इसी श्री पी० एन० पंजाबी नाम के क्लर्क ने भूतपूर्व सिंचाई मंत्री और श्री प्रयागनारायण जो नारायणी कैनाल के इंचार्ज थे, उनसे एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के विरुद्ध शिकायत की थी कि ४७ लाख की स्कीम थी लेकिन उसमें १ करोड़ पया खर्च कर दिया गया, फिर भी वह स्कीम पूरी नहीं हुई, तथा उनको बहाल भी कर लिया गया था, फिर भी जब वे लोग हट गये तो बाद में उनको मुअत्तल कर दिया गया ?

श्री धर्मसिंह---जैसा मैंने अभी निवेदन किया, यह समस्त प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

***१२---श्री गोविन्दसिंह विष्ट**---[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर १ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

शाख नहर भोगनीपुर में जल बढ़ाने की प्रार्थना

*१३—श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले की दो नहरें शाख इटावा तथा शाख भोगनीपुर में से शाख इटावा की नहर में पानी हर साल के माह जुलाई, अगस्त और सितम्बर में अधिक चलाया जाता है ?

श्री गिरधारीलाल—जी हां।

*१४—श्री भुवनेशभूषण शर्मा (अनुपस्थित)—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि शाख भोगनीपुर की नहर से जो जिला इटावा का क्षेत्र सम्बन्धित है वहां रोपाधान ज्यादा लगने लगा है और क्या इस कारण से इस नहर में भी शाख इटावा की तरह पानी अधिक चलाने की व्यवस्था सरकार करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—जी हां। पानी की मात्रा में भी मांग के अनुपात में वृद्धि की गई है।

जुडीशियल मैजिस्ट्रेटों को नहरी पटरी की क्षति से सम्बन्धित मुकदमे देने की प्रार्थना

*१५—श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नहर की पटरियों पर बिला इजाजत बैलगाड़ी, तांगा, इक्का चलाने पर, आबपाशी के लिये नहर की पटरी काट देने पर जो अपराधियों पर मुकदमे चलाये जाते हैं उन्हें स्थानीय जिले में ही सम्बन्धित हाकिम परगना या सम्बन्धित जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के यहां सुनवाई कराने के प्रबन्ध के विषय में वह विचार कर रही है ?

श्री धर्मसिंह—ऐसा कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि बिना इजाजत नहर की पटरियों पर इक्का, तांगा चलाने के या नहर की पटरियां काट देने के जो मुकदमे नहर विभाग के अधिकारियों के यहां चलते हैं उससे जनता को बहुत परेशानी होती है और कभी कभी तो दूसरे जिले में तारीखें पड़ती हैं और वकील भी नहीं ले जा पाते हैं, ऐसी सूरत में सम्बन्धित जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या सम्बन्धित हाकिम परगना के यहां ये मुकदमें चलाये जाने में सरकार को क्या क्या कठिनाइयां हैं ?

श्री धर्मसिंह—ऐसी बात नहीं है जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है। नहर काटते हैं, कानून तोड़ते हैं और तमाम गड़बड़ियां करते हैं और अगर जुडिशियरी के यहां ये मुकदमे चलाये जायं तो उनको वहां भी वही दिक्कतें होंगी, इसलिये ऐसा कोई प्रश्न नहीं है।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार कर रहे हैं कि न्याय को सस्ता देने के लिहाज से दूसरे जिले में जो तारीखें पड़ा करती हैं वे न पड़ा करें और उसी जिले में किसी सेंट्रल स्थान पर पेशी पड़ा करे जिससे उनको आने जाने की तथा और दूसरी सुविधायें प्राप्त हों जायं ?

श्री गिरधारीलाल—इसके लिये कोशिश तो यह है कि जरायम ही न हों और अगर हों तो कम से कम हों।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मन्त्री जी इस बात को देखते हुये कि नहर की पटरियों पर पशुओं और गाड़ियों के आने जाने के अधिक केसेज हो रहे हैं, उन पटरियों को पक्का कराने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं ताकि उनसे सड़क का काम भी लिया जा सके ?

श्री धर्मसिंह--जी नहीं, इस प्रकार का कोई प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री रामहेतसिंह (जिला मथुरा)---क्या माननीय मंत्री जी के पास ऐसी भी शिकायत आयी है कि नहरों के कर्मचारी जो काश्तकारों के खिलाफ गाड़ियों और तांगे के केस दायर करते हैं, वे अपने छोटे कर्मचारियों की शहादत दिला कर ही केस को अपने माफिक करा लेते हैं ?

श्री धर्मसिंह---जिस तरह के गवाहान होते हैं और जैसी गवाहियां होती हैं उसी के आधार पर निर्णय होता है।

श्री गनेशचन्द्र काछी---जब ऐसा कोई प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है तो सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि कैसा प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ?

श्री धर्मसिंह--जैसा कि प्रश्न में है इसी प्रकार का प्रश्न है और कोई तो है नहीं।

सिंचाई, विभाग गोरखपुर डिवीजन में परिगणित जाति के कर्मचारी

*१६---श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--- क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर डिवीजन में सिंचाई विभाग में कुल कितने थर्ड व सेकिंड ग्रेड के कर्मचारी काम कर रहे हैं ? उसमें कुल कितने परिगणित जाति के लोग हैं ?

श्री धर्मसिंह---गोरखपुर में सिंचाई विभाग के दो डिवीजन हैं। इन दोनों डिवीजनों में क्रमशः १४५ और ३५६ तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारी हैं। उपरोक्त कर्मचारियों में से एक तृतीय श्रेणी में और १९ चतुर्थ श्रेणी में परिगणित जाति के लोग हैं।

*१७---श्री अब्दुल रऊफ लारी---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त कर्मचारियों में से कितने ऐसे कर्मचारी हैं (अ) जो १० साल से कार्य कर रहे हैं और कनफर्म नहीं हुये हैं ? (ब) ५ साल से ज्यादा दिनों से काम कर रहे हैं मगर कनफर्म नहीं हुये हैं ?

श्री धर्मसिंह---कर्मचारियों की संख्या जो १० साल से कार्य कर रहे हैं और अभी तक स्थायी नहीं हुए हैं केवल ८ (आठ) हैं। उन कर्मचारियों की संख्या जो ५ साल से अधिक से काम कर रहे हैं और अभी तक स्थायी नहीं हुये हैं, केवल २५५ है।

*१८---श्री अब्दुल रऊफ लारी---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त कर्मचारियों के संघ ने इस साल दिसम्बर महीने में कोई प्रस्ताव पास कर के सरकार को भेजा है ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया उसकी एक नकल सदन की मेज पर रखेगी।

श्री धर्मसिंह---इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव दिसम्बर, १९५९ में सरकार को नहीं प्राप्त हुआ है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन ५०१ कुल कर्मचारियों में से केवल २० ही परिगणित जाति के क्यों हैं जब कि उनकी संख्या कोटे के हिसाब से कम से कम ९० होनी चाहिये ?

श्री धर्मसिंह---परिगणित जाति के लोगों के नाम जो एम्प्लायमेंट एक्सचेंज से आते हैं उनमें से जहां तक होता है परसेन्टेज पूरा करने की कोशिश की जाती है और सख्त हिदायतें इस बारे में हैं कि जो लोग उपलब्ध हों उन्हें अवश्य लिया जाय।

श्री अब्दुल रऊफ लारी---क्या मंत्री जी बताने को कृपा करेंगे कि चौथी श्रेणी के लोगों के लिये ज्यादा विद्या की भी जरूरत नहीं पड़ती है और परिगणित जातियों के काफी आदमी उस के इच्छुक हैं फिर भी केवल २ प्रतिशत ही रखने का क्या कारण है ?

श्री गिरधारीलाल---मैंने बताया कि यह आदमी जैसा कि पूछा गया काफी पुराने हैं, और इन पुरानों को हटाकर नयों को तो नहीं रखा जा सकता लेकिन जो नये स्थान होते हैं उनके लिये हिदायतें हैं कि ज्यादा से ज्यादा ध्यान इस बात का रखा जाय कि शिड्यूल कास्ट के लोगों को रखा जाय और ऐसा करने के लिये कुछ एम्पलायमेंट एक्सचेंज की बन्दिशों को भी रिलेक्स किया जायगा।

श्री अब्दुल रऊफ लारी---सिंचाई विभाग में ५ साल से अधिक वाले थे २३२ और दस साल से अधिक ८ हैं और जब यह विभाग स्थायी है तो क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि ३ साल से अधिक वालों को स्थायी कर दिया जाय ?

श्री गिरधारीलाल---जहां तक पुराने कर्मचारियों का सवाल है कि वह क्यों अस्थायी ह, इस का कारण यह है कि उनमें से बहुत बड़ी तादाद नारायणी नहर डिवीजन में लगी थी और क्योंकि वह अस्थायी काम था इसीलिये वह सब टेम्पोरेरी रहे।

श्री प्रतापसिंह---क्या सरकार के मंत्रालय से कोई ऐसा जी० ओ० निकला है कि ऐसे ६० प्रतिशत लोगों को जो ३ साल से ज्यादा के हैं स्थायी किया जायगा और क्या वह जी० ओ० उन पर भी लागू होगा ?

श्री गिरधारीलाल---वैसा जी० ओ० चाहे हुआ हो लेकिन यह इंजीनियरिंग वर्क, आजकल जैसे-जैसे निर्माण तेजी से हो रहा है उसमें काफी आदमी हमें रखने पड़ते हैं और यह भी कोई जरूरी नहीं है कि यह काम हमशा एस ही जारी रहें, यह भी संभव हो सकता है कि किसी समय इन सब चीजों को डिसबैन करना पड़े, इसलिये सब को तो हम स्थायी नहीं कर सकते फिर भी केडर में जितनी जगह खाली होती हैं उन में ज्यादा से ज्यादा आदमियों को स्थायी करने की कोशिश की जाती है।

दोहरीघाट पम्प नहर में ली गई भूमि की मालगुजारी

*१९---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री दोहरी घाट पम्प नहर में ली गई गांवों की भूमि के मुआवजे के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या ५९, दिनांक ११-८-५९ के क्रम में बताने को कृपा करेंगे कि इन गांवों के नहर में पड़े हुये खेतों की मालगुजारी भी किसान ही दे रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री धर्मसिंह---इसकी मालगुजारी सिंचाई विभाग १३६३ फसली से दे रहा है।

*२०---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन गांवों के किसानों की भूमि नहर में कब पड़ी तथा नहर का निर्माण कब से प्रारम्भ हुआ ?

श्री धर्मसिंह---इन ग्रामों की भूमि सन् १९५५ में ली गई और तभी से नहर-निर्माण-कार्य प्रारम्भ हुआ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब इस जमीन पर निर्माण-कार्य सन् ५५ से आरम्भ हुआ तो क्या जो मालगुजारी, उस के बाद भी सन् ६६-६७ फसली में वसूल की गई है उसको सरकार वापस करेगी ?

श्री गिरधारीलाल---जहां पर किसानों ने २ बार मालगुजारी दे दी है और गड़बड़ी है वहां पर तहकीकात करने के बाद वह वापस कर दी जायगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या यह सही है कि नहर का बनना पहले आरम्भ हुआ और जमीन बाद को ऐक्वायर हुई और ऐक्वायर होने के बाद भी किसान मालगुजारी देते रहे ?

श्री गिरधारीलाल---इसमें खास तौर से तो नहीं कह सकता, लेकिन कभी-कभी तो हमारे दोस्त रामसुन्दर पांडेय भी चाहते हैं कि कानूनी कार्यवाही बाद में करते रहें लेकिन सड़क या नहर पहले बन जाय। तो कभी-कभी ऐसा भी करना पड़ता है। लेकिन वहां के जितने भी किसान थे उनकी मर्जी से हुआ है और उसके बाद ही यह सब कार्यवाही की गई है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---जब से किसानों की जमीन ली गई है निर्माण के कार्य में तब से ही उन खेतों की मालगुजारी वापस करने की सरकार व्यवस्था करेगी ?

श्री धर्मसिंह---इसके कुछ कायदे कानून बने हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से इस तरह की हिदायतें भेज दी गई हैं कि जहां पर इस तरह से जमीन ली गयी है उसकी तहकीकात आदि करने के बाद लगान न लिया जाय।

आजमगढ़ जिले के कुछ गांवों को ऊंचा करने की प्रार्थना

*२१---श्री रामसुन्दर पांडेय---आजमगढ़ जिले के गांवों के बाढ़ विभाग द्वारा ऊंचा किये जाने के सम्बन्ध में ११ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ६१ के उत्तर के क्रम में क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त जिलों के देवारा मूसाडोही, बरोहा तथा सिसवा गांवों को कब-तक ऊंचा करने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री धर्मसिंह---वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार बतायेगी कि यह सूचना कब तक एकत्रित की जा सकेगी ?

श्री धर्मसिंह---शीघ्र से शीघ्र करने की कोशिश की जा रही है।

*२२-२३---श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)---[८ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

*२४---२५---श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)---[८ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

निवाड़ी रजबहा के एक कुलाबा का दहन बढ़ाने की प्रार्थना

*२६---श्री भजनलाल (जिला इटावा)---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, सन् १९५९ में निवाड़ी रजबहा, कुलावा नं० ७७ को ६ इंच के स्थान पर १२ इंच करने हेतु शाख भोगनीपुर जिला इटावा के इक्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास जनता का प्रार्थना-पत्र स्थानीय एम० एल० ए० के द्वारा भेजा गया है ?

श्री धर्मसिंह---जी हां।

*२७---श्री भजनलाल---यदि हां, तो क्या सरकार उस कुलाबे को ६ इंच के स्थान पर १२ इंच करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मसिंह---जी नहीं। क्योंकि अधिकृत क्षेत्र (सी० ए० सी०) व प्रस्तावित क्षेत्र (proposed area) के हिसाब से कुलाबे का दहन ठीक है और यह कुलाबा अपने क्षेत्र की सिंचाई भी प्रस्तावित क्षेत्र से अधिक कर रहा है।

श्री भजनलाल--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस कुलाबे से संबंधित चार ग्राम पंचायतों तथा वहां के स्थानीय एम० एल० ए० की मांग पर वहां के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने उस कुलाबे के प्रस्तावित क्षेत्रफल के अलावा और जो क्षेत्रफल है उसकी पैमाइश कराई है या नहीं ?

श्री धर्मसिंह--नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री भजनलाल--उस कुलाबे के प्रस्तावित क्षेत्रफल के अलावा उसके पास ही लगा हुआ करीब १५० एकड़ का रकबा पड़ा हुआ है जो बिना सिंचाई के रहता है, इसको सूचना मानकर क्या सरकार उसकी पैमाइश कराके कुलाबा बढ़ाने की कृपा करेगी ?

श्री धर्मसिंह--इसकी पैमाइश तो करा ली जाएगी, सर्वे इत्यादि करा लिया जाएगा । लेकिन जहां तक कुलाबा बढ़ाने का संबंध है, इसके लिये कोई वायदा नहीं किया जा सकता ।

श्री रामस्वरूप वर्मा--अधिक अन्न उपजाओ योजना को ध्यान में रखते हुए, जहां कोई दूसरा प्रबन्ध नहीं हो सकता वहां सरकार की क्या नीति है कुलाबा बढ़ाने के बारे में, जैसा कि भोगनीपुर बांध का मामला है ।

श्री धर्मसिंह--अगर पानी की वहां पर कमी रहती है तो वह संभव नहीं है । पानी होता है तो हमेशा विचार करते हैं कि अधिक से अधिक दें ।

*२८--**श्री अमरनाथ**--[८ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

नहरी पानी से फसल सड़ जाने के सम्बन्ध में रेवली ग्राम से प्रार्थना-पत्र तथा कुण्डा तहसील का गन्दा नाला

*२९--**श्री हरकेश बहादुर** (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रेवली परगना मानिकपुर जिला प्रतापगढ़ के कुछ निवासियों ने या किसी निवासी ने उसी गांव की फसल नहर के पानी से सड़ जाने के सम्बन्ध म कोई प्रार्थना-पत्र जिलाधीश प्रतापगढ़ अथवा एक्जीक्यूटिव इंजीनियर नहर विभाग रायबरेली अथवा सार्वजनिक निर्माण मंत्री की सेवा में १९५६ , १९५७ और १९५८ में भेजा था ?

श्री गिरधारीलाल--जी हां!

*३०--**श्री हरकेश बहादुर** (अनुपस्थित)--यदि हां, तो कब-कब ?

श्री गिरधारीलाल--११-५-५६, २३-५-५६, २५-१-५८ तथा ७-१०-५८ को ।

*३१--**श्री हरकेश बहादुर** (अनुपस्थित)--क्या रामपुर बावली तहसील कुण्डा के पास का वह गंदा नाला जो पूरे भट्टाचार्य, खैरा पूरे छेमीपूरे, हरजू पूरे, सेवक राय, अरेहरा तहसील कुण्डा जिला प्रतापगढ़ से हो कर जाता है पूरा खोदा जा चुका है ?

श्री गिरधारीलाल--जी नहीं ।

*३२--३४--**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी** (जिला बस्ती)--[८ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

जौनपुर जिले में गोमती पर चन्दवक घाट पुल के निर्माण के लिये आदेश

*३५--**श्री मुक्तिनाथ राय** (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला जौनपुर में गोमती नदी पर चन्दवक घाट पर बनने वाले पुल की निर्माण योजना इस समय स्थगित कर दी गयी है ?

श्री धर्मसिंह--सदस्य महोदय का आशय सम्भवतः चन्दवक घाट पर बनने वाले पुल से है। इस पुल के निर्माण के लिये आदेश जारी कर दिये गये हैं।

*३६--**श्री मुक्तिनाथ राय**--यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री धर्मसिंह---प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री मुक्तिनाथ राय--इस पुल के निर्माण में कुल कितना धन व्यय होगा और उसके लिये क्या टेन्डर्स मांगे जा चुके हैं ?

श्री धर्मसिंह---निर्माण की लागत १३ लाख रुपया होगी।

श्री मुक्तिनाथ राय--मैंने पूछा कि टेन्डर्स मांगे जा चुके हैं ?

श्री धर्मसिंह---उसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री मुक्तिनाथ राय--मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि क्या इस पुल का निर्माण रोड-कम-रेलवे पुल का है ?

श्री गिरधारीलाल--जी नहीं, मामूली पुल जैसे होते हैं वैसा होगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या इस पुल का निर्माण प्रारम्भ हो गया है और वह कब तक पूरा हो सकेगा ?

श्री धर्मसिंह---५ दिसम्बर, १९५९ को इसकी स्वीकृति हो चुकी है और थोड़ा बहुत कार्य आरम्भ हो गया है। कब तक बन कर तैयार हो जायगा यह कहना कठिन है ।

श्री मुक्तिनाथ राय--प्रश्न संख्या ५७-५८ के उत्तर में सरकार ने बताया था कि वाराणसी से चन्दवक घाट होते हुए लालगंज-दोहरीघाट से गोरखपुर रेलवे निर्माण की योजना प्रदेश की सरकार ने केन्द्रीय सरकार के पास भेजी है । तो इस योजना को ध्यान में रखते हुए सरकार इस पुल को रोड-कम-रेल बनाने का विचार करेगी और इसके लिये केन्द्रीय सरकार से धन भी प्राप्त करेगी ?

श्री धर्मसिंह---क्या उत्तर दिया था यह तो देखना पड़ेगा और उसी के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकेगा ।

सुरियावां व मोढ़बाजार को बिजली देने की प्रार्थना

*३७--**श्री ऊदल**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सुरियावां व मोढ़ बाजार, तहसील भदोही, जिला वाराणसी में बिजली लगाने की कोई योजना है ? यदि हां तो कब तक ?

श्री धर्मसिंह---जी नहीं ।

श्री ऊदल--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वहीं बगल में भदोही पावर हाउस है जिससे अगल-बगल के तमाम बाजारों को बिजली दी जाती है तो उन दोनों बाजारों को बिजली क्यों नहीं दी जा रही है ?

श्री धर्मसिंह--फिलहाल तो बिजली नहीं है और विद्युतीकरण के लिये पैसा भी नहीं है।

श्री ऊदल--मंत्री जी इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि उन दोनों बाजारों को बिजली देना बहुत आवश्यक है इसलिये फिर से इसकी जांच करेंगे कि बिजली उपलब्ध हो सकती है या नहीं ?

श्री धर्मसिंह--जांच से कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि फिलहाल बिजली नहीं है और बिजली भी अगर हो जाती तो विद्युतीकरण के लिये पैसा नहीं है।

डीजल पावर प्लांट

*३८--**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**--क्या सरकार ने प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में कई स्थानों पर डीजल पावर प्लांट कायम करने का फैसला किया है ? अगर हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वे किन-किन जगहों पर कायम किये जावेंगे ?

श्री धर्मसिंह--जी हां। राज्य विद्युत परिषद् द्वारा ऐसा फैसला किया गया है। यह डीजल पावर प्लान्ट अलीगढ़, पालरा, हापुड़, गाजियाबाद और मेरठ में लगाये जा रहे हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार बतायेगी कि इन स्थानों का चुनाव किस आधार पर किया गया था ?

श्री धर्मसिंह--क्योंकि पश्चिमी जिलों में बिजली की कमी है और यह देखते हुए कि हमारे यहां और भी पावर स्टेशन्स है और सब-स्टेशन भी है जैसे पालरा है, गाजियाबाद है, और पश्चिमी जिलों में फिर भी बिजली की आवश्यकता है इसलिये यह जगहें छांटी गई हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--इनके लगाने के काम में अब तक कितनी प्रगति हो चुकी है और कब तक पूरे हो जायंगे ?

श्री धर्मसिंह--जहां तक अलीगढ़ और हापुड़ का सम्बन्ध है यह लग चुके है और शेष पर काम हो रहा है। कब तक काम पूरा हो जायगा, सबसे आखिर में जो मेरठ में लगने को है ३१ मई, १९६० तक समाप्त जायगा। इसके बाद गाजिया बाद में दूसरा प्लान्ट होगा वह ३० जून, १९६० तक लग सकता है।

श्री रामस्वरूप वर्मा--इन प्लांट्स की उत्पादन क्षमता कितने किलोवाट होगी ?

श्री धर्मसिंह--भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न है। अलीगढ़ में २०० किलोवाट है, पालरा में ४०० किलोवाट, हापुड़ में ३०० किलोवाट, गाजियाबाद में १,६२० किलोवाट और मेरठ में ६०० किलोवाट होगी।

श्री गौरीराम गुप्त (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार बतायेगी कि पश्चिमी जिलों से पूर्वी जिलों में अधिक बिजली है या कम है ?

श्री गिरधारीलाल--जितनी जरूरत है उससे ज्यादा है।

*३९-४१--**श्री गोविन्दनारायण तिवारी** (जिला जालौन)--[स्थगित किये गये।]

नोटः--तारांकित प्रश्न ३८ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

बिजली न पाने वाली टाउन एरिया

*४२--श्री मलिखानसिंह (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में ऐसी कितनी टाउन एरिया हैं जिनकी आबादी पांच हजार से ऊपर होते हुये भी अभी तक सरकार उन्हें बिजली नहीं दे सकी ?

श्री गिरधारीलाल--७५ ।

*४३--श्री मलिखानसिंह--यदि हां, तो बिजली न देने का क्या कारण है ?

श्री गिरधारीलाल--धनाभाव तथा विद्युत् शक्ति के अभाव के कारण इन टाउन एरियाओं का विद्युतीकरण इस समय सम्भव नहीं है।

बिजली कम्पनियां तथा बिजली की दरें

*४४--श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी--क्या सरकार सदन की मेज पर उन बिजली कम्पनियों की तथा उनके द्वारा supply की जाने वाली बिजली (Domestic व Power) के रेट की तालिका रखने की कृपा करेगी जो इस समय प्रदेश के विभिन्न नगरों व भागों में बिजली वितरण की व्यवस्था के लिये उत्तरदायी है ?

श्री गिरधारीलाल--प्रदेश के विभिन्न नगरों व भागों में बिजली कम्पनियों व उनके रेट की तालिका की एक † प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी है।

*४५--श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन बिजली के रेटों में अलग-अलग जगहों में अन्तर है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल--जी हां। अलग-अलग जगहों के लिये अलग-अलग लाइसेंसधारी हैं और उनकी दरें भी भिन्न हैं।

*४६--श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी--क्या सरकार राज्य में अलग-अलग प्रचलित बिजली के रेटों को एक समान निश्चित किये जाने के लिये कोई कदम उठाने जा रही है ? यदि हां, तो क्या और कब तक ?

श्री गिरधारीलाल--जी नहीं ।

*४७--श्री गोविन्दसिंह बिष्ट--[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर १ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

*४८-४९--श्री मुक्तिनाथ राय--[८ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

प्रतापगढ़ जिले के नहर विभाग में अनियमिततायें

*५०--श्री हरकेश बहादुर--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि प्रतापगढ़ जिले के नहर के मुहकमे के सम्बन्ध में एक एकाउण्टेंट ने कुछ ओवरसियरों के गबन के सिलसिले में १९५९ में रिपोर्ट की है ?

श्री गिरधारीलाल--श्री तीर्थराज लाल, एकाउन्टेंट, सिंचाई विभाग, प्रतापगढ़ ने सन् १९५९ में कोई गबन के मामले नहीं रिपोर्ट किये। उन्होंने कुछ अनियमितताएं तथा सामग्री की कमी के कारण सरकार को हानि पहुंचने के कुछ मामले रिपोर्ट किये हैं।

*५१--श्री हरकेश बहादुर--क्या उन एकाउन्टेंट का ट्रांसफर प्रतापगढ़ जिले से राबर्ट्सगंज मिर्जापुर जिले के लिये कर दिया गया है ?

---

† प्रति लिपि छापी नहीं गयी ।

श्री गिरधारी लाल--जी हां ।]

*५२--श्री हरकेश बहादुर--क्या यह कथित गबन ५० हजार रुपये के लगभग का था ?

श्री गिरधारीलाल--इन मामलों में (जो कि गबन के मामले नहीं कहे जा सकते हैं) कर्मचारियों के असावधानी के कारण सरकार को ५८,४५० रु० की हानि पहुंचने का अन्देशा है इन पर विभागीय कार्यवाही हो रही है।

हरदोई-लखनऊ सड़क चौड़ी करने के लिये अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा

*५३--श्री भीखालाल--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग ने १९४७ में मलिहाबाद ग्राम के खसरा नं० १७४, २१५, २२१, २२३, २२९, २३० और २३१ हरदोई-लखनऊ सड़क को चौड़ा करने के समय अस्थायी तौर पर कब्जे में लिये थे और खेतों में लगे आम के पेड़ काट कर और मिट्टी निकाल कर एक साल बाद छोड़ दिया था ?

श्री गिरधारीलाल--प्रथम भाग--जी हां। कथित सड़क को चौड़ा करने हेतु यह भूमि पेड़ फसल आदि के अतिरिक्त अस्थायी रूप से १ साल के लिये ली गई थी।

द्वितीय भाग--सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा केवल मिट्टी निकाली गई थी परन्तु इन वृक्षों को कोई हानि नहीं पहुंचाई गई थी। यह भूमि १९४८ में वापस सौंप दी गई थी।

*५४--श्री भीखालाल--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त-नम्बरान का मुआवजा काश्तकारों को अभी तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल--एक काश्तकार ने अपना मुआवजा १३-२-४८ को प्राप्त कर लिया था। शेष कृषकों और तत्कालीन जमींदारों ने पारितोषिक घोषित होने के दिवस उपस्थित होने और सूचित होने के बावजूद अपना रुपया लेने के लिये कोई प्रार्थना-पत्र नहीं दिये। उनका रुपया अमानतमाल में सरकारी कोष में जमा है।

*५५--श्री भीखालाल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त नम्बरान का कितना मुआवजा काश्तकारों को मिलना चाहिये था ?

श्री गिरधारीलाल--यह सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रक्खी हुई सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८११ पर।)

डंडा तथा रोहिन नहरों से सिंचाई तथा गंडक योजना

*५६--श्री अब्दुल रऊफ लारी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर स्थित डंडा तथा रोहिन नहरों से सन् १९५९ के जुलाई, अगस्त, सितम्बर, महीने में खरीफ की कितनी फसल को सिंचाई हुई है ?

श्री गिरधारीलाल--रोहिन और डंडा नहरों से सन् १९५९ के जुलाई, अगस्त तथा सितम्बर महीनों में क्रमशः २ एकड़ और शून्य एकड़ सिंचाई हुई ।

*५७--श्री अब्दुल रऊफ लारी--सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि उपरोक्त नहरों की दशा नदियों में पानी की कमी तथा राज नेपाल बांध के कारण

अनिश्चित-सी हो जाती है और जरूरत के समय किसानों को आवश्यकतानुसार पानी नहीं मिल पाता है ? यदि हां, तो क्या सिंचाई के रेट द्वितीय, तृतीय श्रेणी का करने का विचार वह कर रही है ?

श्री गिरधारी लाल--जी हां, कभी-कभी ऐसा होता है। अभी सिंचाई का रेट द्वितीय या तृतीय श्रेणी में करने का कोई विचार नहीं है।

*५८--**श्री अब्दुल रऊफ लारी**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गंडक योजना जो भैंसा लोटन नाम के स्थान पर प्रारम्भ होने वाली है उसकी कब तक प्रारम्भ होने की संभावना है ? क्या सरकार इस योजना द्वारा फरेंदा तहसील के उन क्षेत्रों को भी जो रोहिन नदी के पश्चिम तरफ स्थित हैं पानी देने का प्रबन्ध कर रही है ?

श्री गिरधारीलाल--गंडक नहर परियोजना के हेडवर्क्स तथा नालियों का विस्तृत सर्वेक्षण अभी आरम्भ किया जा रहा है परन्तु प्रस्तावित क्षेत्र में उससे सिंचाई न हो सकेगी।

टांडा नहर की सिंचाई दरों में कमी की प्रार्थना

*५९--**श्री विश्रामराय** (जिला आजमगढ़)--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले की टांडा कैनाल की शाखाओं से सूखा ग्रस्त एरिया में सिंचाई करने का रट किस प्रकार रखा गया है ?

श्री गिरधारीलाल--टांडा कैनाल की शाखाओं से की जाने जाने वाली सिंचाई की दरें संलग्न सूची में दी हुई हैं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८१२ पर।)

*६०--**श्री विश्रामराय**--क्या यह सही है कि आजमगढ़ में किसानों ने सूखा के कारण सिंचाई कर में छूट करने का प्रार्थना-पत्र दिया है ?

श्री गिरधारीलाल--कुछ प्रार्थना पत्र गन्ने पर सिंचाई कर में छूट (remission) के लिये प्राप्त हुये हैं जिनकी जांच की जा रही है।

इटावा जिले के पारपट्टी क्षेत्रों में नलकूपों के लिये सर्वेक्षण

*६१--**श्री भुवनेशभूषण शर्मा**--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में इटावा जिले के पार पट्टी क्षेत्र में सन् १९५८-५९ में सिंचाई की व्यवस्था ट्यूबवेल्स द्वारा करने के लिये सर्वे करवाया गया है ?

*६२--यदि हां, तो सरकार वहां कितने ट्यूबवेल्स लगवाने की व्यवस्था कर रही है ?

श्री गिरधारीलाल--इटावा जिले के पार पट्टी क्षेत्र में नलकूपों द्वारा सिंचाई की व्यवस्था करने के लिये सर्वे हो रहा है। यह सर्वे उक्त क्षेत्र में तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत नलकूपों के निर्माण के हेतु किया जा रहा है। इस समय यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि उक्त क्षेत्र में तृतीय पंचवर्षीय योजना में कितने नलकूप लगाये जायेंगे।

आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर जिलों में बिजली की दर

*६३--**श्री पब्बरराम** (जिला गाजीपुर)--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर के शहर तथा देहाती क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को बिजली अलग-अलग प्रति यूनिट किस दर में प्राप्त होती है ?

श्री गिरधारी लाल--मांगी गयी सूचना नत्थी किये व्योरे में दी गयी है ।
(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ८१३ पर ।)

*६४--**श्री पब्बरराम**--क्या प्रति यूनिट दर में देहाती और शहरी क्षेत्रों में कोई अन्तर है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गिरधारी लाल--राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा वितरित शहर तथा देहाती क्षेत्रों में बिजली के दरों में कोई अन्तर नहीं है ।

धीरजलाल शाह एण्ड कम्पनी, बम्बई को ठेके

*६५--**श्री रामस्वरूप वर्मा**--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि धीरजलाल शाह ऐंड कम्पनी, बम्बई को सिंचाई विभाग द्वारा दिनांक ३ मार्च, १९५७ से ३ मार्च, १९५९ तक कितने ठेके, किन किन तिथियों में, कितने कीमत के दिये गये ?

श्री गिरधारीलाल--सूचना एकत्रित की जा रही है ।

जौनपुर-औराई सड़क पर डामर डालने की प्रार्थना

*६६--**श्री ऊदल**--क्या सरकार जौनपुर से औराई तक जो कंकड़ की सड़क है और जिस पर सरकारी रोडवेज की बसें चलती हैं उसे डामर को कराने जा रही है ?

श्री गिरधारीलाल--जौनपुर-औराई सड़क के केवल उन्हीं मीलों का, जो शहर या कस्बे के निकट है, आधुनीकरण किया गया है तथा किया जा रहा है ताकि उस शहर या कस्बे की जनता गड्ढे तथा धूल से बच सके ।

गोंडा जिले में बांधों व गूलों में ली गई भूमि का मुआवजा

*६७--**श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह** (जिला गोंडा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले में सन् १९५४ से अब तक कितनी जमीन कृषकों की बांध तथा गूलों के बनाने के लिये ली गई है और उसका मुआवजा उन लोगों को किस हिसाब से दिया गया ?

श्री गिरधारीलाल--१,२८० एकड़ भूमि ली गई है । मुआवजा २५० रुपये से ३०० रुपये तक प्रति एकड़ के हिसाब से दिया गया है ।

*६८--**श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह**--क्या उन सब जमीनों का मुआवजा सरकार ने सबको भुगतान कर दिया है ? यदि नहीं, तो अब तक कितनों को मुआवजा नहीं दिया गया ?

श्री गिरधारीलाल--८४४ एकड़ भूमि का मुआवजा दिया गया है । १४५ एकड़ का भुगतान मार्च, १९६० तक कर दिया जायेगा । शेष २९१ एकड़ भूमि का मुआवजा इस वर्ष के अन्त तक भुगतान होने की आशा है ?

राज्य में नलकूपों का निर्माण

*६९--**श्री शिवप्रसाद नागर**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नलकूप विभाग द्वारा प्रदेश भर में अब तक कितने नलकूपों का निर्माण हो चुका है ?

श्री गिरधारीलाल--दिसम्बर, १९५९ के अन्त तक प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में ३,७८९ नलकूपों का निर्माण हो चुका है ।

सैदपुर कैथी के निकट गोमती पर तथा कालिकाधाम में वरुणा पर पुलों की आवश्यकता

*७०--श्री ऊदल--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी-गाजीपुर रोड में सैदपुर कैथी के पास गोमती नदी में वह पुल बनाने जा रही है ? यदि हां, तो कितना रुपया उस पर खर्च होगा ?

श्री गिरधारीलाल--प्रथम भाग--केंद्रीय सरकार के विचाराधीन है ।

द्वितीय भाग--आगणन अभी प्रस्तुत किया जा रहा है।

*७१--श्री ऊदल--क्या सरकार यह बतायेगी कि वरुणा नदी में कालिकाधाम, जिला वाराणसी में वह पुल बनाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गिरधारीलाल--प्रथम भाग--जी नहीं ।

द्वितीय भाग--प्रश्न नहीं उठता।

*७२--श्री रामसुन्दर पांडेय--[छठे मंगलवार के लिये प्रश्न ९५ के अन्तर्गत स्थगित किया गया।]

विक्रमजोत शाहगंज सड़क में अधिगृहीत भूमि का मुआवजा तथा हरैया तहसील में सड़क का कटान

*७३--श्री रणबहादुरसिंह (जिला बस्ती)--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या बस्ती जिले में हरैया तहसील में जो नेशनल हाईवेज की पक्की सड़क है वह कटान से कट गई है और जो दूसरी सड़क विक्रम जोत के पास बनायी गयी है वह भी कट जाने वाली है ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या करने का विचार कर रही है ?

श्री गिरधारीलाल--प्रथम भाग--जिला बस्ती में गत तीन वर्षों की बाढ़ में फैजाबाद-गोरखपुर सड़क के लगभग ३ फर्लांग कट गये हैं।

द्वितीय भाग--इस नवीन सड़क के लिये नदी से शीघ्र हानि की कोई संभावना नहीं है।

तृतीय भाग--भविष्य में ऐसे खतरे से बचाव के लिये सरकार सोच रही है ।

*७४--श्री रणबहादुरसिंह--सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार के पास बस्ती जिले में इटिया से परसुरामपुर-मखौरा-सिकन्दरपुर होते हुए शाहगंज तक पक्की सड़क बनवाने का कोई प्रस्ताव केंद्रीय सरकार से आया है ?

श्री गिरधारीलाल--जी नहीं।

*७५--श्री रणबहादुरसिंह--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि विक्रम जोत से जो हरैया तहसील जिला बस्ती में है एक नई सड़क शाहगंज तक बनायी गई है ? क्या उस जमीन का मुआवजा किसानों को मिल गया है ? क्या यह सही है कि किसान सात साल से उस भूमि का लगान देते आ रहे हैं ?

श्री गिरधारीलाल--प्रथम भाग--जी हां ।

द्वितीय भाग--सूचना एकत्रित की जा रही है ।

तृतीय भाग--सूचना एकत्रित की जा रही है ।

सिरसा ग्राम का धरातल ऊंचा करने के लिये प्रार्थना

*७६—श्री अवधेशप्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें ग्राम सिरसा, पत्रालय भीटी, तहसील-बीकापुर, जिला फैजाबाद के किसानों का दिनांक ३ दिसम्बर, १९५९ का कोई प्रार्थना-पत्र गांव के धरातल के शेष बचे भाग को ऊंचा करने के संबंध में प्राप्त हुआ है ?

श्री गिरधारीलाल—जी हां।

*७७—श्री अवधेशप्रताप सिंह—यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या निर्णय लिया है तथा क्या उन्होंने अधूरे कार्य को शीघ्र पूर्ण कराने की योजना बनायी है ?

श्री गिरधारीलाल—ग्राम सिरसा के धरातल के शेष बचे भाग को ऊंचा करने के आदेश भेज दिये गये हैं।

*७८—श्री अवधेशप्रताप सिंह—यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—प्रश्न नहीं उठता।

पीलीभीत जिले में दुयहा नदी का कटाव

*७९—श्री बालकराम (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला पीलीभीत के अन्तर्गत गर्रा (दूयहा) नदी से कौन-कौन से ग्राम कट रहे हैं और सरकार ने उनकी रोक थाम के लिये अब तक क्या उपाय किये हैं ?

श्री गिरधारीलाल—जिला पीलीभीत के निम्नलिखित ७ ग्राम दुयहा नदी के कटाव से प्रभावित हैं:—

१—सिमरा जागीर, २—हीरापुर दुयोही, ३—किशनी, ४—महुआ, ५—शेरगंज घरमंगदपुर, ६—रढेता, ७—कंधरापुर।

कटाव को रोकने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। क्षतिग्रस्त परिवारों को भूमि प्राप्त करके सुरक्षित स्थानों पर बसाया जा रहा है।

*८०—श्री बालकराम—क्या सरकार को मालूम है कि जिला पीलीभीत में ग्राम शेरगंज, तहसील बीसलपुर गर्रा नदी से हर साल कटता जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उसके दूसरी जगह बसाने का कोई प्रबन्ध किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो किस जगह ?

श्री गिरधारीलाल—ग्राम शेरगंज दुयहा नदी में बाढ़ आने पर कट जाता है। इस ग्राम के वे लोग जिनके घर बाढ़ में बरबाद हो गये हैं निकट के दूसरे ग्राम खिरकिया में भूमि लेकर के बसा दिये गये हैं।

घोसी तहसील में बरसाती पानी के निकास की योजना

*८१—श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पकड़ीताल (तहसील घोसी, जिला आजमगढ़) के अतिरिक्त बरसाती पानी के निकास के लिये जो ड्रेन बनने वाला है उसका कार्य कब से प्रारम्भ होगा ?

श्री गिरधारीलाल—इस ड्रेन का कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ किया जायगा ।

मुहम्मदाबाद तहसील में नलकूपों से सिंचाई

*८२—श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले की मुहम्मदाबाद तहसील की करइल में भूमि में कितने नलकूप लग चुके हैं और किस किस स्थान पर ?

श्री गिरधारीलाल—इस भूमि पर पांच नलकूप लग चुके हैं। जिन स्थानों पर यह नलकूप लगे हैं वे इस प्रकार हैं:—

स्थान का नाम			लगाये गये नलकूपों की संख्या
कुण्डेसर १	..	..	१
रानीपुर	..	..	१
आमघाट	..	..	१
घरजुरी	..	..	१
कुण्डेसर २	..	..	१

*८३—श्री यमुनासिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त सभी नलकूपों से सन् १९५८ और १९५९ में कितनी एकड़ जमीन सींची गई है ?

श्री गिरधारीलाल—इन सभी नलकूपों से कुल मिलाकर १९५८-५९ की खरीफ तथा रबी में क्रमशः १५७ तथा ४२ एकड़ सिंचाई हुई। १९५९-६० की खरीफ में १३७ एकड़ भूमि सींची गई।

*८४—श्री यमुनासिंह—क्या सरकार गाजीपुर जिले के भड़सर, नखतपुर, जलालाबाद दिदोहर (थाना विरनों के निकट) ग्रामों में नलकूप लगवाने के प्रश्न पर शीघ्र विचार करन की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—नलकूप लगाने के लिये सर्वोत्तम स्थानों (best possible sites) की खोज के लिये आवश्यक सर्वेक्षण (survey) किया जा रहा है और इन ग्रामों की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जायेगा ।

कटुवा नाला-दुबहा बाजार सड़क को सरकारी प्रबन्ध में लेने की प्रार्थना

*८५—श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)—क्या सरकार ग्राम कटुवा नाला से दुबहा बाजार, जिला गोंडा में श्रमदान द्वारा बनायी गयी सड़क को अपने हाथ में लेने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारी लाल—इस समय इस सड़क को सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत लेना सम्भव नहीं है ।

फर्रुखाबाद जिले में नलकप योजना

*८६—श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले में कितने ऐसे नलकूप तहसीलवार हैं जो मंजूर हो चुके हैं, लेकिन उनका बनना अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है ?

श्री गिरधारीलाल—फर्रुखाबाद जिले में इस वर्ष (१९५९-६०) ८ नलकूप बनने के लिये स्वीकृत हुये हैं। इनका तहसीलवार वितरण अभी नहीं हुआ है। इन नलकूपों का स्थान निश्चित करने के लिये सर्वे हो रहा है ।

भीरा-पालिया सड़क में अधिगृहीत भूमि का मुआवजा

*८७—श्री शिवप्रसाद नागर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी में भीरा से पलिया जाने के लिये कोई सड़क बन रही है ? यदि हां, तो वह कब से बन रही है और कब तैयार हो जायेगी ?

श्री गिरधारीलाल—प्रथम भाग—जी हां ।

द्वितीय भाग—इस सड़क पर १९५५ ई० में कार्य प्रारम्भ हुआ था । सारदा नदी पर पुल और एप्रोचेज को छोड़कर सन् १९६१ ई० तक इस सड़क के बन जाने की आशा की जाती है ।

*८८—श्री शिवप्रसाद नागर—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि इस सड़क में किसानों की कितनी भूमि पड़ रही है और उसका कुल कितना मुआवजा होता है ?

श्री गिरधारीलाल—सड़क के निर्माण हेतु भूमि इस प्रकार ली जा रही है :

(१) स्थायी तौर से :
७४.९२ एकड़
०.०५८ एकड़

(२) अस्थायी तौर पर :
४३.९३ एकड़

प्रतिकर के काग़जात अभी कलेक्टर के कार्यालय में तैयार किये जा रहे हैं ।

फूलपुर तहसील में छोटी सरजू पर पुल बनाने की प्रार्थना

*८९—श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि क्या अन्तरिम जिला परिषद्, आजमगढ़ ने अपनी बैठक दिनांक २६-१२-५९ में सर्वसम्मति से प्रस्ताव कर सरकार से अनुरोध किया है कि बूढ़पुर से अतरैठ (तहसील फूलपुर), जिला आजमगढ़ में छोटी सरजू नदी पर एक पुल का निर्माण अविलम्ब सरकार की ओर से कराया जाय ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रथम भाग—अन्तरिम जिला परिषद् ने तृतीय पंचवर्षीय योजना में कथित पुल के निर्माण के लिये सरकार को लिखा है ।

द्वितीय भाग—तीसरी योजना बनाते समय उक्त प्रस्ताव पर प्राथमिकतानुसार विचार किया जायगा ।

खीरी जिले के जंगलों से सुविधायें

*९०—श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रति एकड़ प्रति वर्ष जंगलों की आय क्या है और खर्च प्रति एकड़ कितना लगता है ?

श्री सैयद अली जहीर—आय प्रति एकड़ प्रतिवर्ष—६.५० रुपया ।
व्यय प्रति एकड़ प्रतिवर्ष—३.०० रुपया ।

*९१—श्री बंशीधर शुक्ल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला खीरी के जंगलों से जनता को क्या लाभ पहुंचाया जाता है और अन्य जिलों के जंगलों से ब्योरेवार क्या-क्या सहूलियतें जनता को मिलती रहती हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—वांछित सूचना इतनी अधिक है कि उसके इकट्ठा करने के लिये समय और धन खर्च करना सार्वजनिक हित के अनुकूल न होगा ।

बुलन्दशहर जिले में नलकूप तथा माइनर

*९२—श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में १९५८ व १९५९ में कितने नये ट्यूबवेल अथवा माइनर बनाये गये ?

श्री गिरधारी लाल—जिला बुलन्दशहर में सन् १९५८ व १९५९ में बनाये गये नलकूपों तथा माइनरों की संख्या इस प्रकार है :

	१९५८	१९५९
(१) नलकूप	१	१३
(२) माइनर	१	..

गुलावटी के नलकूप को बिजली न मिलना

*९३—श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कस्बा गुलावटी, जिला बुलन्दशहर में एक सरकारी ट्यूबवेल बिजली न मिलने के कारण गत सात वर्ष से बेकार पड़ा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—जी हां। धनराशि की व्यवस्था न होने के कारण नलकूप को बिजली न दी जा सकी। यह नलकूप पीने का पानी देने के लिये सन् १९५४–५५ में बनाया गया था ।

पानी निकास तथा सिंचाई की छोटी योजनायें

*९४—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि चालू वित्तीय वर्ष में ३० नवम्बर, १९५९ तक (१) सिंचाई की छोटी योजनाओं और (२) पानी की निकासी की योजनाओं में कहां–कहां और कितनी–कितनी प्रगति हुई है ?

श्री गिरधारी लाल—सिंचाई की छोटी और पानी की बिजली की योजनाओं पर क्रमशः ३७.२७६ लाख रुपये तथा ३४४.२८ लाख रुपये का कार्य हुआ। इस खर्च का विस्तृत विवरण† संलग्न सूची में दिया हुआ है ।

पीलीभीत को बिजली

*९५—श्री मुनीन्द्रपालसिंह (जिला पीलीभीत)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि शहर पीलीभीत को बिजली किस स्थान से जाती है और माह नवम्बर में, बिजली कहां से दी जा रही है ?

श्री गिरधारीलाल—शहर पीलीभीत को सारदा पावर हाउस से पीलीभीत इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी द्वारा बिजली दी जाती है। सारदा नहर के बन्द हो जाने की वजह से ६ नवम्बर, १९५९ से १९ नवम्बर, १९५९ तक शहर पीलीभीत को गंगा ग्रिड से बिजली दी गई ।

अतारांकित प्रश्न

बदायूं–सहसवान सड़क की मरम्मत के लिए प्रार्थना

१—श्री उल्फतसिंह (जिला बदायूं)—क्या सरकार को पता है कि बदायूं से सहसवान तक सड़क खराब है ? यदि हां, तो इसका क्या प्रबंध करने का विचार है और कब तक ?

†विस्तृत विवरण छापा नहीं गया ।

श्री गिरधारीलाल—प्रथम भाग—इस सड़क के उझानी–सहसवान भाग की दशा अधिक यातायात के कारण खराब है ।

द्वितीय भाग—इसकी मरम्मत के लिये आवश्यक धनराशि का प्रबंध करने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है ।

२–३—श्री उल्फतसिंह—[पांचवें शुक्रवार के लिये प्रश्न ५–६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा की रिहाई के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—मुझे एक सूचना सदन को देनी है ।

श्री अवधेश कुमार सिनहा की गिरफ्तारी दिनांक १८-२-६० को हरगांव गन्ना मिल के गेट पर की गयी थी जिसकी सूचना सदन को दिनांक १९-२-६० को दी गई थी। श्री सिनहा की गिरफ्तारी भारतीय दंड विधान की धारा १४७/३५३ और ३४१/३४२ के अन्तर्गत दो अलग मामलों में की गयी थी। यह दिनांक १९-२-६० को उपर्युक्त दोनों मामलों में जमानत पर छोड़े गये हैं।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा (जिला सीतापुर)—श्रीमन्, इस सम्बन्ध में आप की आज्ञा हो तो निवेदन करूं। छूट कर आ गया हूं लेकिन सूचना बाद में दी गयी है। ये दफायें जब हवालात में बन्द था तो डी० एस० पी० का कर्त्तव्य था कि मुझको कम से कम बतलाता ।

श्री अध्यक्ष—यह अदालती मामला है ।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा—यह मेरे अधिकार की चीज है। डी० एस० पी० से पूछा जाय कि उसने मुझे क्यों नहीं बतलाया ।

श्री अध्यक्ष—पुलिस के अनुदान पर विवाद के समय आप कह लीजियेगा ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। सन् १९५८ में उन्नाव में गिरफ्तार हुआ था। आपने व्यवस्था दी थी कि कोर्ट से छूट कर चले आयेंगे तब यह प्रश्न फिर उठाया जा सकता है। मान लीजिये हम विधान सभा के सदस्य हैं। विधान सभा में कार्यवाही हो रही ह और हम इसमें सम्मिलित होने के लिये आ रहे हैं और किसी मैजिस्ट्रेट या पुलिस कर्मचारी ने हमको गिरफ्तार कर लिया और अनावश्यक ढंग से जेल में बन्द कर दिया और कोर्ट से यह प्रमाणित हो जाय कि हमारी गिरफ्तारी उस समय द्वेषपूर्ण थी, अवैध थी, तो क्या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती कि उनको दंड दिया जाय और हमारी सुरक्षा की जाय ?

श्री अध्यक्ष—उस दिन फैसला किया था। यह सवाल उस समय उठ सकता है। कोर्ट का फैसला हो कि गैरकानूनी तौर से गिरफ्तार किया और यहां आते हुये गिरफ्तार किया, य सब चीज एस्टबलिश हो जायं और फिर प्रश्न रेज किया जाय यहां पर, तो वह दूसरी बात है। लेकिन इस वक्त जब कि मैं यहां सूचना दूं कि कोई सदस्य गिरफ्तार हुये हैं और उसी वक्त ऐसा प्रश्न उठा दिया जाय, यह उचित नहीं है ।

श्री राजनारायण—मेरा ऐसा ही मामला है ।

श्री अध्यक्ष—तो आप प्रश्न रेज करिये।

श्री राजनारायण—मैंने शायद भेजा होगा ।

श्री अध्यक्ष—तो मेरे दफ्तर में आकर आप पूछ लेंगे ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—मैं यह जानना चाहता हूं कि नियम ८४ और ८५ के अनुसार यह है कि एक फार्म बना हुआ है, उसी फार्म में सदस्यों की गिरफ्तारी तथा रिहाई के सम्बन्ध में सूचना सदन को देनी चाहिये। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि डाक्टर अवधेश कुमार सिनहा गिरफ्तार हुये या उनकी रिहाई हुई तो उसी फार्म के मुताबिक सदन को सूचना दी गयी या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी जांच कर लूंगा। फार्म मेरे पास इस समय नहीं हैं, जो सूचना मुझे मिली वह इस वक्त मैंने आपको दे दी ।

खाद्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—यह श्री राजनारायण जी ने एक विशेषाधिकार का प्रश्न नेगी जी के प्रश्न के सम्बन्ध में उठाने का प्रयत्न किया था। उन्होंने सूचना दी थी ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—आपका कल निर्णय हो तो मैं कुछ और मामला आपके सामने रखना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—मैंने सब बयानात देख लिये हैं । प्राइमाफेसी मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मालूम होता कि नेगी जी ने अपने भाषण में कोई चीज छिपाने की कोशिश की हो। बल्कि कुछ छिपाया भी जा सकता होता तो उससे भी ज्यादा उन्होंने कह दिया। उन्होंने कहा था एक अपील आई थी उसे उनके विभाग ने खारिज कर दिया था मामला उसके बाद उनके विभाग का नहीं बल्कि ला एण्ड आर्डर का बन गया है। उन्होंने कहा था कि हमने फैसला दे दिया उसके खिलाफ, जैसा फैसला राजनारायण जी चाहते थे वह नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा कि ला एण्ड आर्डर का प्रश्न जब उपस्थित हुआ तो उन्होंने अपनी जानकारी के लिये जिला अधिकारी से पूछा है, जिनकी रिपोर्ट आती होगी। फिर जो करसपांडेंस श्री रामनारायण त्रिपाठी व कलेक्टर के बीच हुई उससे भी कोई परिणाम ऐसा नहीं निकलता है कि अनेगी जी ने कोई चीज छिपाई। इसलिये मैं प्रश्न उपस्थित करने की इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री राजनारायण—इस सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन कर दूं। नेगी जी बैठे हुये हैं।

श्री अध्यक्ष—आप उनके दफ्तर में जाकर कहियेगा ।

बिहार सरकार द्वारा स्थायी सीमा निर्धारण सम्बन्धी सर्वेक्षण में बलिया जिले की भूमि के कथित अपहरण से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—श्री गौरीशंकर राय ने नियम ५२ के अनुसार एक विषय पर संबंधित माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया है। उसके लिये मैंने जाजत दे दी है। यह इस प्रकार है "उत्तर प्रदेश एवं बिहार की सीमा पर गंगा नदी के किनारे बिहार सरकार द्वारा भूमि का सर्वेक्षण तेजी से हो रहा है। इस सर्वेक्षण में बलिया जिले के किसानों के कब्जे की भूमि के नये कागजात तैयार किये जा रहे हैं जिसमें उक्त भूमि जिला शाहाबाद (बिहार) के किसानों के कब्जे में फर्जी तौर पर लिखा जा रहा है। साथ ही बलिया के गांवों (revenue villages) को काट छांट कर नये काल्पनिक नामों से नये गांवों (revenue villages) के नक्शे बनाये जा रहे हैं। यह सर्वेक्षण निकट भविष्य में होने वाले

स्थायी सीमा निर्धारण के समय उत्तर प्रदेश के किसानों के कब्जे की भूमि को अपहरण करने की पृष्ठ भूमि है। प्रदेशीय सरकार अगर केन्द्रीय सरकार के द्वारा इस सर्वेक्षण पर शीघ्र रोक नहीं लगवा देती तो प्रदेश तथा यहां किसानों की बड़ी भारी क्षति होगी।"

तो यह प्रश्न माननीय माल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करने के लिये उपस्थित किया गया है। माल मंत्री जी इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें।

न्याय मंत्री (श्री हुकुम सिंह विसेन)---एक शार्ट नोटिस क्वेश्चन भी इसी आशय का पूछा गया है। मैंने आदेश दिया है कि कलेक्टर से पूरा हाल दरियाफ्त किया जाय। वहां से इत्तला आने पर मैं २६ तारीख तक अपना बयान दूंगा।

श्री अध्यक्ष---तो २६ तारीख मैं निश्चित किये देता हूं।

श्री रूर्मासिंह द्वारा नियम ५२ के अन्तर्गत दी गई सूचना के विषय में जानकारी की मांग

श्री रूर्मासिंह (जिला शाहजहांपुर)---श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने भी दफा ५२ के अन्तर्गत एक प्रश्न आपके पास भेजा है जो बहुत ही जरूरी है . . . .

श्री अध्यक्ष---यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। नियम ५२ के अन्तर्गत ३-४ प्रश्न मेरे पास आये, उसमें जो सब से महत्व का था उसको मैंने स्वीकार कर लिया।

श्री रूर्मासिंह---मेरा विषय बहुत महत्व का है।

श्री अध्यक्ष---आप अपना फैसला न करें, उसका फैसला मैं करूंगा।

गोरखपुर तथा देवरिया में टेस्ट वर्क मजदूरों को निर्धारित मजदूरी न मिलने तथा उन पर जुर्माना कर देने से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत न्याय मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष---अब श्री उग्रसेन जी का जो प्रश्न था उस पर माल मंत्री जी शायद वक्तव्य देंगे।

न्याय मंत्री (श्री हुकुम सिंह विसेन)---इसमें मेरा निवेदन यह है कि जैसा हमारे भाई उग्रसेन जी ने कहा कि जुर्माना किया गया, तो कोई जुर्माना नहीं किया गया। इसमें कुछ गलतफहमी है। पहले टैस्ट वर्क्स पर इस तरीके से काम होता था कि जो खोदता था मिट्टी उसको १० आने रोज, जो मिट्टी ढोता था उसको ८ आने रोज और जो बच्चे काम करते थे उनको ६ आने रोज मिलता था। उसके बाद वहां के जिलों से यह सिफारिश आयी एमर्जेन्सी रिलीफ कमेटी की कि ब्लाक सेक्शन कर दिया जाय। तो उसके लिये सन् ५९ में एक कामात जारी हुये और वह यह थे कि एक हजार क्यूबिक फीट जमीन खोदने वाले को ७ रुपये दिये जांय। तो यह आर्डर हुआ और निश्चय हुआ कि गांव के प्रधान जिनके हलकों में काम हो उसको नपवा लें और उसी रेट के हिसाब से पेमेंट कर दिया जाय। तो यह आर्डर देवरिया में भी जारी हुआ और गोरखपुर में फरवरी, १९५९ से जारी हुआ था। दोनों जिलों में काम चल रहा था। जहां तक गोरखपुर का ताल्लुक है वहां जितने काम करने वाले हैं उन्होंने इस ब्लाक सिस्टम के हिसाब से पूरा काम लिया, कोई उनको परेशानी नहीं, कोई एजिटेशन नहीं और १ हजार क्यूबिक फीट पर ७ रुपये के हिसाब से उनको पेमेंट हुआ।

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

जहां तक देवरिया, भाई उग्रसेन जी के इलाके का सवाल है, वहां के लोगों ने काम पूरा नहीं किया। उसी हिसाब से उनको पेमेंट कम हुआ। तो आप उसको कहते हैं कि जुर्माना कर दिया गया। जुर्माना नहीं हुआ। यह काहिलो का जुर्माना कर दिया, काम नहीं किया लिहाजा मजदूरी कम मिली। लेकिन फिर भी कलेक्टर, देवरिया ने लिखा है कि वही पुराना सिस्टम १० आने, ८ आने और ६ आने हमने कर दिया है। करें जितना करते हैं। आजाद हैं। जैसा उग्रसेन जी चाहते हैं वैसा हो गया। अब कोई एजीटेशन नहीं। काफी तादाद में लोग काम करते हैं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि जिलाधीश देवरिया ने ३१ तारीख को स्पष्टतः यह आदेश दिया कि मर्द खोदने वाले २०० घन फीट और औरतें १३३ घन फीट, हर हालत में दें ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---इसकी सूचना मुझे नहीं है।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी का ध्यान रिवाइज्ड फेमिन कोड, १९५३ के उस परिशिष्ट की ओर गया है जिसमें लिखा है कि चार आफिसर इस बात का तखमीना लगाएं कि कहां की मिट्टी कैसी है, उसके बाद वर्क असाइन किया जाय, यानी अगर मिट्टी बलुही है तो २०० सौ, या उससे कड़ी हो तो डेढ़ सौ, उससे कड़ी हो तो ११० और उससे कड़ी हो तो ८०, यहां तक कि ६० तक हैं, तो किन कारणों से जिलाधीश देवरिया ने कर दिया कि मर्द २०० देंगे और औरतें १३३ देंगी ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---मैंने तो यह कहा कि मुझको इसकी सूचना नहीं है।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---क्या माननीय मंत्री जो बतायेंगे कि जो यह ठेके के आधार पर काम लिये जाने की व्यवस्था है यह केवल देवरिया के लिये की गयी है या गोरखपुर आदि अन्य स्थानों के लिये यही व्यवस्था की गयी है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---गोरखपुर में भी है। वहां काम स्मूथली चल रहा है।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो नयी व्यवस्था है इससे पहले का जो रेट का एरियर है उसके पेमेंट की कोई व्यवस्था है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---एरियर का क्या सवाल है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि देवरिया में जो प्रबन्ध बदला गया, बदलने से पहले क्या वहां के जिलाधीश ने सरकार की पूर्व स्वीकृति ले ली थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---उनको अधिकार था। मौके पर जो मुनासिब समझें करें।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो बेजेज सिस्टम बदल कर ब्लाक सिस्टम किया गया यह सरकार ने पूरे प्रदेश में कर दिया है कि, जहां जिलाधीश चाहें कर सकते हैं या केवल देवरिया और गोरखपुर के लिये आदेश दिया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---गोरखपुर कमिश्नरी के लिये आदेश दिये गये हैं, वैसे सूचना की आवश्यकता है।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---क्या सरकार को मालूम है कि और किसी स्थान पर असाइंड वर्क न करने पर मजदूरी कटती है या यह पहला उदाहरण है जहां कटौती हुई है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---ऐसी चीजें देवरिया से शुरू होती हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो टेस्ट वर्क का काम है, यह माल विभाग के कर्मचारियों की देख-रेख में होता है या सिंचाई विभाग के ओवरसियर भी इसमें नाप-जोख करते हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---पैमायश का काम शायद करते हों। मैं ठीक नहीं बता सकता।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ६ आने, ८ आने और १० आने मजदूरी देने का जो हर जगह रेट लागू था, तो गोरखपुर, देवरिया में मजदूरों की संख्या क्या थी और उसके बाद जब ७ रुपया हजार ब्लाक सिस्टम गोरखपुर, देवरिया में लागू किया गया तो क्या यह सही है कि मजदूरों की संख्या में ६०, ७० और ८० फीसदी की कमी हो गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---कितने परसेंट की कमी हुई यह बताना मुमकिन नहीं है, लेकिन कुछ कमी जरूर हो गई क्योंकि उसमें काहिल ज्यादा साबित हुए जो काम करना नहीं चाहते थे।

श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)---पूर्वी जिलों में टेस्ट वर्क पर कार्य करने की समस्या प्रति वर्ष उत्पन्न रहती है तो क्या फेमिन कोड में संशोधन करके मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने की सरकार कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इस वक्त तो विचार नहीं है।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी को इस बात का खयाल है कि पहले बहराइच में भी टेस्ट वर्क चल रहा था चार आने छः आ, और आठआने रोज पर, फिर जब मजदूरों ने मांग की तो वह छः आने, आठ आने और दस आने रोज हुई, तो बहराइच में तो उसकी वृद्धि हुई फिर कौन-सी ऐसी बात हो गई कि अकालपीड़ितों की हालत कैसे इतनी अच्छी हो गई कि उनकी मजदूरी १० रुपये हजार कर दी गई १६ रुपये हजार से ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---उसमें ठीक तरह से वह काम नहीं करते थे, लिहाजा काम मुकर्रर कर दिया गया।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी यह आश्वासन सदन को देंगे कि जिस प्रकार सरकार ने पहले यहां नीति निर्धारित की थी कि जिलाधीशों को अलग-अलग अधिकार नहीं दिया जायेगा बल्कि एक केन्द्रीय नीति यहीं से जारी की जायगी, तो क्या वही नीति जारी करने की कृपा करेंगे कि यहीं से सारी नीतियां और मजदूरी वगैरह मुकर्रर हो ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---हालात अगल-अलग हैं। नैनीताल की हालत अलग है, देवरिया की अलग है, बहराइच की अलग है। इसलिये एकसां सब जगह के लिये नहीं हो सकता। एक यूनीफार्म ब्लाक सिस्टम लगा दिया गया तो देवरिया वाले चिल्लाने लगे। तो जैसी जहां जरूरत हो उसके मुताबिक करना मुनासिब होता है। हर जगह के लिये एक सी नीति नहीं हो सकती।

बद्रीनाथ मंदिर कमेटी के दो सदस्यों के निर्वाचन-कार्यक्रम का रद्द किया जाना

श्री अध्यक्ष---यह बद्रीनाथ टेम्पिल कमेटी के लिये दो सदस्यों का चुनाव होना था। तो यह प्रश्न यहां पर सदन में गलती से रख दिया गया। जो इस सम्बन्ध का अधिनियम है उसके अनुसार उसके सदन में आने की आवश्यकता नहीं थी। उसमें दिया हुआ है कि इसके चुनाव के सम्बन्ध में सरकार नियम बनायेगी। वह नियम भी बन चुके हैं। उसके अनुसार जब सरकार यह कहेगी कि अब अमुक जगह खाली होने वाली है उस वक्त सेक्रेटरी, विधान सभा यह सूचना देंगे सदस्यों को १४ रोज पहले कि नामजदगी किस प्रकार की होगी। तो यहां पर चूंकि यह प्रस्ताव पास हो गया था कि मैं समय निर्धारित करूं, तो एक साधारण जैसी समितियां होती हैं उनके लिये जो तरीके होते हैं, उसी तरह से तारीख वगैरह मैंने मुकर्रर कर दी। अधिनियम तथा नियमों की ओर ध्यान नहीं गया और उसका नतीजा यह हुआ कि १४ रोज का नोटिस नहीं दिया गया जो कि देना चाहिये था। दूसरी चीज यह हो गई कि जो सूक्ष्म परीक्षा होती है उसके लिये नियमों में दिया हुआ है कि वापसी की तारीख सूक्ष्म परीक्षा के पहले ही होनी चाहिये। इस तरह से उसके नियम अलग हैं। सूक्ष्म परीक्षा की तारीख दो चार रोज बाद रखी जाती है और उसी बीच में जिनको अपना नाम वापस करना हो वह वापस कर लेते हैं। हमने यही नियम चलाया था कि पहले सूक्ष्म परीक्षा कर दी जाय उसके बाद विद्ड्राअल की तारीख रख दो। तो वह सब नियमों के अनुसार अवैध हो गया। इस तरह से वह सभी कार्यवाही चूंकि अवैध हुई है इसलिये मैं सदन को यह सूचना दे देना चाहता हूं कि रिटर्निंग आफिसर चूंकि अधिनियम में ही मुकर्रर है और सूचना उन्हीं के द्वारा देना चाहिये, सदन में इसे आना नहीं चाहिये था, इसलिये फिर से इसकी कार्यवाही प्रारम्भ से ही होगी। यानी रिटर्निंग आफिसर नोटिस देंगे, तारीख निश्चित करेंगे, १४ रोज का कम से कम नोटिस होगा। उस रोज नामिनेशन होगा और उसके बाद वह एक तारीख मुकर्रर करेंगे। तब सूक्ष्म परीक्षा होगी। तो यह मेरा उनको सुझाव होगा कि २,४ दिन बाद सूक्ष्म परीक्षा की तारीख निश्चित हो जिससे इस बीच में उन लोगों को मौका मिल जाय नाम वापस लेने का। अभी तक जो कार्यवाही हुई है वह अवैध होने के कारण रद्द की जाती है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---मैं एक बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि पहले भी जब बदरीनाथ टैम्पिल की समिति का चुनाव हुआ तो वह भी इसी प्रकार से अवैध प्रणाली के अनुसार हुआ जो कि आपने अभी अवैध घोषित की है, तो मैं समझता हूं कि उसके लिये एक वैलिडेटिंग बिल लाया जाय तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष---उसका क्या परिणाम होगा यह तो आप समझ सकते हैं। किन्तु अब तो यह खत्म हो रहा है और नया चुनाव हो रहा है। पहले के लिये यदि कोई अदालत में जाय और कहे कि उस सम्बन्ध में जो कार्यवाही हुई है वह गलत हुई है तब शायद वैलिडेटिंग बिल को लाने की जरूरत होगी। इस कारण सोते हुए लोगों को क्यों जगाया जाय।

नई सदस्य सूची के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि १ जनवरी, सन् १९६० से संशोधित, किन-किन दलों से कौन-कौन माननीय सदस्य सम्बन्धित हैं, उसकी एक सूची आज हमारी टेबिल पर मिली है। उसमें विभिन्न पार्टियों के अलग-अलग नाम दिये हुये हैं और उनके सामने उनकी संख्या दी हुई है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह लिस्ट किस बुनियाद पर तैयार की गई? क्या उन सभी सदस्यों से पूछ लिया गया कि आप लोग किस-किस दल से सम्बन्धित हैं या नेता विशेष से कोई लिस्ट मांग ली गई थी, क्योंकि यह जो लिस्ट है उसमें कुछ हमें दोष दिखाई पड़ता है।

श्री अध्यक्ष---वह हमने नेताओं से मांगी थी वेरिफिकेशन के लिये, तो चूंकि उसमें अभी तक किसी ने आक्षे प नहीं किया, इसलिये सदस्यों के नाम उसी तरह लिख दिये गय हैं।

श्री राजनारायण---मैं समझता हूं जरा उन सदस्यों से पूछ लिया जाय कि वह किस दल से सम्बन्ध रखते हैं ।

श्री अध्यक्ष---उसका पता लगा लिया जायगा क्योंकि यह तो मालूम नहीं होता कि सबने गलत दिया होगा। अगर किसी के बारे में मालूम हो कि इसमें यह गलत दिया है और वह उस पार्टी का नहीं है जिसका नाम लिस्ट में दिया है और उनको एतराज हो, तो वह मुझे इसकी सूचना दे दें ।

रुड़की यूनिवर्सिटी सिनेट के लिए नाम निर्देशित सदस्यों के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष---रुड़की यूनिवर्सिटी सिनेट में कार्य करने के लिये विधान सभा के ४ सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में ११ अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन-पत्र (सूची संलग्न) नियत समय के भीतर प्राप्त हुये हैं। इन नाम निर्देशन-पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा दिनांक २२ फरवरी, १९६० की गयी और सब अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्र ठीक पाये गये हैं। अतः निवेदन है कि यदि दिनांक ४ मार्च, १९६० के सायंकाल ५ बजे तक अतिरिक्त नाम वापस न ले लिये गये तो मतदान दिनांक १९ मार्च, १९६० को १२ बजे से ५ बजे तक विधान वाचनालय में होगा।

नाम इस प्रकार हैं---

१---श्री गंगा प्रसाद सिंह	..	..	बलिया
२---श्री तेज बहादुर सिंह	..	..	आजमगढ़
३---श्री यशपाल सिंह	..	..	सहारनपुर
४---श्री काशीप्रसाद पांडेय	..	..	सुल्तानपुर
५---श्री लोकनाथ सिंह	..	..	वाराणसी
६---श्री राजेन्द्रसिंह	..	..	मुजफ्फरनगर
७---श्री रणबहादुर सिंह	..	..	बस्ती
८---श्री अहमद बख्श	..	..	मुजफ्फ रनगर
९---श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल	..	..	प्रतापगढ़
१०---श्री कैलाशकुमार सिंह	..	..	बदायूं
११---श्री आचार्य जुगुलकिशोर	..	..	मथुरा

खाद्य और रसद साहित्य को विलम्ब से वितरण करने पर आपत्ति

श्री अमरनाथ---अध्यक्ष महोदय, मैं एक वैधानिक प्रश्न उठाना चाहता हूं । यह खाद्य और रसद का जो कार्य विवरण है वह आज हम लोगों के कमरे में भेजा गया है । अगर यह कल भेज दिया गया होता तो जो बहुत से माननीय सदस्य बोलने वाले थे, वह पहले से पढ़कर तैयार हो जाते। लेकिन आज श्री न्, यह हमारे कमरे में भेजा गया है इससे हम लोगों को पढ़ने में असुविधा हुई---मैं इसके लिये व्यवस्था चाहूंगा कि भविष्य में ऐसी चीजें न हों। अत : उसके लिये आप कोई व्यवस्था दें ।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि जहां तक संभव हो एक रोज पहले अगर आदरणीय सदन के सदस्यों को ऐसी चीजें मिल जायं तो अच्छा हो। क्योंकि मेरे पास देर से यह आयी इसलिये मैंने आज इसे बांटा। (खाद्य मंत्री से) आप के यहां यह पहले छप कर आयी होगी, इसलिये इनको पहले यहां आ जाना चाहिये ।

१९६०--६१ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--- अनुदान संख्या ३३---लेखा शीर्षक : ४७---खाद्य और रसद संगठन तथा अनुदान संख्या ५४---लेखा शीर्षक : ८५--- क---राज्य व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत

श्री अध्यक्ष--अब अनुदानों पर विचार प्रारम्भ होगा। (खाद्य मंत्री से) क्या आप दोनों अनुदान एक साथ रखेंगे ?

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)---जी हां ।

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय कि सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३३---खाद्य और रसद संगठन---लेखा शीर्षक ४७--प्रकीर्ण विभाग के अन्तर्गत ६३,६३,१०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय ।

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५४---राज्य व्यापार की योजनायें---लेखा शीर्षक ८५-क--राज्य व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत (capital outlay) के अन्तर्गत २६,७८,१३,२०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय ।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर माननीय सदन का समय नहीं लेना चाहता हूं । जो कुछ भी होगा, बाद में उत्तर दूंगा। केवल एक बात खुशी की सुना दूं कि पिछली मर्तबा झारखंडे राय जी ने एक अल्पसूचित तारांकित प्रश्न पूछा था कि क्या इस वक्त कीमतें बढ़ रही हैं। तो मैंने कहा था कि हां। उनका कुछ ट्रेन्ड ऐसा है कि बढ़ रही हैं। मगर गत दो दिनों से वह गिरती चली जा रही हैं और यह घटना ऐसी है कि जो किसी साल भी फरवरी के महीनें में नहीं होती। इस अवसर पर कीमतें ऊंची रहती हैं, घटती नहीं। लेकिन अब उनके घटने का ट्रेन्ड आ गया है और एक रुपया घट भी गयी हैं ।

जहां तक स्टाक पोजीशन का सवाल है यह सब को विदित है कि हमारी बड़ी सुदृढ़ पोजीशन है। कई माननीय सदस्यों से अलग-अलग बात करने का मुझे मौका मिला। वे सब अलग-अलग तो बधाई देते हैं लेकिन हाउस में पता नहीं उन्हें क्या हिचकिचाहट होती है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)-- अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि यह कीमतें कितनी गिरी हैं ? और कहां ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--अध्यक्ष महोदय, जब हमने नयी दूकानें खोलीं और देखा कि औसत तौर पर पिछले समय में और इस समय में ९.३९ पैसे का फर्क है.....

श्री अध्यक्ष---वह सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि कीमतें कितनी गिरी हैं ।

श्री जगमोहन सिंह नेगी---लगभग एक रुपये के करीब ।

श्री अध्यक्ष---अब रामायणराय जी भाषण करेंगे। आप के लिये ३० मिनट हैं।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)---मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से अनुदान संख्या ३३---खाद्य और रसद संगठन---लेखा शीर्षक : ४७, तथा अनुदान संख्या ५४---राज्य व्यापार की योजनायें---लेखा शीर्षक : ८५-क, में एक-एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव करता हूं ।

इसके पूर्व कि मैं इस विभाग के अन्य कार्यों की चर्चा करूं यह कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी ने यह उचित नहीं समझा कि अनुदानों को प्रस्तुत करते समय अपने विभाग के कार्यों के संबंध में कोई भाषण दते ।

उनके द्वारा जो पुस्तिका भी हम लोगों को दी गयी, जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य ने कहा, आज प्रातः काल आज के कार्यक्रम की जो यह सूची है उसके साथ हमको बांटी गयी। मंत्री जी, पिछले दो दिनों में जो अनाज के भाव में कमी हुई है उसके संकेत को व्यक्त करके ऐसा शायद समझ बैठे कि आज हम लोगों को उसी खुशी में इस विभाग के अन्य मसलों के ऊपर विचार करने की ही शायद आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि अन्न की समस्या, जो हमारे देश की सब से बड़ी समस्या है, उसके ऊपर सदन में जिस समय विचार होने वाला हो, इस तरह के छोटे-मोटे क्षणिक प्रसन्नता के समाचार हमको सुना करके इस विषय के महत्व को कम करने की चेष्टा उनको नहीं करनी चाहिए थी। सबसे पहले आज उनके द्वारा बाजार पर नियंत्रण करने के लिए जो सस्ते गल्ले की दूकानें चलायी जा रही हैं उनमें किस प्रकार का अनाज मंत्री जी गांव के गरीब आदमी को खाने के लिए दे रहे हैं, मैं उनकी सेवा में उस अनाज के कुछ नमूने लाया हूं, उसे भेज देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इन नमूनों को देखकर ही समझ सकते हैं कि उनकी व्यवस्था से गांव के लोगों को कितना लाभ हो रहा है।

श्री अध्यक्ष––यहां पर तो जांच होगी नहीं। आप भेज दीजिए मेरे यहां, मैं उनके यहां भेज दूंगा।

(श्री रामायण राय ने अनाज के नमूने स्वयं मंच पर जाकर श्री अध्यक्ष के सम्मुख प्रस्तुत किये।)

मैं समझता हूं कि आदरणीय सदन में सदस्यों को कोई चीज लाकर यहां रखने की जरूरत नहीं है। अगर कोई चीज भिजवानी है तो मैं किसी को भेज दूंगा उनके पास, उनको खुद मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। वह अपने स्थान से ही भाषण देते रहें।

श्री रामायणराय––मान्यवर, आपको स्मरण होगा, मैं समझता हूं कल की ही बात थी, यहां चर्चा हुई थी कि सड़ा हुआ अनाज सस्ते गल्ले की दूकानों पर वितरित किया जा रहा है और आटे में सोप-स्टोन मिलाने की शिकायत आ रही है। मैं समझता हूं कि इस व्यवस्था का सबसे बड़ा लक्ष्य यह है कि जनता को स्वस्थ और अच्छा अनाज उसकी आवश्यकता के अनुरूप मिल सके। तो आंकड़ों की चर्चा करने के पहले, क्योंकि आंकड़ों के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री ने कहा है कि वह भी एक प्रकार का झूठ ही होता है, मैंने आवश्यक समझा कि इन नमूनों को मंत्री जी की सेवा में भेज दूं। वह देख लें कि ग्रामीण भाइयों को वह क्या दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष––मैं समझता हूं कि जब ऐसी चीज आप करते हैं तो पुड़िया के ऊपर, किस दूकानदार से आपने वह अनाज पाया, किस शहर से, वह भी होना चाहिए, वर्ना चाहे जहां से लोग इकट्ठा कर सकते हैं।

श्री रामायणराय––उसकी सूची मेरे पास है। मैंने अभी हाल में जाकर इकट्ठा किया है और मंत्री जी ने आपके समक्ष कबूल किया था कि सड़े हुये चने की शिकायत मेरे पास आयी है।

तो मैं आप की आज्ञा से इस विभाग द्वारा जो आंकड़े हमको दिये गये हैं इस बजट साहित्य में उनकी तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। प्रारम्भ में यह अनुमान लगाया गया था कि ३८ करोड़ ८ हजार १६ रुपये की व्यवस्था की गयी थी। यह आशा की गयी थी कि ३४ करोड़ २ हजार ९३३ रुपया प्राप्त होगा। लेकिन हुआ क्या? कुल २६ करोड़ ७,८१४ रुपया खर्च हुआ और उससे प्राप्ति हुई २७ करोड़ ४ हजार १२१ रुपये की। प्रारम्भ में लगभग ४ करोड़ के घाटे का अनुमान किया गया था, लेकिन जो वास्तव में खर्च हुआ

[श्री रामायण राय]

और उससे जो प्राप्ति हुई उसके अनुसार मुनाफा ही हुआ। ऐसा क्यों हुआ ? इसके सम्बन्ध में जो साहित्य हमारे सामने है उनको देखने से भी यह पता चलता है कि एक जगह यह लिखा है, बजट साहित्य में कि इस वर्ष में अन्न की फसल आशा के अनुरूप नहीं हुई और इसका आने वाले वर्ष में विपरीत प्रभाव पड़ा। दूसरी तरफ, जो साहित्य वितरित किया गया है उसमें यह लिखा है कि इस वर्ष उत्पादन में वृद्धि होने पर भी बाजार में उस परिमाण में अन्न नहीं आया। एक जगह लिखा है कि उत्पादन में वृद्धि हुई और एक जगह लिखा है कि उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई। यह भी कहा गया है कि खाद्यान्न जितनी मात्रा में हम उम्मीद करते थे उतना बाजार में नहीं आया।

प्रारम्भ में यह भी कहा गया है कि खाद्यान्नों के उत्पादन के फलस्वरूप सन् १९५८–५९ में उनके भाव सामान्यतः ऊंचे रहे। चालू वित्तीय वर्ष में खाद्यान्न की स्थिति सामान्यतः संतोषजनक रही। जहां तक मेरा खयाल है, अगर इन आंकड़ों के ऊपर जो नतीजे आप निकालते हैं उन नतीजों को ध्यान से देखें तो सब से पहला नतीजा हमारे सामने यह आता है कि जो १२ करोड़ रुपयों का कम गल्ला आपने खरीदा उसका कारण यह था कि आप ने जो स्टेट ट्रेडिंग की चर्चा की उसके संबंध में कोई रूपरेखा तैयार नहीं की। उसकी रूपरेखा निश्चित न होने के कारण बाजार में एक सनसनी सी फैल गयी। इस घोषणा से दूकानदार गल्ला छिपाने लगे और समझने लगे कि न जाने आप क्या करने जा रहे हैं। उन्होंने सीधा-सीधा यह सोचा कि उनका सारा धंधा उनके हाथ से आपके हाथ में चला जायेगा। वे सोचने लगे कि आपने ऐसा क्यों किया ? हालांकि स्टेट ट्रेडिंग का जो आपका लक्ष्य था वह यह नहीं था। मैं जानता हूं कि अपने ही देश में नहीं उन देशों में भी जहां गल्ला पर्याप्त मात्रा में पैदा होता है, जैसे कैनाडा और आस्ट्रेलिया में, वहां पर खाद्यान्न के क्षेत्र में पूरी-पूरी व्यवस्था सरकार के नियंत्रण में मिलेगी। श्रीमन्, कैनाडा में चाहे एक्सटर्नल प्राइस हो या इंटरनल प्राइस हो, दोनों ही उद्योग क्षेत्रों में स्टेट की ही मानोपोली होती है। जैसे ही आप ने घोषणा की, लोगों ने देखना शुरू किया कि कहां-कहां स्टेट ट्रेडिंग है ? उन्होंने देखा कि कैनाडा और आस्ट्रेलिया में इस तरह की व्यवस्था है तो यहां भी वही होने जा रहा है। इसका लोगों पर ग़लत प्रभाव पड़ा।

इसके अलावा आपने जितने रुपये का गल्ला खरीदने के लिये अनुमान किया था, उस रुपये का आप ने उपयोग नहीं किया। आपने कहा कि इस कारण रुपये का उपयोग नहीं कर सके क्यों कि अनाज पर्याप्त मात्रा में बाजार में नहीं आया। अब अनाज बाजार में किस रूप में आया उसे आप के ही द्वारा दिये हुये आंकड़ों में हम देखें तो ऐसा पाते हैं कि जब अनाज पैदा हुआ, यानी जब गेहूं का सीजन था अप्रैल और मई में, उस समय तो गेहूं बहुत कम मात्रा में बाजार में आया और जिस समय सीजन समाप्त हो रहा था दिसम्बर और जनवरी में, उस समय काफी मात्रा में आया। पिछले साल से अगर देखा जाय तो मई से लेकर नवम्बर के पहले तक जो अन्न बाजार में बिक्री के लिये आता रहा उसकी स्थिति अजीब सी थी। हर महीने माइनेस रही है सन् १९५८ के मुकाबिले में सन् १९५९ में कम अन्न आया यह आप के आंकड़े स्वयं बताते हैं। आप की आज्ञा से मैं मंत्री जी की सेवा में निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हुआ, इसके लिये उनको सोचना चाहिये। मेरा तो तर्क यह है कि ऐसा केवल इस लिये हुआ कि जो उत्पादक हैं और जो खरीदने वाले हैं, दोनों आप के अव्यवस्थित विचार से और आपकी अनिश्चित योजना के कारण घबरा गये और उस घबराहट में अनाज को बाजार में आने से रोक दिया लेकिन ज्यों-ज्यों समय बीतता गया और आप की असलियत उनको पता चलती गई, उनको थोड़ा साहस हुआ और उन्होंने बाजार में अनाज भेजना शुरू किया।

जहां तक केन्द्रीय सरकार का सवाल है, वहां से भी जितना अनाज आपको मिलना चाहिये था उतना नहीं मिला। इसके अलावा आप की जो दूकानें हैं, जोकि आपने इस राज्य में एक छोर से दूसरे छोर तक काफी मात्रा में बिछा रखी हैं, उनके भी सम्बन्ध में और उनकी कार्यविधि के सम्बन्ध में मैंने देखा तो वहां भी एक अजीब नीति आप की मिलती है। आप उन

दूकानदारों को बाध्य करते हैं कि अगर तुमको गेहूं बेचना है तो उसके साथ-साथ इतना चना भी बेचो। चाहिये तो यह था कि आप सारे राज्य का सर्वे कराते और देखते कि किस इलाके की फूड हैबिट क्या है, लोग किस तरह का अन्न खाते हैं और उसी के अनुसार आप अनाज सप्लाई करते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया।

मंत्री जी ने प्रदेश में एक सिरे से दूसरे सिरे तक तमाम दूकानें खोल दीं और आदेश दिया कि इतना गेहूं, इतना चना और इतना मोटा अनाज बेचो और वहां के लोगों की फूड हैबिट जानने की उन्होंने चेष्टा नहीं की। मैं तो समझता हूं कि फेयर प्राइस शाप्स जो आप चलाते हैं उनमें अच्छे अनाज और खराब अनाज दोनों के मूल्य अलग-अलग साफ होने चाहिये। आज इन दूकानों का सबसे बड़ा लक्ष्य यह है कि आप उन लोगों को सस्ता गल्ला दें जो वास्तव में अन्न के बिना आज परेशान हैं। लेकिन क्या आपने कोई ऐसी योजना बनाई या कार्ड्स बंटवाये जिससे कि उन लोगों को जो साधारण लोगों से सस्ता अनाज मिल सके? मेरा मतलब यह है कि १० वर्ष से नीचे के बच्चे हैं, उनके पालने वाली मातायें, बीमार लोग तथा जो असमर्थ लोग हैं, ऐसे लोगों को कोई ऐसे कार्ड बंटे जिससे उनको सस्ता अनाज मिल सकता? ऐसा नहीं हुआ। बल्कि होता यह है कि तीन तीन, चार चार मील, से एक दो रुपये के अनाज के लिये एक आदमी दूकान पर आता है और वह भी मजदूर होता है। दुकान पर पहुंचता है और मुश्किल से एक रुपये का अनाज मिलता है और वह भी दिन भर खराब करने के बाद। फिर कभी वह दूसरी बार दुकान पर लौट कर नहीं आता है, इसलिये कि सारा दिन खराब करने के बाद उसको दो रुपये का गल्ला मिलेगा और वह भी जैसा वह चाहेगा वैसा नहीं बल्कि अगर एक पये का गेहूं मिलेगा तो तीन पये का चना भी उसे लेना पड़ेगा जिसका कि नमूना मैंने मंत्री जी की सेवा में समर्पित किया। तो इसका परिणाम यह होता है कि लोग इन दूकानों से गल्ला खरीदना बन्द कर देते हैं और इसको मन्त्री जी मुंशी जी के हिसाब से समझ लेते हैं—मुंशीजी के हिसाब की कहानी मैं यहां पर नहीं दोहराना नहीं चाहता—कि लोगों ने खरीदना इस वजह से बन्द कर दिया है कि उनको अब अनाज की जरूरत नहीं रह गई है। मन्त्री जी सर्वे करायें जांच करायें, दुकानों की वर्किंग के बारे में, तो पता चलेगा कि दूकानदार आज बेचारे इसलिये परेशान हैं कि अगर उनको दुकान चलानी है तो आपके गेहूं कि साथ आप का सड़ा हुआ चना भी लेना पड़ेगा और खरीदार इसलिये परेशान है कि वह जितना चाहे और जितने समय में चाहे उतना और उतने समय में उस को अन्न नहीं मिल पाता है।

श्रीमन्, सस्ते गल्ले की दूकानों का जो लक्ष्य था वह लक्ष्य इस व्यवस्था के रहते हुए कभी भी पूरा होने का नहीं है। आप चाहे जो भी कारण समझ लें, आज प्रत्येक आदमी जो इन दूकानों से सुविधा प्राप्त करता है, वह जानता है कि इन दूकानों की हालत क्या है। आपको यह चाहिये था कि इन दूकानों के साथ वहां के स्थानीय अधिकारियों की और वहां की जनता के प्रतिनिधियों को लेकर एक कमेटी बनाते जो उसके वितरण इत्यादि के सिलसिले में विचार करती। लेकिन यह नहीं किया गया। दूकानदार गल्ले को लाता है आपके इस कानून के तहत, लेकिन उसको तो एक ही आदमी के हाथ बेचने में सुविधा होती है। अब गरीब आदमी तो गल्ला परेशानी के कारण लेता नहीं है, इधर उस दूकानदार को अपना कोटा पूरा करना पड़ता है, इसके लिये वह फर्जी हिसाब बनाता है। क्या आपने इन दूकानों की जांच के लिये कोई समिति बनायी? जो समिति उसके वितरण और कार्यकलाप की जांच करती और उसकी व्यवस्था करती वही समिति गरीबों को और मोहताजों को गल्ला दिलवाती।

आपने इस पुस्तक में लिखा है कि आपने जिला स्तर पर कोई ऐसी कमेटी बनायी है जो गल्ला बटवाने और शिकायतों को देखने का काम करती है, लेकिन मैं भी एक जिले

[श्री रामायण राय]

से आता हूं, मुझे नहीं मालूम कि वह कमेटी कहां फंकशन कर रही है। हमने बार बार जिलाधीश और सप्लाई आफीसर से निवेदन किया कि हमारे यहां का इलाका बिहार से लगा हुआ है, कारीडोर की समस्या है, वहां आपने प्रतिबन्ध लगा रखा है, इधर उधर कोई अनाज आ जा नहीं सकता। उस प्रतिबन्ध को लगाते समय आप को यह ध्यान रखना चाहिये था कि वहां के नागरिकों की आवश्यकता के अनुरूप उन्हें कहां से अन्न मिल सकता है। उनको अनाज देने के लिये प्रचुर मात्रा में दूकानें खोलनी चाहियें थीं। मेरा क्षेत्र खुद बिहार की सीमा पर है। वहां आपने कारोडोर एरिया का काला कानून लगा रखा है। मन्त्री जी भी वहां गये थे और दूकानें खोलने का उन्होंने आश्वासन दिया था लेकिन उसके बावजूद भी बरसों बीत गये, लेकिन कोई दूकान बढ़ाने की कृपा नहीं की गई। इसके बजाय एक बेढंगा आदेश पहुंच गया है। हमारे जिले के बगल में नैपाल है, वहां से चावल आता था। वहां से आने वाला बहुत सा चावल पकड़ रखा है। वहां के लोग जो नेपाल से चावल खरीद कर खाते थे उस पर रोक लगा दी है। हजारों गाड़ियां लदी हुई गिरफ्तार हैं। खाद्य मंत्री जी से कहा गया कि उसकी व्यवस्था कीजिये लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई। लखनऊ में बैठे-बैठे आदेश देते चले जाते हैं। उनको पहले देखना चाहिये था कि वहां के लोगों की रिक्वायरमेंट्स कैसे पूरी होती थीं, उसकी जांच होती और उसके अनुरूप व्यवस्था होती। मैंने अशोक मेहता खाद्यान्न समिति की सिफारिशों में भी देखा। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह के आदेश जारी होते हैं तो उस डेफिसिट एरिया को सप्लाई किस प्रकार से हो, इसकी व्यवस्था होनी चाहिये। लेकिन आदेश निकाल दिये जाते हैं और इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होती है। लट्ठे का अनाज रुका पड़ा है। शरीर को अन्नमय कोष कहा गया है। यह हमारे जीवन से बड़ा भारी संबंध रखता है। इसलिये इस समस्या का हल निकालना ही चाहिये।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---श्रीमन्, माननीय खाद्य मंत्री जी से मैं यह पूछना चाहता हूं कि उन्होंने यह तो बतलाया कि गल्ले का भाव गिर रहा है मगर यह नहीं बतलाया कि लोहे का भाव गिरा या नहीं, कपड़े का भाव गिरा या नहीं। श्रीमन्, पूर्ति विभाग के सम्बन्ध में भी अनुदान पेश है सलिये मैं पूछ रहा हूं कि कृपा कर के वे बतलावें कि लोहे, कपड़े तथा मिट्टी के तेल का भाव कितना गिरा है ?

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं ?

श्री मदनगोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अनुदान माननीय खाद्य मंत्री ने उपस्थित किया है उसका मैं समर्थन कर रहा हूं। जो बड़ा भारी कार्य माननीय खाद्य मंत्री जी के जरिये हो रहा है उसके लिए करोड़ों आदमियों का आशीर्वाद सरकार को प्राप्त हो रहा है। हमारे प्रदेश के खासतौर से नौकरी पेशा लोग और साधारण आमदनी वाले लोग इस बात के लिए सरकार के बहुत ही कृतज्ञ हैं कि उसने ऐसी व्यवस्था की है जिससे उनको सस्ता अनाज प्रदेश में उपलब्ध हो रहा है और इस महंगाई के जमाने में उनको थोड़ी सी सहूलियत मिल रही है।

यह अनाज का वितरण पहले शहरों में ही होता था, लेकिन सरकार ने विशेष परिस्थितियों के अन्दर देहातों में भी सस्ते अनाज की दूकानें खोली हैं जिससे देहात के लोगों को भी काफी फायदा हो रहा है। इस तरीके से प्रदेश के करोड़ों लोगों को इस योजना के जरिये लाभ मिल रहा है जिससे उन्हें सहूलियत मिल रही है। जनता इस बात का अच्छी तरह से एहसास करती है कि सरकार की तरफ से एक ऐसी व्यवस्था चलायी गयी है जिससे कहीं भी कोई आदमी अन्न की महंगाई की वजह से या अन्न की कमी की वजह से भूखों न मरने पावे। यह जो अन्न वितरण की व्यवस्था चल रही है तथा देहातों में जो दूकानें खोली गयी हैं, वहां जनता की शिकायत के साथ-साथ दूकानदारों की भी कुछ शिकायतें हैं। जैसे फैजाबाद जिले के अकबरपुर गोदाम में सैम्पुल ही नहीं लिया जाता है और खराब अनाज सप्लाई किया जाता है, ऐसी कुछ विशेष शिकायतें हैं।

दूकानदारों की और भी कुछ ऐसी भी शिकायतें हैं। जैसे ट्रेज़री में पैसा जमा करने की बात है, वहां हजार दो हजार रुपया जमा करा लिया जाता है और उसके दूसरे ही दिन ऐसा आर्डर जाता है कि कल को चना नहीं दिया जायेगा। यद्यपि कल २१ तारीख को चने के लिये पैसा जमा किया गया है और २२ तारीख को चना मिलना चाहिये था, लेकिन जब वह चना लेने जाता है तो कह दिया जाता है कि स सप्ताह चना नहीं मिलेगा। तो वह पया फंस जाता है और उसके लिये जो बिल पेश किया जाता है वह भी बहुत दिनों के लिये फंस जाता है। इसी तरह से बहुत सी कोआपरेटिव सोसाइटीज का पैसा भी फंस जाता है। इसी तरह से दूकानदारों को एक बहुत बड़ी शिकायत यह है कि इश्यू गोदाम से दूकान तक का भाड़ा जो सरकार से मिलना चाहिए उसके लिए जब दूकानदारों की तरफ से बिल जाता है तो सालों हो जाते हैं, वह स्वीकार होकर मंजूर नहीं होता है। दूकानदारों के साथ-साथ बहुत सी कोआपरेटिव सोसाइटीज की तरफ से बहुत सी दुकानें चलायी जाती हैं जिनका हजारों रुपया भाड़े की शक्ल में बहुत दिनों तक पड़ा रहता है और जल्दी नहीं मिल पाता है। इसके लिए अब दूकानदार सप्लाई आफिस आते हैं तो वहां वाले कहते हैं कि आर० एफ० सी० के यहां जाओ और जब वे आर० आफ० सी० के यहां जाते हैं तो वहां वाले कहते हैं कि सप्लाई आफिस जाओ, लेकिन उसकी व्यवस्था कहीं नहीं होती है और उस भाड़े की स्वीकृति में सालों लग जाते हैं? ऐसी तो स्थिति है। और कभी-कभी दूकानदारों को कुछ ऐसा विचित्र आर्डर मिलता है, जैसा कि पिछले सप्ताह आर्डर हुआ कि १ रुपये में सवा ९ आने का तो गेहूं दिया जायगा और पौने सात आने का फलां अनाज दिया जायगा। इसका हिसाब लगाने में दूकानदारों को भी उलझन होती है और खरीदार भी समझ नहीं पाता कि पौने नौ आने का हमें गेहूं दिया गया या सवा सात आने का। इस तरह के आर्डर से बड़ी कठिनाई हुआ करती है। तो मैंने संक्षेप में दूकानदारों की थोड़ी सी कठिनाई आप को बतला दी।

बड़ा झगड़ा कभी-कभी यह पड़ता है कि मार्केटिंग आफिसर जो है वह तो अपने को ऊंचा अफसर समझते हैं और वह न तो सप्लाई अफसर की आज्ञा को मानते हैं और न डिप्टी कमिश्नर की आज्ञा को मानते हैं और अपने को सुपरह्यूमेन समझते हैं और हमेशा रोड़े अटकाये जाते हैं जिन के कारण काम सुचारु रूप से नहीं चलता। तमाम तरह की शिकायतें होती हैं लेकिन जो शिकायतें अनाज के समय से न मिलने के कारण होती हैं उनसे जनता को बहुत कष्ट होता है। अगर किसी दिन अनाज नहीं पहुंच पाता तो उस के उपलक्ष में जनता को कठिनाई होती है कि उस को उस पीरियड का कोटा नहीं मिलता, दूकानदार भी बिक्री के नफे से वंचित रह जाता है।

इस तरह से जो दूकानदारों और जनता की शिकायतें रहती हैं उन को दूर करने के लिये हर जिले में सलाहकार कमेटियां बनायी गयी थीं लेकिन खेद है कि उनकी बैठकें बहुत कम बुलायी जाती हैं। मिसाल के तौर पर दिवाली के मौके पर चीनी की दूकानों का स्थान तय करना था, दिवाली के जब ३-४ दिन रह गये और कोई प्रबन्ध व उपाय सम्भव न था, मीटिंग करना भी सम्भव न था तब सप्लाई आफिसर ने एक-एक दूकान एक-एक गांव पंचायत के नाम एलाट कर दी और वह आर्डर तहसीलदार के दफ्तर में भेज दिया कि यह आर्डर गांव पंचायतों में भेज दिया जाय। क्योंकि पहले से कुछ मालूम न था इसलिए दुकानें कागज पर तो एलाट हो गयीं, लेकिन समय स चीनी कहीं नहीं पहुंच सकी हालांकि सभी गांव सभाओं के नाम अच्छी मात्रा में चीनी एलाट हुई थी। अगर यहां प्रश्न पूछा जाता तो बड़ी आसानी से कहा जा सकता था कि चीनी एलाट की गयी थी, लेकिन वास्तविकता यह है कि समय से वहां एलाटमेंट की सूचना भी नहीं पहुंची। जो चतुर लोग थे या सप्लाई व तहसील से सम्बन्ध रखते थे उन को पहले सूचना मिली और उन्होंने चीनी उठा ली और उस से अच्छा लाभ उठाया। इस तरह से चीनी के वितरण को भी बहुत सी शिकायतें हैं। इस तरह से अब तो अधिक मात्रा में चीनी

[श्री मदनगोपाल वैद्य]

एक जिले के लिए एलाट की जाती है लेकिन उसके अन्दर व्यावहारिक कठिनाइयां यह हैं कि समय पर तो कम मिलती है, त्यौहार पर हलवाइयों को बहुत कम मिलती है। जिले में काफी स्टाक था, लेकिन हलवाइयों के परसेंटेंज...

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय। क्या कोई माननीय सदस्य किसी ग्रान्ट के लिए माननीय मन्त्री जी को धन्यवाद देने के बाद अपने भाषण में उनके कार्यों की निन्दा कर सकते हैं?

श्री अध्यक्ष---वह निन्दा नहीं कर रहे हैं, वह कह रहे हैं कि उनके कार्य संचालन में क्या नुक्स है।

श्री मदनगोपाल वैद्य---यह जो कठिनाइयां बतायी जा रही हैं इनका यही उद्देश्य है कि उनको जनता के हित में दूर किया जाय और उन दोषों के कारण जो उसे दिक्कतें होती हैं वह आगे न हों। कहने का मतलब यही है कि यह बातें जनहित में ही कही जा रही हैं और कहा जा रहा है कि इन अनुभवों के आधार पर वह दिक्कतें दूर की जा सकती हैं।

इस के बाद मैं कोयले के सम्बन्ध में भी कहूंगा कि हर साल ऐसा अनुभव में आता है कि एक साल तो जिले में अधिक मात्रा में कोयला आता है और दूसरे साल आलटरनेट ईयर्स में कम आता है। एक साल अधिक और दूसरे साल कम सप्लाई होता है और कभी-कभी ऐसा होता है कि एक ही साल में, एक ही मास में, एक ही तारीख में और एक ही मात्रा में दो-दो परमिट इंशू होते हैं और एक ही परमिट का माल जिले को प्राप्त होता है और दूसरे परमिट का माल उस जिले को प्राप्त नहीं होता। एक परमिट हमारे पास सन् ५८ की मौजूद है। पूरे उत्तर प्रदेश के लिए ४ हजार वैगन की परमिट है। एक ही तारीख में दो परमिट हैं, एक ७९ नम्बर का और दूसरा ८० नम्बर का। ४ हजार में से ८८ वैगन फैजाबाद जिले के हिस्से में है। एक परमिट का ८८ वैगन आया और दूसरे का पता ही नहीं चला। जो कोयले का प्रबन्ध है उसका सम्बन्ध गवर्नमेंट आफ इन्डिया से भी है और प्रदेशीय सरकार से भी। इसलिए कुछ पता नहीं चलता। जिले वाले कहते हैं कि लखनऊ से पता लगाइये और लखनऊ वाले कहते हैं कि गवर्नमेंट आफ इन्डिया से लगाइये।

इसके अलावा कुछ ऐडहाक कोटा आता है जो डिप्टी कमिश्नर या प्लानिंग आफिसर के नाम आता है। उसका भी अव्यवस्थित रूप से वितरण होता है। इसलिए ठीक ढंग से उसका वितरण होना चाहिए।

***श्री ब्रजनारायण तिवारी** (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से श्री रामायणराय द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुये इस सदन से यह आग्रह करता हूं कि इस सरकार को एक पैसा भी खर्च करने के लिए न दिया जाय। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो पुस्तिका वितरित की गयी है इस में पृष्ठ २ पर लिखा हुआ है: "जनवरी के प्रथम पखवारे में प्रति मन औसत भाव" इस में गेहूं का सन् ५९ में २५.११ है और सन् ६० में १७.२५। इसी प्रकार चना, जौ, बाजरा आदि चीजों का दिया है। इस में इस सरकार ने साबित किया है कि भाव काफी सस्ते हुये हैं। लेकिन जब अन्य तालिकाओं "क", "ख" और "ग" को देखा जाय तो स्पष्ट होगा कि जहां जौ का भाव सन् ५९ में १२.५६ था वह बढ़कर १३.३७ सन् ६० में हो गया। चने का १५.५० की जगह १३.३३ हुआ। इस में कुछ सस्ता है। लेकिन गेहूं १८.२५ से २१.५० हो गया। बाजरा १४.३१ से १४.५५ हो गया। इस तरह से जो दूसरी तालिका है उस में हर चीज का भाव ५९ से सन् ६० में बढ़ा है, लेकिन दिखलाने के लिए विशेष तौर पर पृष्ठ दो पर वह आंकड़े दे दिये हैं जिससे मालूम

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हो कि भाव में कमी हुई है। इसलिए मैं कहता हूं कि किसी चीज का भाव घटा नहीं है। सरकार की नीति है कि सदन को धोखा दे ताकि सदस्यों को मालूम हो कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। जो आंकड़े सरकार की तरफ से पेश किये जाते हैं वे सरकारी कर्मचारियों के होते हैं, सही नहीं होते हैं। वास्तविक आंकड़े जो देहात में मिलते हैं उन्हें ढूढ़ने की सरकार कोशिश नहीं करती है और न उन आंकड़ां का उसको पता है।

आपकी आज्ञा से मैं यह कहना चाहूंगा कि इस तालिका से जाहिर होगा प्रत्येक अन्न चाहे जौ, चना बाजरा, या ज्वार हो, हर चीज गोरखपुर की मंडी में अन्य शहरों की मंडियों की अपेक्षा महंगी बिकी है। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, आजमगढ़ पुराने जमाने से डेफिसिट एरिया रहे हैं और सदा बिहार और नेपाल से अन्न खरीद कर खाते हैं। मैंने एक प्रश्न उठाना चाहा इसलिये कि हमेशा से देवरिया और गोरखपुर के लोग चम्पारन और लट्ठा से धान खरीद कर खाते हैं, लेकिन मालूम नहीं सरकार की क्या नीति है, खाद्य मंत्री जी पहाड़ के रहने वाले हैं इनको कैसे समझ में आयेगा, अपने जिले में से जो बार्डर के जिले हैं, अपने जिले में ही कोई गल्ला ले जाय या एक जिले से दूसरे जिले में गल्ल ले जाय तो कैद कर लिया जाय। हमारा जिला देवरिया ऐसा है कि उसके पास नेपाल की सरहदा और गोरखपुर का इलाका पड़ता है। २७ जनवरी को लगभग सैकड़ों गाड़ियां पकड़ी गईं और जब उन लोगों ने यह कहा कि हम नेपाल से धान ला रहे हैं और फिर हमारे पास रसीद हैं तो अधिकारियों ने रसीदों को फाड़ दिया और उनका चालान कर दिया। अगर इसकी जांच हो तो आज भी वह धान स्टाक में होगा और वह धान ऐसा है जो गोरखपुर और देवरिया में नहीं होता है, वह लट्ठा में होता है। इसलिये जैसे नेपाल राज्य अपनी सरहद से गल्ला बाहर होने पर फीस लेलेता है उसी प्रकार यह सरकार भी कोई ऐसा तरीका अख्तियार करे। जहां सरकार की सरहद पड़े वहां चेक पोस्ट कायम कर दे ताकि गाड़ियां चेक हो सकें और फिर अपने स्थान पर वे गाड़ियां चली जायं। तो देवरिया के लिये यह समस्या है। मालूम नहीं मंत्री जी ने कभी ऐसी व्यवस्था की है या नहीं।

मैं यह भी मांग करता हूं कि जो लोग गिरफ्तार किये गये हैं, उनका गल्ला जो जमा किया गया है और उन पर मुकदमा चलाया गया वह वापस लिया जाय और उनका माल उनको दिया जाय क्योंकि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, जब कि यह सरकार बाहर से भी खरीदकर खाने को जुर्म नहीं समझती तो यह कैसे जुर्म हो सकता है कि आदमी कायदे से दूसरी जगह से गल्ला लाये, चोरी करके नहीं बल्कि सरकार की जानकारी में, और उसको पकड़ लिया जाय? हमने इस केस के संबंध में मुख्य मंत्री जी को भी पत्र लिखा था, पता नहीं उसका क्या हुआ। बिहार की सरहद कारीडर एरिया है, लेकिन बिहार की सरकार अगर इस तरह गल्ला आने देती है तो सरकारी कर्मचारी क्यों रोकते हैं?

पडरौना, हाटा तहसीलों में बहुत भारी कठिनाई जनता के सामने है। मैं सरकार से कहूंगा कि अगर वह हमको महंगा नहीं खिलाना चाहती है तो कृपा करके आप हमको इजाजत दे दें और ऐसी व्यवस्था कर दी जाय कि हम उसमें लूटे न जायं। हम चुरा कर प्रदेश के बाहर गल्ला ले जाने के पक्ष में नहीं हैं? मैं विश्वास दिलाता हूं कि जब हमारे यहां कमी है तो प्रश्न नहीं उठता कि हम अपने यहां का गल्ला नेपाल और बिहार भेजें। इस प्रकार की कोई कार्यवाही हम लोगों के साथ नहीं होनी चाहिये। आपको विश्वास होना चाहिये कि हम खरीद कर बाहर से लाते हैं। इस तरह की जो कठिनाई सरकारी अधिकारियों के द्वारा उपस्थित की जाय वह फरजी है, धोखा है, जनता को नोचने के लिये यह सब किया जाता है और आपको गुमराह किया जाता है। आप हमको खरीद कर खाने की सुविधा दें और इस प्रकार की कार्यवाही रोकें।

[श्री ब्रजनारायण तिवारी]

कहा गया कि नेचुरल कैलेमिटी के आधार पर उत्पादन कम होता है। मैं कहूंगा कि अगर भूमि-व्यवस्था में आप सुधार कर दें तो ५ फीसदी उत्पादन तो यों ही बढ़ कर रहेगा। भूमि-व्यवस्था कानून में इतने दोष हैं जिनके डर से जिनके पास खेत हैं वे उनको इस डर से नहीं उठाते कि काबिज की तलवार उनके गले पर लटकती है और उनको डर रहता है कि उनका खेत निकल जायगा। लिहाजा वह खेत परती पड़ा रहता है लेकिन परताल में लिखा है कि जड़हन, ज्वार और गेहूं, लेकिन वह परती है। कानून में दोष दूर कर दें तो एक इंच भूमि भी बिना जोते बोये नहीं रहेगी, और निश्चय ही अन्न की पैदावार बढ़ जायगी।

मैं सस्ते गल्ले की बात कहना चाहता हूं। जो सरकार का खरीदा हुआ गल्ला है वह पब्लिक का पैसा है। सरकार अन्न खरीद कर गोदामों में रखती है और सस्ते गल्ले की दूकानों पर खाने के लिये तब भेजा जाता है जब वह सड़ जाता है। १ रुपये का गेहूं अगर दिया जाता है तो ३ रुपये का सड़ा चना खरीदने के लिये मजबूर किया जाता है। कर्मचारियों को आदेश दिया जाय कि जब तक वह गल्ला खाने लायक रहे तभी तक उसे दूकानों पर भेजा जाय और इस प्रकार गल्ले के वितरण की अव्यवस्था को दूर करें।

एक चीज यह भी कहनी है कि १ रु०, २ रु० या ४ रु० का गल्ला खरीदने के लिये एक मजदूर जो १०, १२ आने मजदूरी पाता है उसे सस्ते गल्ले की दूकान पर ५ मील दूर जाना पड़ता है। अगर दूकान खुलने का वक्त नहीं है या कह दिया गया कि स्टाक में गल्ला नहीं है तो दूसरे रोज उसे जाना पड़ता है। मैं यह कहता हूं कि १ रुपये का गल्ला खरीदने के लिये वह अपने काम में हर्ज करता है तो कैसे वह उससे लाभान्वित होगा।

*श्री चन्दसिंह रावत (जिला गढ़वाल)---माननीय अध्यक्ष महोदय, उपस्थित अनुदानों के संबंध में मैं चन्द बातें सदन के सामने रखना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्र में हमेशा ही गल्ले की कमी रही है और कुछ हिस्से वहां ऐसे हैं जो परमानेंटली डेफिसिट एरियाज रहे हैं। वहां गल्ले के वितरण में बड़ी कमी व खामियां हैं और उसका कारण यह है कि वहां यातायात के साधन की नितान्त आवश्यकता है। यातायात की ओर सरकार कम ध्यान देती है। जहां मोटर सड़कें नहीं हैं वहां गल्ला खच्चड़ों द्वारा या इंसान द्वारा पीठ पर ढोया जाता है।

(इस समय १ बजकर १४ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुए।)

मैं आपकी आज्ञा से यह बतलाना चाहता हूं कि वहां पर लोगों को ३०,३० व ४०,४० मील अनाज ढो कर ले जाना पड़ता है। आज कल गल्ले के भाव क्या हैं यह आपको मालूम ही है, लेकिन उसके बाद जो ढुलान में खर्च करना पड़ता है और फिर वह गल्ला जो उनके घरों तक पहुंचता है उसकी क्या कीमत होगी। इसलिये हमने बार बार सरकार से यह प्रार्थना की कि ढुलान के चार्जेज के इस महंगाई के जमाने में हमारी सरकार को स्वयं बेयर करने चाहिये। परन्तु बावजूद हमारे प्रार्थना-पत्रों के और कहने के इस ओर अधिक ध्यान सरकार ने नहीं दिया और केवल ४ रुपये तक ही वह ढुलान में सबसिडी देती है जबकि २५-३० रुपये तक दो मन पर ढुलान का खर्च आता है। इसीलिये मैं यह प्रार्थना करूंगा और माननीय सदस्यों से दरख्वास्त करूंगा कि उनको यह महसूस करना चाहिये कि उन गरीबों की क्या मुसीबत है और किस भाव से अनाज उनको वहां पहुंचता है।

दूसरी बात यह है कि हमारे गढ़वाल में जहां-जहां मोटर सड़क के किनारे छोटे-मोटे बाजार हैं वहां आटा, चावल, चीनी वगैरह का कोटा केवल चन्द आदमियों के हाथों में सौंप दिया गया है। वे बड़े-बड़े तिजारती हैं जो कोटद्वारा और दुगड्डा के रहने वाले हैं। मेरी समझ में यह नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आया कि जो पढ़े-लिखे बुद्धि जीवी लोग हैं, जिनको कि इस मुल्क की व्यवस्था करनी है उन्होंने वहां के स्थानीय दुकानदारों को छोड़ कर ४०, ६० और ८० मील दूर की जगहों के दुकानदारों को वहां के लोगों को लूटने खसोटने के लिये क्यों इन चीजों का कोटा दे रखा है। इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिये, यह अनकांस्टीट्यूशनल बात है और अल्ट्रा वायरस आफ दि कांस्टीट्यूशन है। ऐसी कार्यवाहियां जब हमारे पढ़े-लिखे लोगों की तरफ से होती हैं तो हमें महान दुःख होता है। हम कैसे विश्वास कर लें कि हमारा भविष्य आप लोगों के हाथ में सुरक्षित रहेगा जबकि इस प्रकार के आघात पर आघात हमारे अधिकारों पर होते चले जाते हैं। इस देश में जो भी चीजों का वितरण होता है क्या उसमें हमारे यहां के रहने वालों का कोई हिस्सा है या नहीं, इस पर विचार अवश्य होना चाहिये। जब २५–३० रुपये दो मन की ढुलाई होती हो तो आप समझ सकते हैं कि जहां इतनी अधिक गरीबी हो कि तीन महीने के लिये भी जमीन से गल्ला पैदा न होता हो वहां के लोगों की क्या हालत होगी और किस प्रकार वे अपनी जिन्दगी गुजर बसर करते होंगे। इसका सरकार को ख्याल होना ही चाहिये। परन्तु मुझे अफसोस है कि जब हम इन बातों को कहते हैं तो या तो सरकार उसे सुनती ही नहीं है और अगर सुनती है तो दूसरे कान से उसे निकाल देती है, दिमाग से बाहर निकल कर काम के रूप में उसका कोई अधिक असर हमें दिखायी नहीं देता है। हमारे माननीय मंत्री जी उसी प्रदेश से आते हैं और वहां के यातायात के साधनों और वहां की गरीबी से वे बहुत कुछ परिचित हैं। वे भी एक देहात के इलाके से आते हैं और उनका मकान भी देहात में है, परन्तु फिर भी ये सब बातें होती हैं, यह मेरी समझ में नहीं आया। इन गलतियों की ओर अवश्य ध्यान देना चाहिये और इनको दूर करना चाहिये।

सरकार ने एक पालिसी यह एडाप्ट की है कि हम अपने मुल्क का विकास कोआपरेटिव के द्वारा करेंगे। इस आधार पर गरीब जनता को राहत पहुंचाने के लिये चारों तरफ कोआपरेटिव सोसाइटीज खोली गयी हैं परन्तु जहां कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं उसी के साथ-साथ जो गवर्नमेंट चीप ग्रेन शाप्स हैं वे व्यक्तियों को दी जाती हैं। इससे वह सोसाइटी जहां आम जनता का धन इकट्ठा है, जिनके द्वारा हम वहां के लोगों की जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं, वहां व्यक्तियों को दूकानें दी जाती हैं। इससे उन सोसाइटियों को बड़ा धक्का पहुंचा है। अगर कोई किताबी आंकड़ों को न देख कर जिन्दा आंकड़ों को देखें और उन सोसाइटियों के धन की जांच करे तो असली हालत का पता चलेगा। मेरा अनुरोध है कि जहां सोसाइटियां हैं वहां व्यक्तिगत लोगों को दूकानें कतई नहीं दी जानी चाहिये। सरकारी अफसरान को यह बातें बतायी गयीं लेकिन क्यों नहीं उनकी समझ में आया, यह तो केवल वही जान सकते हैं या वह लोग जान सकते हैं जो इसके इंचार्ज हैं। उनको बार-बार बताया गया कि इससे सरकार की कोआपरेटिव पालिसी को धक्का पहुंचेगा, लेकिन यह जानते हुए भी फिर भी वह कदाम होता है कि जो कि सोसाइटियों के हित के प्रतिकूल पड़ता है और खास व्यक्ति को फायदा पहुंचता है और आम जनता को उससे खास राहत नहीं पहुंचती है। इसलिये मैं बड़े अदब के साथ यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि जब हम कोई खास पालिसी निर्धारित करते हैं अपने मुल्क की बहबूदी के लिये तो हमारी सरकार की ओर से, जो उसमें अधूरे कदम पड़ते हैं, हमको बार-बार पीछे हटना पड़ता है, तो उससे हमारी सरकार के खजाने पर नहीं बल्कि हमारी जनता की जेब पर असर पड़ता है।

श्री उपाध्यक्ष—यह कौन सज्जन हैं जो नोटिसें बांट रहे हैं। कृपया आप सदन के बाहर जायं। यह तरीका नोटिस बांटने का ठीक नहीं है।

श्री चन्द्रसिंह रावत—यह सारा खर्चा जनता की जेब से आता है। जब कोई पालिसी ठप हो जाती है तो हमारी जनता को नुक्सान उठाना पड़ता है। एक कदम आगे रख कर

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

फिर पीछे हटाने में जितना खर्चा होता है सरकार का वह सब हमारी जनता का रुपया बरबाद होता है, इससे तो सदन का हर सदस्य अच्छी तरह परिचित है। इसलिये मैं माननीय नेगी जी से दरख्वास्त करूंगा कि वह इन बातों को कृपया नोट कर लें ताकि हमारी जनता की शिकायतों का रिड्रेस हो सके और लोगों को कुछ राहत पहुंचे।

जो सरकार चार रुपये की सब्सिडी देती है, यह तो सरकार की तरफसे बेदर्दी का व्यवहार है। आज के जमाने में जब कि अनाज की कीमत इतनी ऊंची है, पहाड़ी इलाकों में तीस-तीस मील इस अनाज को ढोया जाता है, सरकार को पूरी सहायता करनी चाहिये। अगर हम इंसानियत का बरताव करना जानते हैं, अगर हमें मानवता का जरा भी खयाल है तो यह बात शोभा नहीं देती कि सरकार केवल चार रुपये सब्सिडी दे कर लोगों को बहलाना चाहे। जब कि उस क्षेत्र में चारों ओर गरीबी पहाड़ की चट्टानों पर छायी हुई है, जहां पर लोगों को खाने के लिये कुछ नहीं, जहां के लोग नौकरी के लिये दर-दर लखनऊ, इलाहाबाद और दिल्ली में फिरा करते हैं, अगर वहां कोई कारखाने होते, अगर वहां खाने-पीने का कोई जरिया होता तो क्या उस क्षेत्र के छोटे-छोटे बच्चे दर-दर ठोकरें खोते ? मैं समझता हूं कि जब हमारी सरकार ने इस देश के उत्थान का बेड़ा उठाया है और जब वह हर क्षेत्र के लोगों के लिये व्यवस्था कर रही है तो इस समस्या को सरकार को बहुत ही साउंड ढंग पर हल करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—समय समाप्त।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रामायण-राय जी ने जो कटौती का प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है उसके समर्थन में कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्रीमन्, जब से हमारे माननीय मंत्री जी खाद्य मंत्री के रूप में इस सदन में पधारे, प्रदेश की साढ़े ६ करोड़ जनता के खिलाने का भार उनके कंधों पर पड़ा तब से हम लोग देख रहे हैं कि हर वस्तु का जो माननीय मंत्री जी के अधिकार में है, अभाव और अकाल ही रहा है। तो मैं तो बहुत संजीदगी के साथ कहता हूं कि माननीय मंत्री जी को यदि अकाल मंत्री कहा जाय तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि मैं चन्द आंकड़ों के द्वारा सिद्ध करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी के जमाने में प्रदेश में अकाल ही नहीं, भुखमरी रही। माननीय मंत्री को खयाल होगा कि गत वर्ष लोक सभा में केन्द्रीय सरकार के भूतपूर्व खाद्य मंत्री ने यह कहा था कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने अनाज का कोटा चन्द महीनों का समय से नहीं लिया जिसका नतीजा यह हुआ कि हमारे यहां देहात की दूकानों में अनाज की कमी हो गयी। (व्यवधान) आपने इसी सदन में उसका प्रतिवाद किया था। दूसरी बात श्रीमन्, भूतपूर्व खाद्य मंत्री ने लोक सभा में यह भी कहा था और बिहार की सरकार की तारीफ की थी उत्तर प्रदेश के मुकाबिले में कि कम गल्ला हमने बिहार सरकार को दिया, लेकिन वहां पर भावों को सन्तुलित करने में बिहार की सरकार सफल रही है। उत्तर प्रदेश के खाद्य मंत्रालय का उसमें नाम तक नहीं था।

माननीय मन्त्री जी ने जो एक किताब बटवायी है, उसके पृष्ठ १८ से में थोड़ा सा पढ़ देना चाहता हूं जिससे खाद्यान्नों की उत्तर प्रदेश में क्या कमी रही, यह मालूम हो जायगा। उसमें दिया हुआ है—उत्तर प्रदेश के ३१ मुख्य बाजारों में गेहूं की आमद के प्रतिशत के अन्तर का ब्यौरा—

	प्रतिशत
प्रथम पक्ष—अप्रैल, १९५८ तथा १९५९	५७.२
द्वितीय पक्ष—अप्रैल, १९५८ तथा १९ ५९	४०.७
प्रथम पक्ष—मई, १९५८ तथा १९५९	५०.९
इसी तरह चलते-चलते श्रीमन्, यहां तक है—	
द्वितीय पक्ष—जुलाई, १५९८ तथा १९५९	६३.५

इसी तरह से श्रीमन्, प्रदेश की सभी मंडियों में उसकी आमद के आंकड़ों में कमी हुई। इसका मतलब क्या था ? क्यों यह कमी हुई। उसका कारण यही था कि किसानों को गेहूं का भाव जितना उनको मिलना चाहिये था जितनी उसकी लागत होती थी उसके अनुसार नहीं मिलता था। केन्द्रीय सरकार की तरफ से राजकीय व्यापार में माननीय मंत्री जो बाजारों में जो उस अनाज को खरीदते हैं उसमें माननीय मन्त्री जी ने हापुड़ और पश्चिम की मंडियों में और गोरखपुर की मंडियों में भी कम भाव पर अनाज खरीदा। उसके भी आंकड़े माननीय मन्त्री जी की किताब में है। उसका नतीजा यह हुआ कि जो कुछ भी उनके पास था उसको वह बेचना नहीं चाहते थे, क्योंकि वह उनको पुसाता नहीं था। खाद्य मन्त्री जी की नीति बराबर पेंडुलम की तरह घूमती रही है। माननीय अशोक मेहता जी ने फूड ग्रेन्स एन्क्वायरी कमेटी में जो अपनी सिफारिश की है उसमें उन्होंने यह बात लिखी है कि सरकार को–केन्द्रीय सरकार हो या प्रादेशिक सरकार हो–उसको एक 'प्राइस कमीशन' नियुक्त करके अपनी मूल्य नीति निर्धारित करनी चाहिये। इस पर सदन में भी और बाहर भी कई बार कहा गया। लेकिन उस 'प्राइस कमीशन' के बैठाने की कोई चर्चा नहीं की गई है। उसकी तरफ बिलकुल ध्यान न देकर माननीय मंत्री जी ने अपनी खाद्य नीति चलायी है और जिससे वह कहते हैं कि भाव एक रुपया कम हो गया, और हमारा काम राज्य व्यापार योजना का 'स्टेट ट्रेडिंग' का और सस्ते गल्ले की दूकानों का सफल हो गया। लेकिन माननीय मन्त्री जी के पास कोई स्थिर मूल्य नीति नहीं है। हमारे नेता सोशलिस्ट दल ने, इसी सदन में कई बार बताया है कि सोशलिस्ट पार्टी ने कौन सी मूल्य नीति निर्धारित करने की बात कही है और बताया है कि जब तक हम कोई दाम नीति तय नहीं करेंगे तब तक प्रदेश की सवा छः करोड़ जनता का पेट नहीं भर सकता है। हमने साफ कह दिया है कि दो फसलों के बीच में भाव में 'एक आने सेर या १६ प्रतिशत से ज्यादा फर्क न हो। माननीय मन्त्री जी इस बात को नहीं जानते हैं कि जब तक इस तरह का प्रबन्ध नहीं होगा तब तक प्रदेश में भुखमरी और अकाल की स्थिति बनी रहेगी।

दूसरी बात माननीय मंत्री जी ने कही कि भावों में काफी कमी हो गई है और जो लोग ज्यादा भावों से परेशान थे उनको काफी राहत मिल गई है। इसके भी आंकड़े मैं जरा पढ़ देना चाहता हूं––गेहूं अक्तूबर, १९५८ में २३.५८; दिसम्बर, १९५८ में २२.५८ और जनवरी, १९५९ में २५.११; जौ अक्तूबर, १९५८ में १७.९०; दिसम्बर, १९५८ में १८.७४ और जनवरी, १९५९ में १९.८३; ज्वार दिसम्बर, ५७ में ११.४५; दिसम्बर, ५८ में १३.६४ और जनवरी, ५९ में १३.२१; बाजरा दिसम्बर, ५७ में १२.२७; दिसम्बर, ५८ में १५.७२; और जनवरी, १९५९ में १५.९८; मक्का दिसम्बर, ५७ में ११.६५; दिसम्बर, ५८ में ११.५४ और जनवरी, १९५९ में १४.५६। तो इस तरह से ये जो भाव दिए गए हैं उनसे मालूम होता है कि भाव बराबर बढ़ते ही गए हैं।

अब मैं गेहूं की बात बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की मंडियों में जो उसका हाल रहा। परिशिष्ट––ख––पृष्ठ २२ पर ये आंकड़े दिये हैं––मास के अन्त में गेहूं के भावों की तालिका।

अप्रैल सन् ५९ में हापुड़ में गैहूं का भाव १७ रुपये मन था जो जनवरी सन् ६० में १८ रुपये ५० नये पैसे हो गया। सहारनपुर में अप्रैल ५९ में गेहूं का भाव १७ रुपये ३१ नये पैसे था जो जनवरी, ६० में जाकर २० रुपये हो गया। मुज़फ्फरनगर में गेहूं का भाव अप्रैल, ५९ में १७ रुपये २५ नये पैसे जो जनवरी, ६० में जाकर २० रुपये हो गया। गोरखपुरे में अप्रैल, सन् ५९ सें गेहूं का भाव १८ रुपये २५ नये पैसे था जो जनवरी ६० में २१ रुपये हो गया। शहाजहांपुर में अप्रैल सन् ५९ में गेहूं का भाव १६ रुपये ५० नये पैसे था जो

[श्री उग्रसेन]

जनवरी, ६० में २१ रुपये हो गया। कितने अधिक भाव बढ़े ? इनमें कमी कहां पर हुई जो कि आप कहते हैं। माननीय मन्त्री जी कहते हैं कि मूल्य के बारे में बड़ी कमी हुई है। कहां पर हुई है ?

मन्त्री जी बराबर कहते हैं कि हमने राशनिंग की दुकानें ज्यादा खोली हैं। मैं कहता हूं कि ज्यादा कहां पर खोली हैं। आप इन दुकानों के आंकड़ों को देखिये। जनवरी, ५९ में आपके यहां ४,३७७ दुकानें थीं, अप्रैल, ५९ में ४,८०५ दुकानें थीं लेकिन जनवरी, सन् १९६० में वह राशन की दुकानें ४,५९१ ही रह गईं तो इसमें वृद्धि कहां हुई ? मन्त्री जी कहते हैं कि हमने अधिक राशन की दुकानें खोल दी हैं जनता को सहूलियत देने के लिये, तो फिर यह वृद्धि कैसे कहते हैं ?

अब मैं भाव के बारे में बतलाना चाहता हूं कि भाव भी कम नहीं हुये। मंडियों में किसान अपने अनाज को नहीं लाया और ज्यादा भी पैदा नहीं हुआ। किसान इसलिये नहीं लाया क्योंकि उसको उसकी लागत का दाम भी नहीं मिला। इस वजह से भावों में बराबर वृद्धि होती रही। अब माननीय मन्त्री जो जो राशन की दुकानों के आंकड़े दे रहे हैं कि उनमें वृद्धि हुई और वे ४,३७७ से ४,५९१ दुकानें राशन की हो गईं तो उनमें वितरित कितना अनाज किया गया, इसको भी आप देखें। पहले ज्यादा अनाज प्रति दुकान वितरित हुआ लेकिन अब कम वितरित हो रहा है। हाटा देवरिया जिले की तहसील है, उसके यहां पर माननीय विधायक बैठे हुये हैं। उनके यहां या सलेमपुर चलकर देखें कि एक दुकान पर ३० मन रोज दिया जाता है, लेकिन हमारे यहां १५ मन ही बटता है। मन्त्री जी कहते हैं कि हमने राशन दुकानों की संख्या बढ़ाई, लेकिन उसके आंकड़े तो यहां पर नहीं दिये कि उन्होंने पहले कितना गल्ला वितरित कराया और अब कितना करा रहे हैं।

हमारे यहां एक साम्राज्यवादी योजना "कारिडर एरिया" में काम कर रही है जिसको "विशेष सीमावर्ती क्षेत्र" बिहार और उत्तर प्रदेश घोषित किया गया है। वहां पर अंग्रेजों के जमाने से यह बात कर दी गई है और बिहार की सीमा बनाकर यह कर दिया गया कि बाजार जो वहां लगेगा वह एक "कारिडर एरिया" कहलायेगा। वहां से कोई आदमी २० सेर गल्ला भी इधर नहीं ला सकता है। तमकुही रोड का जो मार्केट है वहां पास में एक किसान के घर मौत हो गई। वह एक मन गल्ला तमकुही से अपने घर देवरिया जिले में ला रहा था, बिहार में नहीं ले जा रहा था। वहां से एक मील पर उसका घर है। उसको वहां पर गिरफ्तार करके भेज दिया। पुलिस ने कह दिया कि यह कारिडर एरिया है। अब आप देखिये कि घर में मौत हो जाय और उसके लिये खाने की जरूरत हो तो वह अनाज नहीं ले जा सकता। अब माननीय मन्त्री जी यहां पर कहते हैं कि हमने राशन की दुकान इतनी बढ़ादी हैं। रामायणराय जी और ब्रजनारायण जी यहां पर बैठे हुये हैं, वे जानते हैं कि एक मन धान भी नहीं ले जा सकते हैं। उस बाजार से कोई १० गज कपड़ा लाना चाहे तो वह नहीं ला सकता है। आज उन सीमावर्ती क्षेत्रों में खाद्य की यह स्थिति है जिसके लिये मन्त्री जी कहते हैं कि हमने इतनी दुकानों की वृद्धि कर दी है।

श्रीमन्, एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने एक नयी वेयर हाउसिंग कारपोरेशन की स्कीम चलायी है। बड़े-बड़े गोदाम बनाये गये हैं। श्रीमन्, राजकीय व्यापार में उसका खर्च देख लिया जाय। १९५८-५९ में खर्च है गोदामों के किराये और प्रकीर्ण व्यय पर ५६ लाख ६० हजार ६२२ रुपये और देखा जाय कि गोदामों की स्थिति क्या है। जालौन की एक चिट्ठी हमारे दफ्तर में आयी है। वहां पर 'कोंच' का एक मार्केट है उसमें १,७०० मन चना ऐसे अरक्षित गोदाम में रख दिया गया जो बिलकुल रिजेक्टेड गोदाम था और उसमें अनाज नहीं रखना चाहिये था और वह सब सड़ गया। बाद में जब वह दूकानदारों के यहां देखा गया तो उसकी शिकायतम्यूनिसिपैलिटी में हुई और इस पर दूकानदारों ने उसे जल्दी-जल्दी बेच दिया बाकी दूसरे गल्ले में मिलवाकर। कल ही इस

सदन में एक प्रश्न आया था कि मऊरानीपुर और गरौठा के मार्केट के संबंध में। वह माननीय अध्यक्ष का क्षेत्र है। वहां पर डिप्टी आर० एम० ओ० ने हुक्म दिया कि ३०,००० मन चना खरीद लिया जाय साढ़े १२ रुपये मन के हिसाब से ! बाजार से बाद में वह चना १० रुपये मन में खरीदा गया और उसके बाद उसी चने को साढ़े १२ रुपये मन में सप्लाई कर दिया गया और बीच का रुपया लोग खा गये। इस की शिकायत सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से की गयी है।

"रेंट कंट्रोल" के बारे में भी देखा जाय। एक सत्याश्रम है १९५७ में उसमें एक साहब ट्रेसपासर हो गये। उनके लिये सरकार ने कहा, कमिश्नर ने कहा, लेकिन उसके बाद भी आपको मालूम होगा कि वह सत्याश्रम जुलाई में उन्हीं के नाम से एलाट हो गया। बाद में कलेक्टर साहब श्रीमान् को लिखते हैं कि अभी वह एलाट होना बाकी है। सरकार को दरख्वास्त दी जायगी।

श्रीमन्, इसके बाद आप बाढ़ग्रस्त क्षेत्र को गल्ला देते हैं, टीन देते। मैं आंकड़े बता सकता हूं कि जितना टीन और सामान आदि आपने देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, आदि में दिया है, उतना सब लखनऊ में जरूर आ गया है, वहां नहीं पहुंचा। वहां कुछ नहीं है।

लोहे की हालत यह है कि जब लोहे की छड़ें हमारे पूर्वी जिलों में आ जाती हैं तो बड़े-बड़े ब्लैक मार्केटियर कानपुर वाले बरहज, देवरिया और बस्ती पहुंच जाते हैं और सब माल खरीद लेते हैं और जब तमकुही का किसान अपना टूटा घर बनाने के लिये छड़ लेने जाता है तो उस बेचारे को कुछ नहीं मिलता। कह दिया जाता है कि माल खत्म हो गया। भ्रष्टाचार का अड्डा यह सप्लाई विभाग है। उनके विभाग के बारे में तो पहले से ही एक रेपुटेशन है। इसलिये अगर माननीय मंत्री जी सारे प्रदेश को ठीक से खाना खिलाना चाहते हैं तो इस विभाग का रवैया ठीक करें। इनकी नीति से तो हमारा फंडामेंटल विरोध है। यह प्रदेश में लोगों को खिलाने की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, जो इस विभाग को लेनी चाहिये।

हम बर्मा सरकार की बात जानते हैं। वहां हमारे यहां की तरह खाद्य मंत्रालय नहीं है, और वहां कोई फूड मिनिस्टर भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वहां के सुअर जो चावल खाते हैं उसे आप यहां के आदमियों को भी नहीं दे पाते। वहां सब समान है, सब संपन्न हैं और लोगों को खाना मिलता है मैं तो निवेदन करता हूं कि कम से कम आप इतनी जिम्मेदारी ले लें कि हमारे प्रदेश का कोई आदमी भूखा नहीं मरने पायेगा। अगर गाजीपुर में कोई भूखा मर गया या देवरिया में कोई भूख से मर गया तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप उस भुखमरी को रोकने की चेष्टा नहीं करते तो मैं यह कहूंगा कि आपकी यह खाद्य नीति खाद्य नीति नहीं, 'अकाल नीति' है और आप फूड मिनिस्टर नहीं फैमीन मिनिस्टर (अकाल मंत्री) हैं। खाद्य मंत्री होने का दावा, इतनी जिम्मेदारी लिये बगैर आप को नहीं करना चाहिये और मैं आशा करता हूं कि आप नहीं करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं यह जो कटौती का प्रस्ताव रामायणराय जी ने प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करता हूं।

श्री शिवप्रसाद (जिला देवरिया)---जो अनुदान प्रस्तुत हुआ है उसके समर्थन में म खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात स्पष्ट है और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश का कोई भी आदमी अगर थोड़ी स्थिरता से सोचे तो उसे इसमें कोई दो रायें नहीं मिलेंगी कि खाद्य मंत्री जी ने जिस खूबी से खाद्य समस्या को हल किया है और जिस तरह से शहरों से लेकर देहातों तक खाद्य को पहुंचाने की कोशिश की है वह बहुत सफल नीति रही है, यह बात दूसरी है कि वह किस रेट पर किया गया, और मैं समझता हूं कि यह बात खाद्य मंत्री जी के बस की नहीं है।

[श्री शिवप्रसाद]

अनाज के भाव का निर्धारण तो सारे देश में उठ सकता है। सस्ता और कम रेट से उसी समय से बिक सकता है जब कि देश में और प्रदेश में खेती की पैदावार में वृद्धि हो। तो यह जहां तक गेहूं का भाव है या चने का भाव है या चावल का, उसमें क्या वृद्धि हुई, क्या कमी हुई उसमें मैं ज्यादा जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन यह जरूर जानता हूं कि प्रदेश के लोगों की आवश्यकताओं को देखते हुये सब जगहों पर गल्ले की व्यवस्था सरकार के द्वारा हुई। हां, जहां तक सस्ते गल्ले की बात है, देवरिया जिले के हमारे भाई रामायणराय जी और दूसरे जो सम्मानित सदस्य बोले और जो चीजें उन्होंने प्रकट कीं उसमें बहुत-सी अतिशयोक्ति है। मैं भी एक जनता का प्रतिनिधि हूं।

श्री उपाध्यक्ष—आप भी देवरिया के ही मालूम होते हैं?

श्री शिवप्रसाद—इसी लिये कह रहा हूं। जो उनकी जिम्मेदारियां हैं, मैं भी उनसे पीछे नहीं हूं और वह मेरे लिये भी हैं।

मोटे और पतले गल्ले की, गेहूं, चने की जहां तक बात है, कहा गया कि सड़ा हुआ है। सड़ा हुआ तो नहीं है क्यों कि इस समय कोई अनाज सड़ता नहीं है, हां, उसमें घुन और कीड़े लग गये हैं। उससे कुछ नुकसान हुआ है। इसमें दो रायें नहीं हैं। गल्ले को लोगों को जहां तक बेचने का सवाल है यह उनकी बातों से स्पष्ट है कि जैसा कि रामायण राय जी ने कहा, सस्ते गल्ले की दूकानों पर लोग मक्खियां मारते हैं, यानी बिक्री नहीं हो रही है, तो उनके यहां यह हो सकता है, हमारे यहां नहीं। हमारे यहां गल्ला बिकता है और लोग दुकानों से लाभ उठाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि प्रदेश के बढ़ते हुये भाव को सस्ते गल्ले की दुकानों ने स्थिर किया। आज देहात में सस्ते गल्ले की दुकानें नहीं होतीं तो पता नहीं स्थिति कहां की कहां चली गयी होती, इस बात को कोई भुला नहीं सकता है। चाहे ज्यादा गेहूं गया या कम, या मोटा या पतला, लेकिन लोगों को मिला और किसानों ने लाभ उठाया। हर किसान कहता है कि हम लाभ उठा रहे हैं। दूकानें जो इस समय चल रही हैं वह अल्प मात्रा में नहीं हैं और बहुत ज्यादा भी नहीं हैं, लेकिन आवश्यकतानुसार दूकानें हैं और रहनी चाहिए। ईश्वर न करे कि हमारे सामने दुकान खोलने की समस्या आवे। हम किसानों में इतनी ताकत ला दें, भूमि को इतना उर्वरा बना दें कि स्वयं किसान अपनी पैदावर को इतना बढ़ाले कि इन सस्ते गल्ले की दुकानों और अनाज से हमारा पिंड छूटे। और जहां तक १५ मन और २५ मन की बात है, ऐसी बात नहीं रही है जिलों के आदेश सब दुकानों पर बराबर रहे। हां, टाउन एरिया, म्युनिसिपल एरिया, इन में थोड़ी-सी कमी बेशी रही, लेकिन अगर २५ मन की बिक्री रही तो सब जगह रही, १५ मन की रही तो सब जगह रही, इसमें दो रायें नहीं हो सकती हैं।

दूकानों में भ्रष्टाचार की जहां तक बात है, उसमें कोई ज्यादा तथ्य नजर नहीं आया। आज सस्ते गल्ले की दूकानों का नतीजा यह हुआ कि बाजार में जो गल्ला है, उसमें और उन दूकानों के गल्ले के भाव में थोड़ा-सा फर्क पड़ता है, धीरे-धीरे वह बराबर होता जा रहा है। यह सही है कि सस्ते गल्ले की दूकानों से काफी लाभ हुआ है।

रामायणराय जी के गांव में अनाज की व्यवस्था के बारे में कहा कि व्यवस्था ठीक नहीं है, लेकिन गांव सभाओं में जो सभापति, सरपंच और स्थानीय प्रतिनिधि हैं उनकी कमेटी है जिला स्तर पर कमेटियां हैं। यह बात दूसरी है कि यह नियमानुसार न बुलायी जाती हों, लेकिन कमेटियां हैं और बुलाई भी गयी हैं, राय भी ली गई है, उसमें हम सब लोगों ने राय भी दी है, उससे वह अलग नहीं हो सकते हैं। वह भी उसमें शामिल रहे हैं। जिलाधीश के यहां मीटिंगें हुई हैं। मंत्री जी से कहूंगा कि जिस तरह से मोटा अनाज दे रहे हैं, गेहूं की तादाद बढ़ानी चाहिए। वैसे चावल स्टाक में काफी है, और मजे का चावल है और जरूरत भी है चावल की, वहां के लोग चावल ज्यादा खाते हैं। पूर्वी जिलों में जैसे बस्ती, गोरखपुर, देवरिया और आजमगढ़

आदि जिले ऐसे हैं जहां पर लोग चावल अधिक खाते हैं। इसके साथ ही रोटी खाने वाले भी हैं, वहां आटा, गेहूं, चावल और मोटा अनाज, इन तीनों चीजों की जरूरत है।

अब मैं माननीय मंत्री जी का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि देवरिया जिला ऐसा जिला है जहां पर लोग ज्यादातर गन्ना उत्पादन का काम करते हैं। देवरिया जिले में कम से कम १८-२० शूगर मिलें हैं और वहां की चीनी दूसरी जगहों पर जाती है। जब हम दूसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अपने यहां की चीनी देते हैं, तो आज इस बात की आवश्यकता है कि जो हमारी आवश्यकतायें हैं उनकी भी पूर्ति की जाये। यह ठीक है कि यहां पर धान भी पैदा होता है, लेकिन यहां पर वर्षों से धान ज्यादा पैदा नहीं हो रहा है वहां पर लोग अपने कुटुम्ब की व्यवस्था करने के लिये गोरखपुर और नैपाल से अनाज लाते हैं। हमने माननीय मंत्री जी से जब उनसे हम लोग मिले थे, यह अनुरोध किया था कि नेपाल से गेहूं आने दिया जाय और उस पर कोई रोक न लगाई जाय। काफी इस सम्बन्ध में वादविवाद होने के बाद माननीय मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया कि नैपाल से आने वाले अनाज को छूट दे दी गई है।

एक बात और मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं और वह यह कि आप चाहें तो करीब करीब, सभी धानों पर प्रतिबन्ध लगा दें, किन्तु जो मोटा धान है उसपर छूट होनी चाहिये, मोटे धान पर कोई नियन्त्रण नहीं लगाना चाहिये। कुछ ऐसे धान हैं, जिस पर आप आवश्यक समझते हों, प्रतिबन्ध लगा दें। कुछ धान पर यदि आप छूट देंगे तो वह धान हमारे यहां आ सकेगा। मैं आपसे निवेदन करूं, हमारे यहां की काफी गाड़ियां धान की पकड़ी गयी हैं। जो लोग नैपाल से गाड़ियां ला रहे थे उनकी गाड़ियां पकड़ी गयीं और उनका गल्ला जब्त कर लिया गया। मैं चाहता हूं कि उनको छूट मिलनी चाहिये। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी कुछ उदारता इस सम्बन्ध में दिखलायेंगे और उनको छोड़ देंगे।

अब मैं आप का ध्यान कुछ उन चीजों की ओर भी दिलाना चाहता हूं जो किसान की जिन्दगी के लिये बहुत आवश्यक हैं। कोयले की हमारे यहां बहुत जरूरत है। वहां पर ज्यादातर लोग मजदूरी करते हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां माननीय मंत्री जी कोयले का ज्यादा से ज्यादा प्रबन्ध करने की कृपा करें। उस कोयले से जो वहां पर ईंटा पाथते हैं, वे बहुत लाभ उठा सकते हैं। कोयले के अभाव में वे लोग इस काम को नहीं कर पाते हैं।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां कोयले के अतिरिक्त लोहे की भी कमी है। हाटा और पडरौना तहसील में लोहे के एक भी स्टाकिस्ट नहीं हैं। वहां से ६०-७० मील की दूरी पर लोहा मिलता है और वहां से लाने में उनको ३०-४० पया किराया का ही देना पड़ जाता है। इसलिये हाटा, पडरौना तहसील में इस बात की आवश्यकता है कि वहां पर लोहे के लिये समुचित व्यवस्था हो। मुझे आशा है इन सब बातों की व्यवस्था मंत्री जी करने की कृपा करेंगे।

चीनी की जो बात है उसके बारे में कई शिकायतें सुनने को मिलीं। उसका कारण यह था कि कोई-कोई दूकानदारों ने चीनी का कोटा नहीं उठाया। इस सम्बन्ध में यह आदेश हो चुके हैं कि हर दूकानदार अपनी-अपनी चीनी उठावे जिससे सब को चीनी मिल सके और किसी को कुछ कठिनाई न हो।

इस तरह से जहां तक देवरिया जिले का सवाल है वहां पर काफी गरीबी है, वहां पर लोगों को परेशानी है और काफी दिक्कतें हैं। उनकी उन तमाम दिक्कतों को दूर करने के लिये सरकार को प्रयत्न करना चाहिये जिसके लिये मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर रहा

[श्री शिवप्रसाद]

हूं। आपकी उदारता में काफी वृद्धि होनी चाहिये और भविष्य में मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा हर जगह पर गल्ला पहुंचे, लोगों को मिल सके और इससे लोग लाभ उठा सकें। इन चन्द शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---उपाध्यक्ष महोदय, आज हम लोग जिन दो अनुदानों पर विवाद करने बैठे हैं वे कोई नयी चीजें इस सदन के लिये नहीं हैं और करीब-करीब हर वर्ष इस पर दूसरी तरह से भी हम विवाद करते हैं। हमारे मंत्री जो बराबर हम लोगों को आश्वासन दिया करते हैं और उस आश्वासन के सम्बन्ध में भी जब हम दूसरे तौर पर विवाद करने बैठे हैं, तो हमें खामी महसूस हुई।

इस प्रश्न के सम्बन्ध में चूंकि अन्य मित्रों ने कुछ बातों का जिक्र कर दिया है इसलिये दो तीन बातों की तरफ विशेष रूप से मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं और उसमें भी एक का जिक्र तो माननीय उग्रसेन जी ने बड़े सुन्दर शब्दों में किया था कि अगर आप का कोई आदेश जात भी है तो उसका पालन होता भी है या नहीं, यह आप नहीं देखते हैं। इसके सम्बन्ध में 'सत्याश्रम' का उदाहरण भी उन्होंने दिया था। उक्त संस्था के सम्बन्ध में ८-११-५७ को एलाटमेंट के लिये आदेश हुआ था लेकिन आज फरवरी सन १९६० में उस बात को हुये कोई दो वर्ष हो गये लेकिन अभी तक उस संस्था को कोई मकान नहीं मिला और मैं आपको बताऊं कि इसके कारण कितना बड़ा नुकसान हुआ है इसका अनुमान माननीय मंत्री जी कर लें। पहले मैं उसमें आपको एक जानकारी कराना चाहता हूं कि खादी बोर्ड की तरफ से ४५ हजार रुपये का अनुदान उस संस्था को मिल चुका था। यदि केवल एक मकान की व्यवस्था हो गयी होती तो हजारों विधवा औरतों और असहायों को काम मिल सकता था लेकिन वह पया लैप्स हो गया महज इसलिये कि मकान नहीं मिल सका। भले ही उसके ऊपर दूसरे पहलुओं से विचार न किया जाय लेकिन इस प्रश्न पर दोनों दृष्टियों से विचार करना चाहिये। एक तो जो आपके विभाग की अथारिटी है वह फ्लाउट हुई है। कमिश्नर ने एक फैसला दिया, रेण्ट कंट्रोल अधिकारी ने फैसला दिया और वह फैसले दो वर्ष तक कार्यान्वित नहीं हुये, यह आप के विभाग के लिये शोभा नहीं दे सकता है। दूसरे यह कि एक सार्वजनिक संस्था जिससे सैकडों असहायों और विधवाओं का भला हो सकता था आज तक उनका कोई भला नहीं हो सका, यह दूसरी अशोभनीय बात है। माननीय मंत्री जी जवाब देते वक्त इनके कारणों को स्पष्ट कर देंगे कि उस संस्था को मकान मिलेगा या नहीं मिलेगा और यदि मिल चुका है तो उसकी घोषणा कर देंगे।

दूसरी चीज जिसकी तरफ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं वह स्टेट ट्रेडिंग की जो योजना है उसके सम्बन्ध में है। जहां तक उसकी आवश्यकता का सम्बन्ध है उस योजना का समर्थन एक स्वर में सभी ने किया है और यदि इस योजना को ठीक तरह से लागू किया जाता तो जो दिक्कतें आ रही हैं उनमें इधर और उधर के सभी प्रगतिशील लोगों का अधिक से अधिक समर्थन प्राप्त हुआ होता, लेकिन अगर किसी भी चीज को गैरकुदरती ढंग से लागू करने का प्रयत्न किया जायगा तो उसका जो दुष्परिणाम होता है वह देखने में आ रहा है।

जहां तक गल्ले के प्रोक्योरमेंट की व्यवस्था का सवाल है उसकी तरफ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। गतवर्ष शिब्बनलाल जी सकसेना एम० पी० और मैं और मेरे कुछ अन्य साथी मंत्री जी से मिले थे और उन्होंने एक रास्ता बताया था और उसको हम लोगों के सामने माननीय मंत्री जी ने स्वीकार भी किया था और वह था गोरखपुर, देवरिया और बस्ती में जब अन्न का आवागमन होता है तो उसके कारण जो कमी दिखाई पड़ती है वह दूर हो जाया करती है, लेकिन यदि उसमें काबट पड़ जाती है तो एक ऐसा गतिरोध पैदा होता है जिसकी वजह से नदी के एक तरफ रहने वाले को २ रुपये मन पर चीज मिलती है, तो दूसरी ओर वालों को ४ पया और ६ रूपये मन ज्यादा दाम पर मिलती है। इसके साथ ही जो समीपवर्ती

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गांव हैं उनके कुछ लोग इधर भी खेती करते हैं लेकिन अगर उधर अन्न ले जाना चाहते हैं तो आदेशों के कारण वह नहीं ले जा सकते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि सम्भव हो सके तो केंद्रीय सरकार को सुझाव दिया जाय कि यह तीनों गोरखपुर, देवरिया और बस्ती जिलों पर जो अन्न की रोक है उसे हटाया जाय, लेकिन जो मौजूदा आदेश हैं उनके सम्बन्ध में दो चार शब्द कहना जरूरी मालूम पड़ता है।

जो एक आदेश है केन्द्रीय सरकार का जिसके आधार पर हमारी यू० पी० की सरकार प्रोक्योरमेंट करती है उसको शब्दशः आपकी आज्ञा से पढ़कर सुनाना चाहता हूं––

"*Restriction on movement of Rice*—No person shall move or attempt to move or abet the movement of rice either alone or mixed with paddy from any place within the area comprising the portion of Gonda District lying to the north of the Rapti River or the area comprising the portions of Basti and Gorakhpur districts lying to the north of the Rapti River and to west of the Rohin River and its distributaries to any place outside the said area except under and in accordance with a permit issued by the State Government or any officer authorised by the State Government in this behalf."

यानी गोंडा, बस्ती और गोरखपुर के जिलों में राप्ती नदी के उत्तर और रोहिन और उसकी सहायक नदियों के पूरब में कोई अन्न चावल वगैरह या इस तरह के जो दूसरे अन्न हैं वह बगैर प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी की इजाजत के नहीं ले जा सकते। यह आर्डर देखने में बड़ा निर्दोष सा लगता है लेकिन इसके इम्प्लीकेशन से वहां की जनता पर, वहां की पीजेन्ट्री पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि बदकिस्मती से यह समझ लिया गया है कि यह जो ट्रान्स-राप्ती एरिया है यहां अन्न बाहुल्य है, यह सरप्लस एरिया है लेकिन मैं बहुत विनम्रतापूर्वक मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरलस एरिया नहीं है। पड़ोस में जो नैपाल क्षेत्र है उस एरिया से जो चावल वगैरह आता है उसी के कारण यह सरप्लस एरिया है। हमारे यहां जो ३–४ जिले हैं वहां जो कमी पड़ती है उसकी पूर्ति नैपाल के गल्ले से होती है लेकिन यह जो आदेश निकाला गया है उसकी व्याख्या इस प्रकार की जा रही है कि वहां पर गल्ले का कुदरती बाजार था, वहां पर नेचुरल फ्लो आफ ग्रेन्स (Natural Flow of grains) था, नैपाल के गल्ले का कोई सम्बन्ध नहीं रखा जा रहा है। नतीजा यह है कि वहां पर गल्ले का फ्लो बन्द होता जा रहा है। यद्यपि यह लोकलाइज्ड मामला है फिर भी मैं उदाहरण के लिये कहना चाहता हूं कि गोरखपुर की फरेंदा तहसील में डबरूपुर एक मंडी है जहां पर कि चावल का एक बहुत बड़ा बाजार था। डबरूपुर के सम्बन्ध में कहना है कि वहां पर हर आठवें दिन १५–२० हजार मन तक चावल आया करता था और बिका करता था। वहां पर इधर उधर के व्यापारी, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, आजमगढ़ और बलिया से पहुंचते थे और चावल खरीदकर ले जाया करते थे। आज वहां के व्यापारी यहां आये हुये हैं और यहां बैठे हुये हैं, मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे इसकी जांच करायें कि आज उस मंडी की क्या हालत है। आज डबरूपुर की मंडी उजड़ गई है और वहां पर एक छटांक चावल आना मुश्किल हो गया है। यह केवल उस आर्डर की गलत व्याख्या के कारण हुआ।

श्रीमन्, एक दूसरा बाजार उसी मंडी के बगल में था जहां पर कि बाद में चावल आने लगा था और वह मंडी फ्लोरिश करने लगी लेकिन फिर उसका दूसरा अर्थ लगा लिया गया। श्रीमन्, जो आर्डर है उसमें लिखा हुआ है कि "रोहिन और उसकी ट्रिब्यूटरी" (ट्रिब्यूटरी) शब्द का अर्थ मैंने शब्दकोष में देखा। ट्रिब्यूटरी उसको कहते हैं कि वह नदी जिसका पानी दूसरी नदी में गिरता हो, वह उस नदी की सहायक नदी या ट्रिब्यूटरी कही जायगी। लेकिन यहां पर

[श्री मदन पांडेय]

एक अजीब सी व्याख्या की जा रही है। यह ट्रिब्यूटरी उसको नहीं कहते, यह कहते हैं कि ट्रिब्यूटरी को भी जो ट्रिब्यूटरी हो उसको भी ट्रिब्यूटरी माना जाय। इस आर्डर में ट्रिब्यूटरी की यह व्याख्या की जा रही है। मैं मंत्री जी का ध्यान सही व्याख्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। झरही रोहिन नदी की ट्रिब्यूटरी है, उसकी सहायक नदी है, लेकिन जो चंदन नदी है वह झरही नदी में गिरती है, चन्दन नदी झरही की ट्रिब्यूटरी है और झरही रोहिन की है। इस मौजूदा आर्डर को सही मान लिया जाय तो झरही के बाद चन्दन नदी पर जो गल्ला रोका जाता है वह गलत है।

अब मैं तीसरे पहलू की तरफ मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अभी तक यह खुशी की बात है कि नेपाल राज्य के भीतर गल्ला खरीद कर उसको त्रिबेनी के रास्ते से बाहर ले जाने की योजना किसी के दिमाग में नहीं आयी है नहीं तो जो वहां पर गल्ले का सरप्लस (बाहुल्य) है वह खत्म हो जायगा। इसलिये मैं अनुरोध करता हूं कि सरकार की पहली कोशिश यह होनी चाहिये कि गोरखपुर, देवरिया और बस्ती में जो अन्न के मूवमेंट पर रेस्ट्रिक्शन है वह हटा लिया जाय। अगर यह सम्भव न हो तो मौजूदा आर्डर में इस प्रकार के परिवर्तन किये जायं जिससे चन्दन नदी के ऊपर जो रोक लगाई जा रही है उससे अगर फरेंदा तहसील नहीं तो कम से कम महाराजगंज तहसील अवश्य बच जाय ताकि कम से कम इससे वहां नुकसान न हो। इस उद्देश्य से मैंने यह सुझाव आपके सामने रखा।

अब मैं चावल के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। राइस मिलिंग इंडस्ट्री रेग्यूलेशन के अनुसार प्रोक्योरमेंट के लिये ये आदेश हैं कि जो हुलर धान कूट कर चावल बनाते हैं उनसे भी ५० परसेंट लेवी ली जाय। इससे हजारों लोगों की रोजी खतरे में पड़ गई है। किसान वहां ले जाने से डरता है। इसलिये राइस मिलिंग इंडस्ट्री रेग्यूलेशन में कुछ ऐसा संशोधन होना चाहिये कि किसान का डर निकल जाय और हजारों आदमियों की रोजी को जो खतरा है वह दूर हो जाय। वे अपनी रोजी चला सकें।

दूसरी बात मुझे उस चावल के सम्बन्ध में कहनी है जो सस्ते गल्ले की दूकानों पर सरकार की ओर से मिलता है। वह १ सेर ९ छटांक का दिया जा रहा है जब कि उसी किस्म का चावल बाजार में १ सेर १४ छटांक मिलता है। इस प्रकार से सरकार गला घोटू उपाय करके महंगे दामों पर चावल दे रही है। आप वहां केवल गेहूं दीजिये और चावल लोग बाजार से खरीद लेंगे। वहां आप आवागमन की रुकावटों को दूर कीजिये।

हर जगह लोगों ने हमसे कहा है कि हमारा धान गला घोंट कर सस्ते दामों पर लिया जा रहा है--लेकिन कपड़े के दाम बढ़ रहे हैं और दूसरी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। जैसा ब्रजनारायणजी ने कहा, जिस भाव पर गल्ला मिलना चाहिये उस भाव पर नहीं मिल रहा है और मजबूर होकर लोगों को दूसरों से लेना पड़ रहा है। हमारे यहां चीनी खरीदने वालों की संख्या बहुत कम है और जब कोई मेहमान आता है तभी ४-६ पैसे की खरीदने जाते हैं। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों को चीनी बेंचने के लिये दी जाय जो उसे २४ घंटे बेंचने के लिये तैयार हों।

इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं।

*श्री दाताराम चौधरी (जिला सहारनपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल गल्ला सस्ता रहा है, चाहे मंत्री जी को इसके लिये बधाई दे लें या कुदरत ने मेहरबानी की हो। लकिन साथ ही मुझे कुछ सुझाव देने हैं और मंत्री जी उन्हें नोट कर लें तो अच्छा है। अव्वल तो जहां तक हो सके सरकार कंट्रोल ही न करे चाहे लोगों को तकलीफ़ हो। थोड़े दिन रह कर ठीक हो जायेगा। और

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अगर सरकार कंट्रोल करती ही है तो अच्छा इन्तजाम होना चाहिये। सरकार ने गल्ला खरीदने की जो योजना बनाई है उसमें बहुत कुछ नुक्स है। अगर किसी अफसर पर सब से बड़ी रियायत करनी है तो उसे मार्केटिंग इन्सपेक्टर बना दिया जाय। एक ही फसल में, मैं समझता हूं शायद कई हजार रुपया वह कमा लेता है। इसका मुझे सही अन्दाजा नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, सहारनपुर जिले से मैं आता हूं जो पश्चिमी जिलों में ज्यादा पैदावार का समझा जाता है। वहां वह हालत है कि जो लोग रुपया दे देते हैं उनका तो अनाज सरकार की ओर से नहीं खरीदा जाता है और जो नहीं देते हैं उनका ले लिया जाता है, जबरदस्ती। यह जो पालिसी चल रही है कि २ ३ सरकार खरीदेगी और १/३ किसान या दूकानदार बेच ले, इसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ी है। सरकार को इसे दूर करना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि कंट्रोल के सिस्टम के लिये कोई वहां की कमेटी मुकर्रर होनी चाहिये जो वहां की बातों की जांच करके सरकार को रिपोर्ट दे। मुझे सहारनपुर जिले का इल्म है कि १ रुपया फी मन मार्केटिंग इन्सपेक्टर ने अपना बांध रखा है, चूंकि सरकार सस्ते दामों पर गल्ला खरीदती है। जिस मंडी से लाखों मन गल्ला लिया जाता हो वहां लाखों रुपया लोगों की जेब में चला जाता है और यह सब किसानों के ही जिम्मे पड़ता है। मैं चाहता हूं कि सरकार इधर ध्यान दे।

यह बात सही है कि अब चीनी की ज्यादा मांग नहीं है, लेकिन सितम्बर और अगस्त के महीनों में सन् १९५९ में, मुल्क में चीनी की मांग ज्यादा थी और ३० रुपये बोरी के हिसाब से उसका ब्लैक मार्केटिंग होता था। जिस डीलर को ८० बोरियां मिलती थीं वह ज्यादातर वहीं ब्लैक में बेंच देता था। गांवों में लोग चीनी बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। जिन गरीब लोगों को गुड़ और शक्कर भी नहीं मिलती है वे चीनी कहां से खावेंगे? अभी शायद १ हफ्ता हुआ, सरकार की तरफ़ से यह अखबारों में शाया हुआ था कि इस समय चीनी कम बन रही है। मैंने मंत्री जी का इसकी तरफ ध्यान भी दिलाया था कि आखिर ये कहां के आंकड़े उनके पास आ गये? मुझे मेरठ डिवीजन की इत्तिला है कि चीनी ज्यादा बन रही है। परन्तु कम बनने की दलील यह दी गई कि कहीं हड़ताल हो गई या कुछ और बात हो गई। मेरी मालूमात है कि हर मिली सवाई और डयौढ़ी चीनी बना रही है। गोरखपुर डिवीजन के साथी भी यही बतलाते हैं। कल ही गेंदा सिंह जी ने मांग उठाई थी कि हमारे पास जो गन्ना है उसे दूसरी जगह बेंचने की इजाजत दी जाय, लेकिन सरकार ने उसे नहीं माना। सरकार को ऐसी अखबारी बातों को खन्डन करना चाहिये वरना मुल्क में हल्ला हो जायगा कि मीठा कम है और चीनी कम बन रही है। इससे बाजार से चीनी गायब हो जायगी। अभी से सरकार को एलान करना चाहिये कि हमारे पास चीनी बहुत ज्यादा है और चीनी ज्यादा बनी है।

मुझे ज्यादा न कह कर दो एक बातें ही सरकार से निवेदन करनी हैं। एक तो मार्केटिंग इन्सपेक्टर जो इन्होंने छोड़े हैं उनका किसी तरह से इन्तजाम करें। चाहे कोई क्षेत्रीया समिति मुकर्रर करे जैसे पहले सन् ४६ में सर्किल कमेटी बनाई थी और वहां के लोगों को भी शामिल किया था, लेकिन किसानों को रिहाई होनी चाहिये ताकि वे रिश्वत देने से बच सकें।

दूसरी बात मुझे यह निवेदन करनी है कि सस्ते गल्ले की दूकानें वगैरह जो दी जावें वे कोआपरेटिव सोसाइटीज को दी जावें। किसी व्यक्ति को देने की एजेंसी नहीं होनी चाहिये, क्योंकि उससे यह बहुत ज्यादा लोग गड़बड़ी करते हैं। जो लोग इस समय गल्ले की दूकानें लेते हैं उसमें ऊपर से नीचे तक सब लोग शामिल होते हैं और उसका नतीजा यह होता है कि जिन लोगों के लिये वे चीजें दी जाती हैं उन लोगों तक वे नहीं पहुंचती हैं। इसलिये ज्यादा से ज्यादा दूकानें कोआपरेटिव सोसाइटीज को देनी चाहिये। मुझे आशा है कि सरकार इस पर अवश्य ध्यान देगी। कोयले के सम्बन्ध में भी यही नीति होनी चाहिये।

[श्री दाताराम चौधरी]

तीसरी बात मुझे लोहे और सीमेंट तथा टीन के सम्बन्ध में कहनी है। फ्लड एरियाज, जहां के लोग अपने रहने के लिये कच्चे या पक्के मकान नहीं बना सकते हैं, उनके लिये टीन का ज्यादा इन्तजाम होना चाहिये बमुकाबले और जगहों के। तो सरकार से मेरा निवेदन है कि जो सुझाव मैंने दिये हैं, उन पर वह जरूर ध्यान देगी। इसके बाद मैं खत्म करता हूं।

श्री बुद्धीसिंह (जिला मुरादाबाद)--उपाध्यक्ष महोदय, इस खाद्य अनुदान के कटौती प्रस्ताव पर अपने विचार प्रकट करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, इस व्यापार में, सस्ते गल्ले की दूकानों में जो धांधलेबाजी चली है उसके सम्बन्ध में मुरादाबाद की दो जगहों का जिक्र मैं कर देना चाहता हूं। जैसा कि अभी अभी पूर्व वक्ता ने कहा है, जब मेरे यहां खाद्य सलाहकार समिति की मीटिंग हुई तो उसमें मैंने यही सुझाव दिया था कि सस्ते गल्ले की दूकानें कोआपरेटिव सोसाइटीज की क्षेत्रीय सोसाइटी को दी जायं जिससे सस्ते रेट पर पिछड़े इलाके के लोगों को जो कि गरीब हैं, चीजें मिल सकें। मेरी इस राय का समर्थन मुरादाबाद के जिलाधीश ने भी किया कि उसूली तौर पर यह ठीक है लेकिन दूसरे रोज कागज में देखा गया कि करीब ७५ फीसदी दूकानें कांग्रेसी राज्य के खानदानी लोगों को दे दी गयी हैं। उन दूकानों पर जो धांधलेबाजी मुरादाबाद जिले में चली, मैं चन्दौसी का जिक्र करता हूं कि मैंने स्वयं एक दो दूकानों पर जाकर एक दिन देखा और पाया कि गल्ला कम तौला जाता है। मैंने गल्ला बेचने वाले और लेने वाले दोनों के सामने इस चीज को देखा और इसकी रिपोर्ट की जिसकी जांच तहसीलदार ने की। परन्तु उस रिपोर्ट पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

श्रीमन्, जब सरकार इस उसूल को मानती है कि सहकारिता के आधार पर देश का निर्माण हो तो फिर व्यक्तिगत तौर पर दूकानें देने का क्या मतलब होता है ? हम सन् ४८ से ही देखते आ रहे हैं कि इस कांग्रेसी शासन में इन दूकानों पर बड़ी धांधलेबाजी होती आ रही है। श्रीमन्, बाहर से २२ करोड़ ५८ लाख रुपये का गल्ला मंगाने की बात लिखी है और ३,२६,२४५ रु० नौकरों पर, गोदाम, गाड़ी, भाड़ा आदि में खर्च हुआ और इस तरह से इस मद में ५६,६०,६२४ रु० आता है। कुल का जोड़ एक साथ करें तो करीब २३,१८,८१,७९४ रु० आता है जो हम इस मद पर खर्च कर रहे हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस रकम के द्वारा दूकानों के वितरण का जो तरीका है वह सही तौर पर नहीं हो रहा है। जिन लोगों के लिये गल्ले की दूकानें खुली हैं उन तक गल्ला नहीं पहुंच पा रहा है और गल्ले की तकसीम गलत तरीके से हो रही है। सबको यह ज्ञात है कि सस्ते गल्ले की दूकानें जो किसानों को गल्ला देने के लिये खुली हैं, उनको नहीं प्राप्त हो रही हैं।

जैसा कि कहा गया है जो गल्ला दूकानों पर दिया जाता है वह इतना रद्दी होता है कि महीनों तक वह दूकानों पर पड़ा रहा लेकिन उसे लेने के लिये किसान नहीं आये। तो मेरा निवेदन है कि सरकार द्वारा इस तरह का रोजगार करने से क्या फायदा है ? जब साढ़े ६ करोड़ आबादी के लिये इस तरह की कोई सुविधा देना चाहते हैं तो सूबे में १,१४,४७,३२२ टन कुल गल्ले की जरूरत है और आप के यहां जो पैदा हुआ है वह है १,२८,१०,००० टन। यह दूकानों का रोजगार आरजी चीज है कोई स्थायी चीज नहीं है।

आपका लक्ष्य है कि समाजवादी समाज बनाने के लिये देश की पैदावार बढ़ाई जाय। यह जो २ अनुदानों की मांग है, ठीक है वह खर्च की जाय, मैं नहीं कहता कि उनको न लिया जाय। मेरा सुझाव है इनमें से एक अनुदान से तो दूकानें चलाई जायं और दूसरे अनुदान के लिये मैं सुझाव देता हूं कि बढ़ती हुई आबादी के लिये और गल्ले की कमी को पूरा करने के लिये आप इस अनुदान से २,००० रुपया फी गांव के हिसाब से रहट के कुवों के लिये दे दीजिये। इस तरह से इतने रुपए से १,३३,७५० कुएं बन जायंगे और ५३ लाख ५० हजार एकड़ की और सिंचाई हो सकेगी। यह काम कोआपरेटिव सोसाइटीज या सरकारी तौर पर कैसे ही किया जा सकता है। अगर यह काम कर दिया जाय तो दस मन प्रति एकड़ के हिसाब से १९,०७,१४३ टन पैदावार

हो सकती है। जो कमी इस साल की पैदावार के हिसाब से है वह है २६,३७,३२२ टन की आबादी के हिसाब से अगर इस तरह से इस दूसरे अनुदान से केवल रहट के कुयें बनाये जायं तो यह कमी बहुत कुछ पूरी हो सकती है। दूसरा सुझाव यह है हमारा जो पैदावार बढ़ाने का लक्ष्य है वह तभी पूरा होगा जब कोई ठोस कदम उठाये जायंगे, केवल ऊपर मरहम लगाने से वह समस्या हल नहीं होगी। गांव में जो तकावी दी जाती है वह हर एक किसान को रकबे के लिहाज से २ हजार रुपये तक बिना सूद के दी जाय और दस साल तक उससे कोई सूद न लिया जाय और अगर किसान छोटे छोटे हों तो कई किसानों को इकट्ठा करके यह रहट की तकावी दी जाय और उनके कुयें बनवा दिये जायं।

इसके अलावा दूकानों के सम्बन्ध में भी मैं कहूंगा कि उनमें से भी बहुत धांधलेबाजी होती है और पक्षपात चलता है। बोरियां की बोरियां ब्लैक में चली जाती हैं और गांव के प्रधानों को जो कोटा त्यौहारों के लिये दिया गया उसकी चीनी गांव के अन्दर किसी किसान को नहीं मिली और शहर की दूकानों पर ही यार दोस्तों को अपने तरीके पर बट गई। इस वक्त आपके सूबे में सिंचाई केवल ७५ लाख एकड़ की हो रही है और इस तरह से अगर मेरा सुझाव मान लिया जाय तो ५३,५०,००० एकड़ और सिंचाई होने लगे, अगर आप यह इसमें से एक अनुदान ही उसमें लगा दें। तो इस तरह कुल मिला कर १,२८,५०,००० एकड़ की आबपाशी होने लगेगी। इस वक्त ५ मन फी एकड़ पैदावार का औसत है लेकिन अगर कोआपरेटिव सोसाइटियां इन ट्यूबवेल्स के मुकाबले पर यह रहट बनायेंगी तो १० मन फी एकड़ पैदावार हो सकती है क्योंकि स्वयं मेरा रहट है और मैंने देखा है कि दस मन प्रति एकड़ तो हो ही जाता है, इस तरह से कुल पैदावार दस मन प्रति एकड़ के हिसाब से हो जायगी ४५,८९,२८५ टन।

मेरा कहना यह है कि इन दूकानों की पक्षपात की जांच कराई जाय। इस वक्त मुरादाबाद में ७१ दूकानें जारी हैं। मैंने कलेक्टर को सुझाव दिया था और उन्होंने उसको कहा भी था कि यह ठीक है लेकिन मैं जानता हूं कि ऐसे बहुत से दूकानदार वहां हैं कि जो बैठते तक नहीं दूकान पर बल्कि कांग्रेस का प्रचार करते हैं, दूसरों से साझा उन्होंने किया हुआ है और नफा वह लेते हैं। मैं सिरसी की दूकानों का जिक्र कर दूं, सम्भल की दूकान का जिक्र करता हूं। जो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी वगैरह ऐसे लोग हैं उनको दूकान दे देते हैं। इस तरह से काम नहीं चलेगा। मैं माननीय मंत्री जी से आपके जरिये प्रार्थना करता हूं कि वह इस बात की जांच करें कि दूकानों पर गल्ला खराब मिल रहा है। अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि यह सब धांधलेबाजी बन्द हो और जो मैंने सुझाव दिये हैं उन्हें कार्य रूप में परिणत किया जाय।

*श्री लालबहादुर (जिला वाराणसी)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नेगी जी ने जो अनुदान पेश किये हैं उनका समर्थन करने के लिये और श्री रामायणराय द्वारा प्रस्तुत किये गये कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं सदन के सभासदों से निवेदन करूंगा कि हम लोग बहस में बड़ी डिटेल में तो जाते हैं लेकिन बुनियादी उसूल क्या है और तरीके क्या हैं इन पर गौर नहीं करते। मैं तो कहूंगा कि नेगी जी ने बहुत कल्याणकारी अनुदान पेश किये हैं। मुझे बड़ी तकलीफ हुई। हमारे माननीय उग्रसेन जी ने कहा कि यह तो फेमिन का अनुदान कहा जाय और फेमिन के मिनिस्टर कहे जायं तो ठीक होगा। अगर फेमिन के मिनिस्टर कहे जायंगे तो आप भी फेमिन के सदस्य कहे जायंगे। आप ही नहीं बल्कि यह सारा सदन कहा जायगा। केवल नेगी जी की ही जिम्मेदारी नहीं है बल्कि हम सभी की है। विरोधी लोगों की भी है। प्रजातन्त्र के इन बुनियादी उसूलों को आप क्यों भूल जाते हैं?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लालबहादुर]

देवरिया, गोरखपुर की बड़ी चर्चा की गई। माननीय मदन पांडेय जी ने एक बहुत बड़े रहनुमा प्रोफेसर शिब्बनलाल सक्सेना का नाम लिया। वह तो बहुत बड़े हैं। आप खुद ही आकर नेगी जी से मिल लेते, उन्हें क्यों तकलीफ दी? अगर आपकी बात न मानते तो प्रोफेसर साहब को लाते या और किसी को लाते।

कहा गया है कि नेपाल या अन्य जगहों से गल्ला नहीं लाने दिया जाता है। आप लाइसेंस ले लीजिये और लाइये। यह तो मंत्री जी की योग्यता है कि नहीं लाने देते हैं। वरना वहां से लेकर तिगुने, चौगुने और पचगुने पैसे वसूल किये जायं। मैं तो निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिये कि उन्होंने इतनी कड़ाई से ब्लैकमेलिंग को रोका है और जो बदमाश और चोर लोग हैं उनसे जनता को बचाया है। सोशलिस्ट पैटर्न का उन्होंने खूब अच्छी तरह से पालन किया है।

मान्यवर, कहा जाता है कि कंट्रोल की दूकानों पर सड़ा हुआ गल्ला आया है। हो सकता है, इतनी बड़ी व्यवस्था है, कहीं सड़ा गल्ला हो। लेकिन कम से कम इतना तो आपको मानना ही पड़ेगा कि सारी स्थिति को किस तरह से फेस किया गया है। आप लोग तो गल्ला लूटने का काम शुरू कर देंगे। अब माननीय मंत्री जी कानून बनावें या गल्ला लूटने से बचावें? आप कम से कम यह तो करें कि जो अनुदान आवें उन्हें पास करके उनके साथ सहयोग करें। और उसके बाद तब उनसे काम लीजिये। कल जो अनुदान आया उसका विरोध हुआ, आज भी जो अनुदान आया उसका भी विरोध, तो इस तरह से लकीर के फकीर होने से देश चलने वाला नहीं है। कल आप भी मंत्री हो सकते हैं तो क्या आप चाहते हैं कि यही हालत आपके सामने भी पैदा की जाय? यह उचित नहीं है।

हमारे एक मित्र ने मुरादाबाद का किस्सा सुनाया कि किसी कांग्रेस के मंत्री को दुकान दे दी गई। अगर उस मंत्री के यहां गल्ले का रोजगार होता होगा और वह नियम के अन्दर आता होगा तो जरूर दे दी गई होगी। एतराज काहे का? आपको भी दी जा सकती है अगर कानून के अन्दर आयेंगे। हम तो मंत्री जी की तारीफ करेंगे क्योंकि उन्होंने ऐसी सुन्दर व्यवस्था कर दी है सस्ते गल्ले की दूकानों के बारे में जिससे उनके ऊपर तो किसी प्रकार का दोष आ ही नहीं सकता। आप देखें कितने मेम्बर हैं उस कमेटी में जो एलाटमेंट करती है; विधान सभा के सदस्य, विधान परिषद् के सदस्य हर जिले से दो-एक होंगे, जिला मुख्यालय और नगरपालिका के चेयरमैन, अन्तरिम जिला परिषद् के उपाध्यक्ष, सरकार से पूर्व अनुमोदित जिलाधीश द्वारा नामजद किया गया सदस्य, सरकार द्वारा एक नामजद व्यक्ति, और संसद स्थानीय सदस्य। अब आप चाहे जैसे करें। मंत्री पर दोष देने से काम नहीं चलेगा। और जैसा माननीय मदन पांडेय जी ने प्रोफेसर शिब्बनलाल सक्सेना का नाम लिया तो वह भी उस कमेटी में आ जाते हैं।

लोहे और सीमेंट के कंट्रोल की बात कही गई। सीमेंट पर तो कंट्रोल है नहीं लोहे और टिन पर है। अगर वह भी काफी मात्रा में पैदा होने लगा, जैसा कि पंचवर्षीय योजना के पूरा होते-होते, भिलाई और दुर्गापुर के कारखानों से लोहा मिलने लगेगा, तो उस पर से भी कंट्रोल हटा लिया जायगा।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---कुछ बनारस के बारे में कहिये।

श्री लालबहादुर---बनारस में तो कोई इस्पात का कारखाना खुला नहीं। नहीं तो भाई प्रतापसिंह जी चाहे जितना इस्पात लेते।

यह कहा गया कि सस्ते गल्ले की दूकानें बढ़ायी गईं लेकिन अन्न की मात्रा नहीं बढ़ायी गई। लेकिन आप देखेंगे कि जो दूकानें बढ़ी हैं उनके कारण लोगों की लम्बी कतारें नहीं लगतीं जो पहले लगती थीं। जनता का हैरेसमेंट कम हो गया है।

मैं यह मानता हूं कि दूकानें कोआपरेटिव सोसाइटीज को दी जायं, कोआपरेटिव फारमिंग हो, लेकिन एक चीज को देखा जाय और सब जानते हैं कि अगर गल्ले की दूकान में १ या २ आदमी मिलकर पैसा खाते हैं तो कोआपरेटिव में भी ५, ७ आदमी मिलकर खा जाते हैं, इसकी व्यवस्था होनी चाहिये।

अब हालत यह है कि वितरण किस तरह से हो? इस संबंध में एक सुझाव जरूर देना चाहता हूं। वह वितरण व्यवस्था शहरों में तो किसी प्रकार की हो लेकिन देहातों में वितरण व्यवस्था मारल तरीके से होनी चाहिये और वह इस तरह कि वहां के लिये जो गल्ले का कार्ड बने वह अस्थायी न बने बल्कि एक-एक गांव में या अदालती पंचायत में एक छोटी सी कमेटी, जैसे शहर में है, बनायी जाय और वहां कार्ड बने। क्योंकि एक दिक्कत गांव वालों के लिये यह पड़ती है कि कार्ड बनाने के लिये जो कर्मचारी जाते हैं, अब यह तो मैं नहीं कहता कि सब बेईमान हैं, और न यह बात कहता कि सब दूध के धोये हैं, तो जो खराब लोग होते हैं वह कुछ गड़बड़ी कर देते हैं लेकिन अच्छे लोग नहीं करते हैं। तो जो गांव के लिये आपने दूकानें दी हैं उनके लिये एक कमेटी अवश्य बना दें जिसमें गांव सभापति हो और पंचायत सेक्रेटरी हो।

एक बात यह भी कहनी है कि जिस तरह से देवरिया व गोरखपुर से चिल्लाहट है उसी प्रकार कवाल टाउन्स से चिल्लाहट आती है कि दूकानें और बढ़ाई जायं। एक गड़बड़ी वहां हो गयी है कि कुछ दूकानें जो कवाल टाउन्स में चली गयीं वहां उन पर वितरण नहीं हो रहा है। कहा जाता है कि ये शहर में चली गयीं और शहर वाले कहते हैं कि ये देहात की दूकानें हैं। लिहाजा इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है।

एक साहब ने फरमाया कि यह सब ऐसे लोगों की सिफारिश पर किया जाता है जो बहुत प्रभावशाली होते हैं। आज तक प्रभावशाली की परिभाषा तय नहीं हुई। सदन के जितने सदस्य हैं सब बराबर के स्टेटस के हैं। सबको १० रुपये रोज भत्ता मिलता है और यह प्रजातंत्र का सच्चा स्वरूप है। सबकी ड्यूटी ११ बजे से ५ बजे तक रहती है और चाहे जितने भाषण दें। तो फिर प्रभावशाली का क्या सवाल पैदा होता है? हां, कोई फरिश्ता आकर प्रभाव डालता हो तो दूसरी बात है।

आपके द्वारा सदन से निवेदन करूंगा कि रामायणराय जी का जो प्रस्ताव है कटौती का उसे वे वापस ले लें और आदरणीय मंत्री जी का जो अनुदान है उसे यह सदन पास करे।

श्री मलिखानसिंह (जिला मैनपुरी)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में जो अनुदान उपस्थित किया गया है उस पर जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। फूड एडवायजरी कमेटी का सदस्य होने के नाते मैं मंत्री जी को इस बात की बधाई दूंगा कि जितने भी प्रस्ताव हमने कमेटियों में रखे मंत्री जी ने उनको स्वीकार किया। लेकिन चाहे जितनी उनकी कठिनाइयां हों, वह तो समस्या है ही जो साधारण जनता से संबंधित है, उसके लिये मुझे इस विभाग से सबसे बड़ी शिकायत है, यह विभाग जो सैकड़ों चीजों को नियंत्रित करता है। केन्द्र में एक प्रस्ताव पास होता है ६ महीने पहले और हम उस पर नियंत्रण काफी बाद में कर पाते हैं जिससे मध्यकाल में पूंजीपति अनाधिकार लाभ उठाने में सफल हो जाते हैं।

जिस शक्कर पर पहले से ही कंट्रोल है उसके लिये कहा जाता है कि शक्कर पर प्रतिबन्ध लगायेंगे। तो इस तरह वह करोड़पति मिल मालिक अपनी शकर को दबा कर उसी के दाम २० आने सेर के हिसाब से लेता है जब कि उसका सरकारी दाम १ रुपया सेर होता है। तो राज्य की घोषणायें समय पर होनी चाहिये और समय पर उनका पालन हो

[श्री मलिखान सिंह]

तभी हम अपने इस नियंत्रण को अच्छी तरह कर सकते हैं अन्यथा हम कितनी भी व्यवस्था करें सब में असफल होंगे। इसके अलावा हम देखते हैं कि अपने प्रदेश में शकर का उत्पादन मिलों में अब की बहुत अधिक हुआ मगर फिर भी आज वह कंट्रोल की दूकानों पर १ रुपये की और लखनऊ की दूसरी दूकानों पर १ रुपया २ आने सेर बिकती है। मेरा यह सुझाव है कि यह सरकार केन्द्रीय सरकार से वार्तालाप करे ताकि बीच में इस मामले में कोई कठिनाई उपस्थित न हो।

दूसरे स्टील और कोयले के संबंध में भी केन्द्रीय सरकार से प्रदेशीय सरकार का संबंध है। उसमें भी जब कोयले की समस्या आती है तो वह रेलवे के ऊपर डाल दी जाती है। हालांकि हमारे मंत्री जी ने कई बार रेलवे विभाग से बात करके कोयले की पोजीशन ठीक करने की कोशिश की, लेकिन आज भी प्रदेश में कोयले की स्थिति ठीक नहीं है और जिन बाढ़पीड़ित क्षेत्रों में मकानों के लिये ईंट की जरूरत है वहां ठीक समय पर कोयला नहीं पहुंच पाता है। सरकार को इसके लिये व्यवस्था करनी चाहिये।

जहां तक गल्ले का प्रश्न है, इस सदन में आज भी और पहले भी मैंने यह भाषण सुने कि गल्ला सस्ता करो। इस संबंध में मैंने उस एडवाजरी कमेटी में भी एक प्रस्ताव रखा था कि किसान की चीज बिल्कुल सस्ती होती जाती है और मिलों द्वारा तैयार की हुई चीजें बराबर महंगी होती जाती हैं, चाहे कपड़ा हो, चाहे लोहा हो, चाहे कोई दूसरी चीज हो। तो उत्तर प्रदेश की साढ़े ६ करोड़ जनता जिन चीजों को इस्तेमाल करती है वे तो बराबर तेज होती जाती हैं और किसान जिसको पैदा करता है वे चीजें सस्ती होती जाती हैं और उन्हीं के लिये कहा जाता है कि सस्ता करो। सरकार कहती है कि हम सोशलिस्टिक पैटर्न की सोसायटी इस मुल्क में बना रहे हैं लेकिन वह तभी हो सकता है जब इस प्रदेश के अधिकतर रहने वालों की एकोनामिक हालत ठीक हो, उनकी आमदनी ज्यादा बढ़े अन्यथा हम इस तरह से चाहे जितनी कोशिश करते रहें सोशलिस्टिक पैटर्न की सोसायटी नहीं बन सकती। जो इन्डस्ट्री से संबंधित चीजें हैं उसके लिये खाद्य मंत्री जी मुख्य मंत्री जी से बात करें और वे केन्द्र को सिफारिश करें कि मिलों द्वारा पैदा की हुई चीजें सस्ती होनी चाहिये।

इसके बाद, श्रीमन्, गल्ले की दुकानों के संबंध में यहां पर बात हुई। मैंने फ्लावर मिल भी देखी। कुछ ऐसी साइकालोजी है कि लोग आटा लेना कम पसन्द करते हैं। जनतंत्र में समाज पर एक साइकालोजिकल असर भी बहुत पड़ा करता है कि चन्द मिल मालिकों का पोषण करके इस तरह का आटा दिया जाता है। कम से कम मैं वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स की बात कहता हूं कि वहां कोई भी आदमी आटा लेना पसन्द नहीं करेगा। वह एक सेर का गेहूं लेकर खा लेगा लेकिन ढाई सेर का भी आटा किसी तरह से नहीं लेगा। आटा वहां पर लोग ले सकते हैं जो यह समझें कि उनको पत्ती या घास खाकर जीना पड़ेगा। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि उस आटे की जगह पर गेहूं उन दूकानों में मिलना चाहिये।

आज हमारे यहां गल्ले के बारे में गोरखपुर डिवीजन का ही प्रश्न है, पश्चिमी जिलों को कहा जाता है कि सरप्लस में हैं। पश्चिमी जिलों के किसानों की मांग है कि यह जिला-बन्दी उठनी चाहिये। मैं मैनपुरी क्षेत्र का उदाहरण देता हूं। मैनपुरी क्षेत्र में चावल एक प्रमुख फसल है। लेकिन इस साल धान का दाम दस रुपये से ऊपर नहीं उठ सका। उसका क्या कारण था? उसका एकमात्र कारण यह था कि हमारे मैनपुरी में इतना अधिक चावल पैदा होता है, परन्तु फर्रुखाबाद और उधर के एरिया में उसकी मार्केटिंग का कोई प्रबन्ध नहीं था। जब धान की कीमत गिर गयी तो जिन्होंने अपना मकान शुरू किया था उनको यह नौबत नहीं आयी कि वह अपना मकान पूरा कर सकें क्योंकि उन्हें उपयुक्त आय नहीं हुयी। इसलिये हम को यह निश्चित करना है कि

चाहे केन्द्र से संबंधित हो या इंडस्ट्रीज से संबंधित हो जितनी भी मिल से तैयार की हुई चीजें हैं, उनको सस्ता करें। मेरी माननीय मंत्री जी से परसनल बात भी हुई और इस समय भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसको गहराई से सोंचे। यह प्रश्न बहुत जटिल बनता चला जा रहा है। जब कि हमारे ऊपर टैक्स की भरमार है, हमारी चीज सस्ती होती चली जा रही है। जब हमारा मार्केट का बैलेंस नहीं रहेगा तो किसान भूखों मरने लगेगा, इसका इस तरह से शोषण किया जा रहा है, जिस तरह से एक व्यक्ति का धीरे-धीरे इंजेक्शन से खून लिया जाता है। हमारे ऊपर जो टैक्स की भरमार है, उसको देखते हुए मार्केट प्राइस बैलेंस करें। गल्ले की कीमत और मिल से तैयार की हुई चीजों का सामंजस्य हो, जिससे किसानों का जीवन-स्तर ऊंचा उठ सके।

दूसरे जो सब से बड़ी महत्व की चीज है, वह है राज्य व्यापार। जहां भी मैंने देखा राज्य का व्यापार कभी सफल नहीं हुआ। हमारे इस फूड विभाग ने गुड़ का काम किया था, उसमें उसको बराबर घाटा हुआ। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि सस्ते गल्ले की दूकानें सोसाइटियों को दी जायं हमारे प्रदेश का अभी नैतिक स्तर इतना ऊंचा नहीं हुआ है। सोसाइटियों के नाम पर जो करप्शन होता है वह सब को मालूम है। माननीय मंत्री जी का कल का स्टेटमेंट है कि जौनपुर में कितनी ही दूकानें जो कोआपरेटिव बेसिस पर थीं, सस्पेंड करनी पड़ीं। इसलिये सोचना पड़ेगा कि हम ऐसे व्यक्ति को दूकान दें जो उसको चला सके। हम अपने हाथ में इतना व्यापार लें जितना हम कर सकें। अगर हम सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी का नारा लगा कर सम्पूर्ण व्यापार अपने हाथ में लेंगे तो पब्लिक में अशान्ति होगी, क्रान्ति होगी। जो लोग यहां मंत्रिमंडल बनाये बैठे हैं उनको यह सोचना चाहिये, उन मंत्रियों को यह विचार करना चाहिए कि हम उतनी योजना अपने हाथ में लें जितनी योजना सफलता से चला सकें। तो मैं राज्य व्यापार का तो घोर विरोध करता हूं क्योंकि गल्ले का व्यापार यह कर नहीं सकते। इसका मूल्य ऊपर नीचे बढ़ता रहता है। इतना कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री नागेश्वरप्रसाद (जिला जौनपुर)––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान के लिये प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं और भाई रामायण-राय जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है मैं उसका विरोध करता हूं। मान्यवर, इसमें कोई शक नहीं कि सरकार ने जो खाद्य समस्या अपने हाथ में ली है और उसके लिये आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति की जो जिम्मेदारी ली है वह कई साल से है और इसके साथ साथ पिछले साल से गल्ले के व्यापार की भी बात सरकार ने अपने हाथ में ली है। इस पर एक मत हो जायं और लोग पूर्ण सन्तोष व्यक्त करें यह असंभव है। हमें देखना यह है कि जब से सरकार ने इस चीज को अपने हाथ में लिया, तब से उत्तरोत्तर क्या स्थिति होती रही? युद्ध के बाद गल्ले की समस्या तथा दूसरी आवश्यक सामग्रियों के बारे में कैसी हालत हुई, किस तरह परेशानी लोगों को थी, यह सबको भलीभांति विदित है और इसी कारण कंट्रोल करना पड़ा और इस व्यवस्था को लागू करना पड़ा। धीरे-धीरे हम देख रहे हैं कि जब से सरकार ने काम अपने हाथ में लिया तो नया नया था, सरकार को ऐसे काम करने का अनुभव नहीं था और कर्मचारियों को भी जिनको इस काम पर रखा गया, उनको भी अनुभव नहीं था, लेकिन उत्तरोत्तर इसमें सुधार हुआ और आज हम यह कह सकते हैं कि बहुत से कामों में सरकार को पूरी सफलता मिली है। जब कि शुरू में नमक के लिये, चीनी के लिये, तेल के लिये, कपड़े के लिये और गल्ले के लिए, हर एक चीज के लिये परेशानी थी, आज हम यह नहीं कह सकते हैं कि कपड़े के लिये हमारे यहां कोई परेशान है या किसी को दिक्कत होती है। तेल के लिये, नमक के लिये इन सारी चीजों के लिये परेशानी ऐसे दूर हो गई है कि अब उनकी चर्चा ही नहीं होती है।

[श्री नागेश्वरप्रसाद]

एक समय था कि सीमेंट के लिये और लोहे के लिये भी बड़ी चर्चा हुआ करती थी, बड़ी शिकायतें होती थीं लेकिन आज उनके बारे में भी कोई शिकायत सुनने को नहीं मिलती है। अगर आज कोई शिकायत सुनने को मिल रही है तो गल्ले के बारे में। गल्ला एक ऐसी चीज है कि जिसके उत्पादन के आंकड़े हमेशा ठीक आया ही करें यह नहीं कहा जा सकता। बहुत कुछ खाद्य की समस्या, पानी पर और आकाश से होने वाली वृष्टि पर निर्भर रहती है। कभी सूखा पड़ गया, कभी पाला पत्थर पड़ गया, कभी बाढ़ आ गई, उससे फसल पर बड़ा असर पड़ता है, नतीजा यह होता है कि कभी खाद्यानों का उत्पादन ज्यादा होता है और कभी कम होता है। जब ज्यादा होता है तो कुछ सन्तोष हो जाता है, जब कमी पड़ जाती है तो एकाएक हाहाकार मच जाता है। इसको सुलझाने के लिये यह नियन्त्रण करना पड़ता है कि कहां तक किस क्षेत्र से गल्ला आये और जरूरत पड़ने पर सरकार बाहर से भी गल्ला मंगाती है। तो समय-समय पर जैसा लोगों ने सरकार को सुझाव दिया उसके अनुसार सरकार ने काम किया और उस सबको देखते हुए आज हम यह कह सकते है कि पिछली बार तो लोगों को यह शंका थी कि अगर ठीक से इन्तजाम नहीं किया गया तो पता नहीं गल्ले का क्या भाव हो जायगा, लेकिन मई, जून में जब कि गल्ला बाजार में किसानों के पास से आ रहा था तो बहुत कम मात्रा में गल्ला बाजार में आया। उससे पहले जो गल्ले का भाव था उससे ज्यादा भाव नहीं गिरा हुआ था। शंका हो रही थी कि जुलाई, अगस्त में अब की बार गल्ले का भाव बहुत बढ़ जायगा लेकिन गल्ले का भाव बढ़ नहीं पाया और जहां दूकानों की बहुत ज्यादा आशा थी कि बढ़ाई जायंगी वहां इस जून, जुलाई के महीने से बहुत दूकानें चली ही नहीं। और आज भी मैं सबकी तो नहीं कह सकता लेकिन मेरे जिले की हालत यह है और उस तरफ के हमारे जितने साथियों से बात करने का मौका मिला है हर एक आदमी यह कहता है कि हालत यह हो गई है कि दूकानों से गल्ला बहुत कम उठ रहा है जब कि खरीफ की फसल बहुत जगह खराब हो गई है। कहीं तो देर में वर्षा होने की वजह से और कहीं पर वर्षा न होने की बजह से दोनों हालतों में खरीफ की फसल खराब हुई है। वैसे जितनी उम्मीद थी उतनी फसल खराब नहीं हुई है लेकिन बावजूद इसके भाव गल्ले के ठिकाने रहे। आज अभी रबी की फसल बाजार में नहीं आई है लेकिन फिर भी भाव गिर रहे हैं। यहां बैठकर आप कुछ भी कहें लेकिन दुकानों पर यह बात महसूस की जा रही है और किसान भी महसूस कर रहे हैं कि भाव गिर रहे हैं। हमारे जिले में भी, जो कि देवरिया और आजमगढ़ की तरह से अभावग्रस्त है, वहां भाव गिर रहे हैं। हमारे यहां बाहर के जिलों से खरीद कर गल्ला आता है लेकिन फिर भी भाव कुछ गिरे हैं। यह कहा जा सकता है कि क्वालिटी कुछ अच्छी है राशन की दूकानों से, लेकिन फिर भी आमतौर पर भाव गिरे हुए है, बढ़े हुए नहीं हैं। इस तरह से जो गल्ले के भाव गिरे हैं उसमें मैं सरकारी नीति को ही मान सकता हूं जिससे यह प्रभावित हुए हैं।

यहां पर आज चीनी के बारे में शिकायत की गई। मुझे भी कभी-कभी यह देखने में आता है कि चीनी के लिये लोगों को शिकायत हो जाती है। इसमें व्यवस्था ही कारण हो सकती है। इसके लिये कुछ दूसरी व्यवस्था हो तो अच्छा है। देहातों में खासतौर पर जब शादी विवाह होते हैं उस समय चीनी की ज्यादा जरूरत पड़ती है। उस समय लोग ज्यादा खरीदते हैं। हर एक गांव में २-४ शादियां पड़ती ही रहती हैं। लोग खरीद करने जाते हैं। उस समय चीनी के भाव बढ़ जाते हैं। चीनी का जो कोटा होता है वह उतना ही रहता है। मांग ज्यादा होती है तो दाम बढ़ जाते है। इसलिये अगर उस समय दूकानों पर चीनी का कोटा ज्यादा कर दिया जाय और उन दिनों में कोटा कम कर दिया जाय जब कि किसानों को ज्यादा जरूरत नहीं होती है तो यह शिकायत फिर आपको नहीं मिलेगी। शर्बत वगैरह में तो गुड़ भी चलता है। ऐसी हालत में जब शादी विवाह अधिक हों उस समय ज्यादा चीनी दी जाय और बाकी समय में कम चीनी दी जाय तो

यह दोनों तरह की शिकायत नहीं होगी और दुकानदारों को भी इस बात का मौका न मिलेगा कि वह ब्लैक कर सकें। इस तरह की व्यवस्था अगर कर दी जाय तो चीनी वाली शिकायत दूर हो जाय।

सीमेन्ट की शिकायत भी जब से चुर्क सीमेन्ट फैक्टरी खुली है यह समस्या काफी हल हो गई है। आज सीमेन्ट के बारे में कोई कह नहीं सकता है कि हमको मिल नहीं रहा है। आज जितना दूकानदार को सीमेन्ट मिलता है उतना वह बेच नहीं पाता है। अब तो देहात में भी इसकी एजेन्सी देना शुरू कर दिया है। इसलिये इसमें शिकायत की कोई गुंजायश नहीं है।

एक बात कोयले के बारे में यह निवेदन करूंगा कि हमारी तरफ ऐसा है कि जहां पर ईंटों के भट्टे हैं वहां पर कोयला आसानी से मिल जाता है और जहां पर भट्टे नहीं हैं वहां पर कुछ हालत खराब है। इस तरफ हम जितना चाहते हैं देहात उतना आगे नहीं बढ़े हैं लेकिन इसमें भी कुछ शक नहीं है कि हम कुछ आगे बढ़े हैं। आज जहां पर झोपड़ी थी देहाती वहां भी पक्का मकान बनाना चाहता है। इसके लिये उनको ईंटों की जरूरत पड़ती है। अगर ८,१० मील से ईंटों को लाया जाता है तो उसका दाम कुछ ज्यादा पड़ता है। कोयला मंगाकर अगर ईंटें पका ली जाय तो ईंटें कुछ सस्ती पड़ जाती हैं। कोयला दिक्कत से मिलता है। अगर उन लोगों को कोयला मिल जाय तो फिर ईंटें सस्ती पड़ सकती हैं और यह परेशानी दूर हो सकती है। इस सम्बन्ध में अगर सरकार प्रबन्ध करे और आसानी से लोगों को कोयला मिल जाय तो यह शिकायत भी दूर हो सकती है।

जहां तक दुकानों के बारे में शिकायत है कि वहां पर ब्लैक होता है तो इसके लिये जगह जगह इन्सपेक्टर रखे गये हैं, उनकी ड्यूटी है कि वह इस काम को करें और कहीं पर ऐसा न होने दे। अगर इन्सपेक्टर इतना भी नहीं कर सकते हैं तो इनको रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---आपका समय समाप्त हो गया।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रामायणराय जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं जैसा कि मान्यवर, आप को मालूम है, हमारे खाद्य मंत्री माननीय नेगी जी ने आज के दो साल पहले इसी सदन में एक घोषणा की थी और वह घोषणा नागपुर कांग्रेस में राज्य व्यापार की योजना का प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने के बाद उन्होंने की थी। जब कुछ लोगों ने उसका विरोध किया था तो उन्होंने कहा था कि हम उससे मुकर नहीं सकते हैं और उसे हम अपनायेंगे। लेकिन दो तीन दिन पहले एक प्रश्न के उत्तर में हमारे खाद्य मंत्री जी ने जो जवाब दिया उसमें उन्होंने कहा कि हमारी जो योजना चल रही है वह राज्य व्यापार की योजना नहीं है बल्कि बफर स्टाक या गल्ला संचय करने की जो नीति है वह हमारी योजना है। मैं समझता हूं कि माननीय खाद्य मंत्री जी ने जब एक सिद्धान्त को मान लिया है तो उस पर उन्हें कड़ाई से चलना चाहिये। लेकिन ज्यों-ज्यों गल्ला संचय करने वालों का और देश के पूंजीपतियों का असर सरकार पर पड़ता गया त्यों-त्यों सरकार ने अपनी उस पालिसी में तब्दीली की। मैं समझता हूं कि राज्य व्यापार की जो योजना है और जिसका बहुत से प्रगतिशील लोग और खास कर हमारी पार्टी समर्थन करती है, उसमें सिर्फ इतना ही न हो कि हम कुछ गल्ला संचय कर लें और उससे कुछ बाजार में स्थिरता आ सके। इतना ही हमारा उद्देश्य न होना चाहिये बल्कि उससे हमारा मतलब यह होना चाहिये कि किसानों को अपने गल्ले का उचित मूल्य मिले और जो उपभोक्ता है उसको उचित समय पर और उचित दाम पर गल्ला मिल सके। और दूसरी बात यह है कि हमारे वितरण की जो

[श्री ऊदल]

व्यवस्था है वह ठीक से चल सके, इस तरफ हमारा प्रयत्न होना चाहिये। मैं समझता हूं कि इसका मुख्य उद्देश्य यही है। लेकिन अभी हाल में जो थोड़ा-सा बाजार डाउन हो गया है, उससे ही हमारे खाद्य मंत्री जी का बड़ा संतोष हो गया है। मैं चाहता हूं कि सरकार अपनी उस पालिसी को न छोड़े जो कि राज्य व्यापार की योजना के मातहत उसने स्वीकार की थी।

दूसरी बात मान्यवर, मुझे कहनी है दूकानों के बारे में। हमारे कृषि के उप-मंत्री जो यहां बैठे हैं। उन्होंने आज से दो तीन दिन पहले फरमाया था कि हमारे सूबे में दो साल से कोई विदेशी गल्ला नहीं आया है और कल माननीय नेता जी ने बताया कि उनकी बात भी ठीक थी और एक प्रश्न के उत्तर में जो उन्होंने बतलाया वह भी सही है। मैं समझता हूं कि हमारी जो सरकार है उसके मंत्रियों को कम से कम इतना ज्ञान तो होना ही चाहिये कि वे सदन में आकर सही बात कह सकें। आज इस पूरे देश में, जहां तक मुझे मालूम है और जहां तक मैंने जानकारी हासिल की है, इन १२ वर्षों में ३५ अरब रुपयों का गल्ला विदेशों से आया है जिसमें २० अरब रुपया तो तनख्वाहों पर और उसके आने जाने, तथा ढुलाई पर खर्च हुआ है और १५ अरब रुपये का गल्ला मंगाया गया है। तो इससे हमारा प्रदेश अछूता नहीं है।

गांव में और शहरों में हम दूकानों पर देखते हैं कि लाल ज्वार दी जाती है। मैं पूछता हूं कि यह लाल ज्वार जो बिकती है वह कहां की है? वह विदेश की है अथवा हिन्दुस्तान की? और मान्यवर, गेहूं जो दूकानों पर दिया जाता है वह भी हमारे देश का नहीं है। मैं समझता हूं और आपको मालूम है कि हमारे देश और प्रदेश में जो बुनियादी सवाल है वह गल्ले का नहीं, जमीन का है। जब तक जमीन का मसला हल नहीं होगा तब तक हमारी यह खाद्य की समस्या हल नहीं हो सकती। हमारे खाद्य मंत्री जी कहते हैं कि हमारी उपज बढ़ गयी। मैं कहता हूं कि उपज जरूर ७ फीसदी बढ़ी है, जब आप १९५३-५४ से मुकाबला करते हैं, लेकिन जमीन भी ५ फीसदी बढ़ गयी है। तो मुश्किल से १ फीसदी या सवा फीसदी उत्पादन हमारा ज्यादा हुआ है और इसके साथ ही हमारी आबादी भी बढ़ गयी है। अगर इस अनुपात से हम देखें तो संतोष करने के लिये चाहे जो कह लें, लेकिन हमारा काम चलने वाला नहीं है। जब तक जमीन का क्रान्तिकारी सुधार नहीं होगा, जब तक जमीन जोतने वालों को नहीं दी जायगी, खाद्य मंत्री जी सुन लें और हमारी यह सरकार सुन ले, हमारे पूर्वी जिलों में मुख्य रूप से जब तक खेतिहर मजदूर जो खेती पर ही निर्भर है, जो हरिजन लोग सुबह से शाम तक खून पसीना एक करते हैं, आप जानते हैं कि २ रुपया, ४ रुपया महीना उनको तनख्वाह मिलती है और १ सेर, पांच पाव दिन भर मेहनत करने के बाद अन्न मिलता है। तो बुनियादी जो सवाल है, जो सबसे पहले समाज की रीढ़ हैं, जो कि गल्ला पैदा कर सकते हैं ऐसे लोगों के लिए जब तक भूमि की व्यवस्था नहीं होगी, जमीन का क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं होगा तब तक खाद्यान्न के मामले में हम आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। सिर्फ आत्म प्रवंचना और आत्म संतोष कर लेने से कि थोड़े से भाव गिर गये, उससे काम चलने वाला नहीं है। इसलिए सरकार जमीन की पालिसी के बारे में अपनी नीति तय करे और उन लोगों को जमीन दे जो खेतिहर मजदूर हैं, जिनके बच्चे एक एक दाने के लिए तड़पते हैं।

एक बात मंत्री जी से और कहना चाहता हूं। हमारे कुछ साथियों ने कोयले और लोहे के बारे में जिक्र किया। मैं कहता हूं कि जब हम नियोजन के माध्यम से प्लानिंग कर रहे हैं। देश की अर्थ-व्यवस्था को, लोगों के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो इस बात पर भी गौर करेंगे। हमने मंत्री जी की किताब को देखा। जहां तक कोयले और लोहे का मामला है केन्द्र से वह नहीं मिला। हम खाद्य सलाहकार समिति में देखते हैं कि कोयला, लोहा, छड़ और टीन की हर समय कमी और मांग रहती है और चिल्ला चिल्ला कर लोग सप्लाई आफिस से लौट आते हैं और उनके लिए बन्दोबस्त नहीं होता। तो सरकार कोयले और लोहे के मामले में केन्द्रीय सरकार से सिफारिश करे और ज्यादा से ज्यादा कोटा लेने की कोशिश करे ताकि इस

विकास के युग में जो हमारे काम चलें, जो नहर, ट्यूबवेल और मकान आदि बनाने की व्यवस्था है, उसको कर सकें।

भ्रष्टाचार के बारे में जिक्र आता है तो मैंने 'भ्रष्टाचार' का शब्द कहना ही बन्द कर दिया, क्योंकि माननीय मंत्री जी कहते हैं कि हमारे विभाग में भ्रष्टाचार बिलकुल नहीं है, और विभाग वाले भी यही कहते हैं। लेकिन मैंने एक किताब में जो पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की है उसमें देखा कि एक भ्रष्टाचार का मामला है१९५३ में १४,९३९ पये के मूल्य के १२,५८० बोरे एक जगह होने चाहिए थे। इंस्पेक्टर साहब दूसरे स्थान पर चले गये, उनकी जगह दूसरे साहब आ गये। उन्होंने उच्च अधिकारियों को रिपोर्टकी। अधिकारियों और उच्च अधिकारियों ने साल दो साल तक ध्यान नहीं दिया। नतीजा यह हुआ कि जो व्यक्ति इस काम को कर चुके थे, जिन्होंने गबन किया था, कई हजार रुपये की बोरियों को बेचा था वह १९५६ तक बिक्री कर-विभाग में सरकारी सेवा पर थे। अब आप सोचें कि १९५३ का केस और १९५६ तक वह महाशय उसी विभाग में काम करते रहे। हजारों रुपयों का नुक्सान हो गया, लेकिन इस सरकार के अधिकारी चुप-चाप बैठे रहे। उनके स्थान पर जो अधिकारी गये थे उन्होंने रिपोर्ट की फिर भी ध्यान नहीं दिया गया और १९५६ तक वह तनख्वाह लेते रहे और हजारों रुपये का गोल-माल किया। भ्रष्टाचार इसी तरह का होता है। मैं यह नहीं कहता कि मंत्री या उपमंत्री लूट रहे हैं। इस भ्रष्टाचार की जिम्मेदारी मंत्रियों की है, उच्च अधिकारियों की है। वह देखें कि हमारे विभाग में क्या हो रहा है और क्या नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस मामले पर गौर करें और जो सुझाव दिये जा रहे हैं उन पर विचार किया जाय।

एक सज्जन बनारस के बोल रहे थे कि हम कहते हैं कि चना सड़ा हुआ, गेहूं सड़ा हुआ दिया जाता है। मैं कहता हूं कि अभी हाल में, एक महीना हुआ, एक डिप्टी रीजनल फूड कंट्रोलर से मैं खुद मिला था और खाद्य सलाहकार समिति में उस नमूने को पेश किया था। मैं कहता हूं कि आज भी घुना सड़ा चना बिक रहा है, गेहूं बिक रहा है। हमारे माननीय सदस्य ने बताया कि इतना गल्ला रखा गया था जब कि वह खत्ती गल्ला रखने के लायक नहीं थी और अब भी सड़ा हुआ आ रहा है। यह जिम्मेदारी सरकार, नेगी जी और उनके विभाग की है क्योंकि यह इस सूबे की ६ करोड़ जनता का सवाल है। इसलिये यह जो विभाग है इसे काफी सतर्कता के साथ कार्य करने और छानबीन करने की जरूरत है ताकि जनता के पैसे का दुरुपयोग न हो।

श्री उपाध्यक्ष––अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)––श्रीमन्, हमें भी बोलने के लिये समय दिया जाय। जब मैं बोलने के लिये उठता हूं तो यह कांग्रेसी लोग क्यों कहते हैं कि मैं बैठ जाऊं? इसका अधिकार तो आपको ही है।

श्री उपाध्यक्ष––इस बार कांग्रेस की तरफ से बोलने की बारी है। जब मैं आपसे कहा करूं बैठने के लिये तभी आप बैठा करें।

श्री राजदेव उपाध्याय (जिला देवरिया)––उपाध्यक्ष महोदय, यह खाद्य संबंधी जो अनुदान चल रहा है मैं इसके समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। हमारे जो मित्र हैं वे बार बार अकाल का जिक्र किया करते हैं। बार-बार अकाल की याद दिलाया करते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि अगर बार बार अकाल का आह्वान किया गया तो किसी समय दुर्भाग्यवश पूरा भी होकर रहता है। इसलिये बार-बार अकाल का आह्वान करना ठीक नहीं होता है।

अभी उस पूर्वी क्षेत्र में, जहां से मेरे मित्र माननीय गेंदा सिंह जी आते हैं, चन्द सालों पहले स्थिति काफी खराब हो गयी थी। उसका मुख्य कारण यही था कि जब भी माननीय गेंदा सिंह जी

[श्री राजदेव उपाध्याय]

यहां आते थे तो उनको जबान से चारों तरफ अकाल ही अकाल मंडराता था और कुछ दिनों से भगवान की दया से उन्होंने अकाल के नारे को छोड़ दिया है तो आज वहां की हालत काफी अच्छी है। पहले की बनिस्बत आज वहां की हालत बहुत अच्छी है। मैं तो कहता हूं कि हमें अपने खाद्य मंत्री को बधाई देना चाहिये। हमारे यहां अकाल की स्थिति अभी तक नहीं आ पाई है।

इस संबंध में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सन् १९४३ में जब बंगाल में लीगी हुकूमत थी, तो उस समय सर निजामुद्दीन वहां के प्रधान मंत्री थे। उस समय सरकार ने गल्ले पर खुली छूट दे रखी थी। उसके फलस्वरूप उस समय का जो एम० एन० इस्फहानी सबसे बड़ा व्यापारी था, उसने अरबों रुपये का गल्ला खरीद कर भर लिया था। उसके बाद इस छूट का नतीजा यह हुआ था कि उनकी हुकूमत में काफी आदमी अकाल के मुंह में चले गये। वहां अगर यह छूट न दी गयी होती तो यह सूरत न होती।

"परलवा अकाल प्राण जातना विधाता
सवा सेर का मकई बिकातः विधाता।"

अतः मैं यह कहूंगा कि कई सालों के लगातार सूखा पड़ने के बाद, कई सालों के लगातार महामारी पड़ने के बाद, इस समय हमारे पूर्वी या पश्चिमी जिलों की हालत खाद्य के मामले में काफी संतोषप्रद है। पूरी संतोषप्रद न हो, लेकिन संतोषप्रद अवश्य कही जा सकती है और उसका एक खास कारण इस राज्य व्यापार योजना का ही है। इससे हमारे प्रदेश को बड़ा भारी फायदा हुआ है। इस योजना से जो लोग गल्ला छिपा कर रखते थे और अवैध व्यापार करते थे और जब अकाल पड़ता था तो उसे महंगे दामों पर बेचते थे, आज इस राज्य व्यापार योजना से वह नहीं हो पायेगा।

इसके अलावा यह भी सही है कि जो सस्ते गल्ले की दूकानें हमारे पूर्वी जनपद में खुली हैं उससे भी काफी राहत जनता को मिली है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उससे वहां की जनता में काफी संतोष है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि नेपाल का जो मसला है वह काफी गम्भीर मसला है। यह सही है कि देवरिया जनपद हमेशा से अभावग्रस्त जिला रहा है और वहां पर करीब १६–१७ चीनी की मिलें हैं और वहां पर बहुत ज्यादा चीनी पैदा होती है। प्रदेश के अन्य भागों को और देश भर के अन्य भागों को काफी मात्रा में वहां से चीनी सप्लाई होती है। इसलिये वह अभावग्रस्त जिला हमेशा बना रहेगा लेकिन जो मुसीबत पारसाल थी या परियारसाल थी वह इस साल नहीं है। पारसाल और परियारसाल लगातार खाद्य की दूकानों पर कतारें लगा करती थीं और किसान काफी परेशान होता था लेकिन इस साल वह बात नहीं है। यह भी सही है कि खाद्य का मसला ऐसा है कि जैसे काजर की कोठरी में कैसौ हूं सयानों जाय, एक रेखि काजर की लोगें है में लागें ह। ठीक ऐसी ही हालत खाद्य विभाग का है। चाहे इसका इंतजाम भगवान को भी सौंप दिया जाय लेकिन सामानों की कमी है, तो जिनको लाइसेन्स और परमिट मिल जाता है वह तो तारीफ करते हैं लेकिन जिनको नहीं मिलता है वही विभाग को कहने लगते हैं। यह भी सही है कि हमारे खाद्य विभाग की हालत सुधरी है और यह भी सही है कि प्रकृति की भी मदद हो रही है और खाद्य मंत्री सफल होते दिखलाई दे रहे हैं उसका कारण खास यह है कि प्रकृति का सहारा भी उनको मिल रहा है।

चने के बारे में कहा गया है। हां, यह शिकायत पूर्वी जनपद से मुझे भी मिली थी कि कुछ चना स्टाक में घुना हुआ था और खराब था। उसका कारण यह है कि जब लम्बा स्टाक सरकार मुसीबत के दिनों के लिये और दुर्दिन के लिये रखती है तो हो सकता है कि जहां इतना स्टाक रखा हो वहां थोड़ा-सा सामान खराब भी हो जाय या यह भी हो सकता है कि कुछ थोड़ी सी विभाग के लोगों की लापरवाही भी कही जा सकती है। लेकिन जब क्वांर के महीने में धान की और मई के महीने में रबी की फसल का स्टाक हमारे किसान रखते हैं तो जहां छोटा-सा भी स्टाक

होता है वहां कुछ न कुछ खराबी पैदा हो जाती है तो जहां इतना बड़ा स्टाक हो और मुसीबत के दिनों के लिये रखा जाय और उसके कारण थोड़ा-सा सामान खराब हो जाय तो उसका सारा दोष सरकार के ऊपर मढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैंने खाद्य मंत्री जी से और विभाग के अन्य लोगों से भी बातें कीं तो मालूम हुआ कि जब तुम्हारी तरफ मुसीबत आती है तो उस समय बाढ़ के वक्त चने के अलावा देने के लिये हमारे पास कोई और तरीका नहीं है और यह लम्बा स्टाक उसी समय के लिये रखा जाता है। पूर्वी जनपद में सौभाग्य से इस साल बाढ़ नहीं आयी इसलिये सरकार उस चने को घाटा सहकर बाजार में निकाल रही है।

दूसरी बात लोहे के बारे में मैं कहूंगा। हाटा और पडरौना क्षेत्र में ७० और ८० मील के भूभाग में कोई लोहे की दूकान नहीं है। मुश्किल यह होती है कि नेपाल के इलाके के आसपास के लोग, खड्डा के इलाके के लोग और तरिया सुजान के इलाके के लोग जब परमिट के लिये कोशिश करते हैं और परमिट मिलता है तो बरहज और देवरिया में जाना पड़ता है और सप्लाई आफिस की खाक छाननी पड़ती है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि हाटा और पडरौना में कोई न कोई लोहे की दूकान होनी चाहिये।

कोयले के बारे में भी मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। वह बाढ़-पीड़ित और अभावग्रस्त एरिया है। कोयला उस समय दिया जाता है जब जुलाई के महीने में बरसात आ जाती है और जब किसान का कच्चा ईंटा गलने लगता है। इसके अलावा कोयले का स्टाक भी बरहज और देवरिया में रखा जाता है। अब ६०, ७० मील दूर से आदमी बैलगाड़ी या ट्रक से कोयला लावे तो उसको बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। इसे मैं मंत्री जी की लापरवाही नहीं कह सकता लेकिन नीचे के कर्मचारियों के कारनामे ऐसे हैं, उनका सारा इतिहास ही ऐसा है, उनकी कार्य-क्षमता ही ऐसी है जिसके कारण किसानों को समय से परमिट, समय से सामान मिलने में देरी होती है और देर लगाई जाती है, सप्लाई आफिस में काफी उसको रोका जाता है। नतीजा यह होता है किसानों को ठीक समय से कोयला नहीं मिल पाता और बरसात का सीजन प्रारम्भ हो जाता है और उसकी ईंटें गल जाती हैं। इसलिये मैं कहता हूं कि जो कोयला दिया जाय वह ऐसे समय से दिया जाय कि जिससे उनका भट्टा लग सके और भट्टे का लगना मई या जून में होता है। यह मैं कहना चाहता हूं।

दूसरी बात मुझे टीन की चद्दरों के बारे में कहना है। वहां पर जो उत्तरी इलाका है वहां एक तरफ से बूढ़ी गंडक चलती है और एक तरफ से छोटी गंडक। पूर्वी जिलों में नदियों का एक जाल-सा बिछा हुआ है। बरसात में किसान इनसे परेशान हो जाता है। इसलिये मेरी मन्त्री जी से विनम्र प्रार्थना है कि जहां तक अधिक से अधिक हो सके वहां पर लोगों को टीन की चद्दरें देने की व्यवस्था की जाय। मैं अन्त में मंत्री जी को तमाम सदन की तरफ से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतनी कुशलता से इस विभाग का नियंत्रण किया और आगे कर रहे हैं। जहां तक चोरबाजारी का सवाल है वह भी काफी दूर हो गयी है और आशा है जिलों में इससे और उत्तम नियंत्रण हो सकेगा।

एक चीज मैं और कहना चाहता हूं श्री रामायणराय और श्री उग्रसेन जी भी उसी क्षेत्र से आते हैं—वहां गेहूं की फसल जिस प्रकार से चल रही है अगर वह ठीक से हो गई और दाना पक गया और दूसरे अन्न, चना, जौ वगैरह भी हो गये तो खाद्य मंत्री जी का सिरदर्द बहुत हद तक दूर हो जायगा।

*डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा (जिला सीतापुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि काफी उठक-बैठक के बाद आपकी नजर इधर पड़ी और इसके लिये आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष--उठक-बैठक से माननीय सदस्य की तंदुरुस्ती कायम रहती है।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा--श्रीमन्, मैं श्री रामायण राय जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, हम पहले सुना करते थे कि पिछले महायुद्ध में चर्चिल ने दीवारों के ऊपर और इधर उधर "वी" शब्द को लिख कर और विक्टरी-विक्टरी चिल्लाकर लड़ाई जीत ली थी। वैसा ही आभास मुझे उधर के बैठे हुये एक माननीय सदस्य से हुआ जिन्होंने यह कहा कि अभाव-अभाव कहने से अभाव ज्यादा हो जाता है। मैं उनको धन्यवाद देते हुये यह कहना चाहता हूं कि अगर कोई आधुनिक चर्चिल पैदा हो करके यहां यही नारा लगाये कि बहुत बढ़ती है, बहुत गल्ला है और उससे किसानों के घरों में गल्ला पहुंच जाय तो वह अवश्य बधाई के पात्र होंगे। मगर श्रीमन्, वस्तुस्थिति कुछ और ही है।

श्रीमन्, मुझे दुख है कि हमारे मंत्री महोदय को अगर कोई तारीफ करने वाला नहीं मिलता है तो वह स्वयं अपनी पीठ ठोंक लिया करते हैं शाबाशी में और कहने लगते हैं कि हमने इतना गल्ला पैदा किया, इतनी दूकानें खोल दीं सस्ते गल्ले की। आज माननीय मन्त्री जी भी जानते होंगे कि मई, जून और जुलाई के महीने में उन्होंने सस्ते गल्ले की दूकानें खोलीं और मई, जून, जुलाई में गल्ला भी खरीदा। तो यह दोनों बातें आपस में पारस्परिक विरोध की हैं। एक तो सरकार १४ रुपये मन गल्ला खरीद रही है और दूसरी तरफ सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों पर १६ रुपये मन गल्ला बिक रहा है। क्या हुआ उससे? कितना भ्रष्टाचार बढ़ा, कितनी खुली हुई चोरबाजारी हुई? शायद माननीय मन्त्री जी इससे इन्कार नहीं करेंगे। हो सकता है कि इस आदरणीय सदन में उनको इस चीज को कहने का साहस न हो लेकिन देखें कि उपभोक्ता को आज ६ रुपये प्रतिमन अधिक देना पड़ रहा है। सारे के सारे आंकड़े माननीय मन्त्री जी के पास हैं और उससे वह देख सकते हैं कि कन्ज्यूमर को ६ रुपये प्रति मन अधिक देना पड़ है। एक तरफ आपने यह रोक लगाई कि जितना गल्ला एक किसान के पास होगा, फर्ज कीजिये एक किसान के पास १०० मन गल्ला है तो ५० मन गल्ला सरकार ले लेगी और ५० मन के लिये उस काश्तकार को अधिकार होगा कि वह बाजार में जिस भाव पर चाहे बेचे। मन्त्री जी सत्या ठोंक रहे हैं। उसका जवाब तो बाद में दे दूंगा।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--काश्तकार से नहीं लेते हैं।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा--मैं आपसे अर्ज करूंगा कि सीतापुर में एक महाराज का चालान हुआ। वह अपना गल्ला बेचने के लिये बाजार आ रहा था। जैसे ही वह देहात का गलियारा छोड़कर सड़क पर आया तभी आपके मार्केटिंग इंस्पेक्टर ने उसको पकड़ा। उसके पास मुश्किल से १२--१४ मन गल्ला था। वह एक खालिस किसान है, इसका मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। सारा का सारा गल्ला ले जाकर के उसे थाने में लिवा गये और एक बड़े महाजन के सुपुर्द उसे किया गया। उसके बाद उस किसान से ७ मन गल्ला सरकार ने लिया और ७ मन गल्ला उस किसान के लिये छोड़ दिया गया जिसे उसने खुले बाजार में बेचा। आप कैसे कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है? व्यावहारिकता आप देखें। मैं अपने जिले में बराबर देखता चला आया हूं कि किसानों से गल्ला लेने के लिये आप उसके ऊपर यह पाबन्दियां लगाये हुए हैं। एक नहीं और दो चार उदाहरण मैं आपको इसके दे सकता हूं।

सस्ते गल्ले की दूकानों के सम्बन्ध में हमारे एक माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव भी रखा है। गोन्दलामऊ, तहसील मिश्रिख, जिला सीतापुर में एक स्थान है जहां पर सरकारी सस्ते गल्ले की दूकान एक ऐसे व्यक्ति को दी गयी है जिसकी पिछले सालों में काफी शिकायत रही है। पिछले वर्ष उस गल्ले की दूकान पर जिस प्रकार का गल्ला बिकता था उसका नमूना लाकर मैंने इस सदन में रखा था और माननीय मंत्री के पास भिजवा दिया था। उस सम्बन्ध में छान-बीन हुई और छानबीन के बाद उसका लाइसेंस कैंसिल किया गया। मगर फिर जजबये पार्टी का उभाड़ हुआ और फिर माननीय मंत्री जी ने वहां के सप्लाई आफिसर को कहा कि आप

इस मामले को खाद्य कमेटी में दे दें। इसके ऊपर उस खाद्य कमेटी में विचार हुआ और उस खाद्य कमेटी में श्रीमन्, चूंकि इनका बहुमत था इसलिये उसमें पास हो गया कि उसको लाइसेंस मिलना चाहिये। वह फिर यहां लाइसेंस लेने के लिये आया। एक मर्तबा मैंने फिर माननीय मंत्री जी से कहा कि जब एक बार आपने उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया तो फिर आप दूसरा हुक्म कैसे करते हैं कि उसका लाइसेंस बहाल किया जाय? यह दो जबान की बात कैसे हो गयी। इस पर माननीय मंत्री जी ने कहा कि देखो अवधेश, लाइसेंस तो उसका हमने जरूर बहाल कर दिया है लेकिन उसे कोई सरकारी काम न देना। श्रीमन्, यह सोचने की बात है कि छूट तो आपने पूरी दे रखी है कि अगर वह चाहे तो लाइसेंस प्राप्त कर सकता है और हमसे आप यह कह रहे हैं कि छूट तो जरूर दे रखी है लेकिन उसे देना मत। मैंने कहा कि यह कैसी परस्पर विरोधी बातें हैं जो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं।

दूसरी चीज श्रीमन्, आपके द्वारा इस आदरणीय सदन से बहुत अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि हमारे इस लखनऊ नगर में एक सत्याश्रम है जिसकी काफी चर्चा इस आदरणीय सदन में हो चुकी है। सत्याश्रम को एक मकान की आवश्यकता है। यहां के एक बहुत धनी मानी व्यक्ति हैं जिनके एक मकान के एलाटमेंट के लिये सत्याश्रम ने रेंट कंट्रोल के यहां एप्लाई किया कि मकान खाली है। और वे धनी मानी व्यक्ति जिनके कि यहां पर सैकड़ों मकान कहे जाते हैं, श्रीमन्, उन्होंने अपने उस मकान को जो १४ रु० मासिक पर था, बढ़ा कर लगभग ३० या ३५ रु० पर उठा दिया। सत्याश्रम का क्या महत्व है, इस सम्बन्ध में मैं सिर्फ इतना ही बतला दूं कि इस आदरणीय सदन के चाहे उस पक्ष के कुछ सदस्यगण हों चाहें इस पक्ष के हों, कई महानुभाव उसके मेम्बर हैं और हमारे माननीय उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी तो उसके अध्यक्ष ही हैं। क्या हुआ श्रीमन्? जब मकान मालिक ने अपने उस मकान को उठा दिया तब सत्याश्रम ने रेंट कंट्रोलर के यहां नये किरायेदार के एजेक्टमेंट के लिये दावा दायर किया। उस नये किरायेदार ने कहा कि मैं पार्टनर था उसका जो इसमें पहले रहता था। रेंट कंट्रोलर ने कहा कि तुम पार्टनर तो नहीं हो सकते, तुम गलत कहते हो। लेकिन चूंकि मकान मालिक पर माननीय मंत्री जी का हाथ था तो माननीय मंत्री जी के दबाव से रेंट कंट्रोलर ने सारा फैसला सत्याश्रम के पक्ष में लिखते हुए अन्त में यह लिख दिया कि भाई यह मामला तो यहां से हाउसिंग कमेटी के सामने जाना चाहिये। जाहिर है कि हाउसिंग कमेटी ने वही फैसला किया जो माननीय मंत्री जी चाहते थे और उसी वक्त सत्याश्रम ने उस फैसले के विरुद्ध कमिश्नर के यहां अपील की। कमिश्नर ने भी उसी चीज को माना और कहा कि यह जो मकान है इसको मकान मालिक नहीं उठा सकता और ट्रेसपासर कहा है। फिर सरकार में उसकी अपील हुई लेकिन सरकार का भी फैसला कमिश्नर के फैसले के ही समर्थन में हुआ लेकिन आज तक वह मकान खाली नहीं हुआ और वह ट्रेसपासर जिस के खिलाफ रेंट कंट्रोलर ने लिखा, कमिश्नर ने लिखा, सरकार का भी फैसला हुआ लेकिन माननीय मंत्री जी का वरदहस्त था वह अभी तक खाली नहीं हुआ। इधर फिर मालूम हुआ कि अब मंत्री जी ने कहा है कि अब तो एलाटमेंट का सवाल नहीं है बल्कि अब तो शान्ति व्यवस्था का सवाल है और उसके लिये सत्याश्रम के किसी सदस्य पर चार्ज है कि वह झगड़ा करते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि फर्ज कीजिये कि अवधेश पर चार्ज लगे कि तुम झगड़ा करते हो, तो मुझ पर मुकदमा चलाया जाय, उसका राशन कार्ड ले लिया जाय, अगर वह लिया गया तो वह सजा नहीं हुई। अगर मुकदमा चले तो बात हो सकती है लेकिन जब एलाटमेंट का हुक्म है और फिर भी आज मकान सत्याश्रम को नहीं दिया जा रहा है तो इससे ज्यादा अकर्मण्यता में माननीय खाद्य मंत्री की और क्या समझ सकता हूं?

इसके अलावा कोयले की भी यहां काफी चर्चा हुई है। मैं उस क्षेत्र से आता हूं जो मिश्रिख पर नैमिषारण्य के नाम से प्रसिद्ध है। वहां पर हर मास की अमावस्या को ऐसा बड़ा मेला

[डाक्टर अवधेश कुमार सिनहा]

होता है जो लक्खी मेले के नाम से मशहूर है। दो चार लाख आदमी हर मास की अमावस्या को वहां एकत्रित होते हैं ....

कुमारी कमल कुमारी गोईंदी (जिला इलाहाबाद)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी चाहती हूं माननीय सदस्य से....

श्री उपाध्यक्ष--आप उनसे अन्त में पूछ लें ।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा--२ साल पहले यह पोर्टफोलियो श्री सैयद अली जहीर साहब के पास था और अब वह बदल कर नेगी साहब के पास आ गया है, उनसे भी मैंने कहा था और अब नेगी जी से भी प्रार्थना करता हूं कि उस क्षेत्र के लिये कोयले को दूकान मिश्रिख व नैमिषारण्य के लिये दे दें तो लाखों यात्रियों को सुविधा हो जाय। वह सिर हिला रहे हैं, उसके माने यह हैं कि वह दें तो उनके हम बहुत आभारी होंगे। मुझे यही निवेदन करना था ।

एक बात आप के द्वारा माननीय मंत्री जी से और निवेदन करना है कि गुदलामऊ ग्राम को जो सस्ते गल्ले की दूकान फिर उसी ब्लैकमार्केटीयर को दे दी गई है जिसका पहले लाइसेंस खारिज किया गया था, उसके ऊपर फिर माननीय खाद्य मंत्री जी विचार कर लें ।

कुमारी कमल कुमारी गोईंदी--श्रीमन्, इन्होंने भाषण में कहा कि १४ रुपये में सरकार खरीदती है और १६ रुपये में बेचती है। कब्जूमर को ६ रुपये अधिक देने पड़ते हैं। यह हिसाब समझ में नहीं आया ।

श्री उपाध्यक्ष--बेहतर यह होगा कि उनसे आप अलग समझ लें ।

श्री तिरमलसिंह (जिला एटा)--श्रीमन्, मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं । जो व्यवस्था सरकार की ओर से वितरण के लिये की गई है वह सब पैदावार से ताल्लुक रखती है। उधर के बैठने वालों ने चर्चा की कि कोयला नहीं मिलता और लोहा नहीं मिलता ये सब भी उत्पादन से ताल्लुक रखते हैं। सब से ज्यादा तो इस प्रदेश में अन्न बढ़ाने का प्रयास सरकार को करना चाहिये और वह किया भी गया है। इस साल जो किताब खाद्य विभाग से मिली है उसमें भावों में संतुलन भी है। ज्यादा बढ़े नहीं हैं। जहां तक पिछले साल का ताल्लुक है पिछले साल भावों में काफी अन्तर रहा। फसल पर १३ रुपये मन गेहूं बिका और अखीर में २५ और ३० रु० तक ,१७ रु० का अन्तर रहा। उस अन्तर को मिटाने का सरकार ने पूरा प्रयास किया। अब भी जो अन्तर है उसको मिटाने का सरकार प्रयास कर रही है ।

पैदावार बढ़ाने के लिये भी सुधार किये गये। गांव व शहर में कब्जा आरजी और वाकई दो तरह का था। आरजी खत्म किया गया और वाकई रहा। वाकई को भी तरमीम कर आदिवासी को सीरदार बनाया। सीलिंग भी गांव में सरकार करने जा रही है। सहकारिता कृषि भी करने जा रही है। सभी बातें पैदावार बढ़ाने के लिये सरकार कर रही है। अब कोई गांव की भूमि के लिये रिफार्म बाकी नहीं रहेगा सिवाय अधिक विषमता निवारण के ।

इसके अलावा जो कमियां हैं उनके बारे में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। सरकार का जो तकावी का बड़ा पेचीदा कानून है उसको बदलना चाहिए। २० गुना सीरदार को और ४० गुना भूमिधर को दिया जाता है। सरकार सारे सूबे का सर्वे कराये और तकावी के कानून में संशोधन करके उसे सीधा बनाना चाहिये। २०० रु० एकड़ सिंचाई की भूमि एवम् १००रु० एकड़ गैर सिंचाई की भूमि ताकि किसान व कर्मचारी के बीच का भ्रष्टाचार मिट सके ।

बाढ़ तथा सूखा से फसल की क्षति का कानून तरमीम होना चाहिये। मान लीजिये एक किसान है। उसकी फसल खरीफ की बरबाद हो गई । तो कानून की तहत में आठ

आने का नुकसान आया तो सरकार की तरफ से लगान और आबपाशी मुल्तवी की जाती है जब कोई उद्योग फेल होता है तो सेल्स टैक्स और इ कमटैक्स कुछ नहीं लगता। लेकिन जब खेती का सवाल आता है तो लगान और आबपाशो मुल्तवो को जातो है। इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये और फसल क्षति के कानून को शहरी तरमीम कर पैदावार को बढ़ावा देना चाहिये।

तीसरे लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट जो है वह भी शहरी किसानों को तबाही लाता है। किसानों से तो जमीन १००–१५० रु० एकड़ के हिसाब से मुआवजा देकर ले ली जातो है और मकान बनाने वाले के पास जाकर वह जमीन २० हजार रुपये की हो जाती है। सार्वजनिक कामों के लिये तो सरकार ले। लेकिन जहां तक निजी मकानों के लिये किसानों को मिलकियत लेने को बात है उससे किसान हतोत्साहित हो जाते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि सरकार इन कानूनों में संशोधन करके जहां तक हो सके सीधे कानून बनावे ताकि किसानों को सुविधा मिल सके और मिलकियत का पूरा मूल्य शहरी किसानों को मिल सके।

दूसरो बात मुझे कहना है कि वितरण का जो प्रश्न था इस में कुछ शिकायत को गई है वह सही नहीं है। मैं उस जिले से आया हूं जिसका कोटा आज तक सही नहीं हुआ। कहा जाता है कि पश्चिमो जिले बड़े मालदार हैं। लेकिन लोहा देने के लिये मालदार नहीं हैं। कोयले के लिये मालदार नहीं हैं। इन चीजों को वहां बड़ो दिक्कत है। सरकार कृपा कर जितना कोटा एटा जिले का आये, देने को कृपा करेगो। अब तक कोयले का कोटा बहुत कम रहा है आवश्यकता के अनुकूल नहीं था और उस लिहाज से भी कम था जिस लिहाज से कोटा मिलना चाहिये। कोयला, लोहा और स्टील नहीं मिला। तो मंत्री जी एटा जिले का कोटा बढायें ताकि किसानों को और भट्ठा चलाने वालों को सुविधा मिल सके। पारसाल १७ अरब रुपये का व्यापार हिन्दुस्तान में हुआ जिसमें पैदा करने वाले को सब से कम मिला किसानों को १७ अरब बीच वालों को २०–२१ अरब, खाने वालों को २५–३० अरब देना पड़ा। तो सरकार इसका खयाल रखे कि पैदा करने वाले को उसके श्रम के हिसाब से उचित दाम मिले। शीघ्र सरकार गोदाम बिल को देहातों में लागू करे और ७५ फीसदी बैंकिंग करके पैदा करने वाले को पूरा मूल्य मिलना चाहिये।

इसके अलावा सरकार उद्योग और उत्पादन में संतुलन करे। मिसाल के तौर पर जैसी पिछली इकोनोमी थी जिसमें गेहूं २ रुपये मन था तो धोती सवा रुपये में आती थी लेकिन अब वह धोती १५ रुपये में आती है। तो इस प्रकार उद्योग उत्पादन को खाने लगा। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिये और दोनों में संतुलन स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिये। किसान की पैदावार को बढ़ावा मिलना चाहिये।

सरकार के एक्सपर्टों ने कहा है कि गेहूं पैदा करने के बाद १५ रु० २ आना मन पड़ता है, पैदा करने वाले को। लेकिन सरकार निर्ख तय करती है १३ और १४ रुपया मन। तो मैं चाहूंगा कि किसानों को उनके श्रम का उचित दाम मिलना चाहिये और सरकार उसका प्रयत्न करेगी। उत्पादन के लिये २,३ चीजें जरूरी है. उद्योग के लिये मिल, मशीन और मजदूर और खेती के लिये खाद, पानी और बीज, पृथ्वो को मिलना चाहिये तो सरकार इन चीजों पर विचार करे और किसानों की पैदावार का पूरा मूल्य दिलाये ताकि प्रदेश का उत्पादन बढ़े।

जहां तक रेंट कन्ट्रोल का सवाल है सरकार ने एक प्रोसीजर माना था कबजा आराजी व वाकई दो तरह का है गांव में आरजी खत्म हुआ वाकई तरमीम हुआ। सीलिंग सहकारी सभी बातें होने जा रही हैं और शहरों में सभी बातें वर्तमान हैं गांवों के लिये ही नहीं तथा

[श्री तिरमल सिंह]

अर्बन में भी आरजी समाप्त होना चाहिये । मकान दार आराजी है और किरायेदार वाकई है इसको खत्म होना चाहिये । गांवों में अगर सरकार ३०० रुपये पर सीलिंग करती है तो शहरों में ५०० रु० पर करनी चाहिये । सरकार जल्दी से जल्दी शहरी जमींदारों को खत्म करे जैसे उसने गांवों में की है । शहर और गांव में राष्ट्रीय सरकार के होने पर भी दोहरे कानून रहे । यह बड़े खेद का विषय है । एक-सा कानून बने और एक-सी समता आये और लोग यह समझें कि हमारी सरकार का रवैया एक सा है और शहर व गांव में कोई फर्क नहीं है । मैं एक बार फिर सरकार से यह अपील करूंगा कि जो बातें मैंने कहा हैं उन पर सरकार को विचार करना चाहिये ।

जहां तक चीनी के वितरण का सवाल है साढ़े ३६ रुपये मन भाव हमारी सरकार ने तय कर दिया है । २४ रुपये के हिसाब से १ रुपया १० आने मन भाव गन्ने का मूल्य तय किया जाता है और साढ़े ३६ रुपये के हिसाब से कंज्यूमर को मिलती है तो २४ रुपये तथा साढ़े ३६ रुपये में जो यह साढ़े १२ रुपये का फर्क है उसको सरकार सोचेगी कि इसका क्या होगा, मेरा समय समाप्त हुआ मैं इन सुझावों को देते हुये अनुदान का समर्थन करता हूं ।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा—एक निवेदन यह था कि हमारी माननीया सदस्या ने जो शंका प्रकट की थी हमारे बोलने के दौरान में मुझे कुछ समय दे दिया जाय तो आंकड़े समझा दूं।

श्री उपाध्यक्ष—आप जाइये तो । वह बैठी हैं, समझ लेंगी ।

श्री टीकाराम पुजारी—एक ही किसान आया है इस सदन में और ये कहते हैं कि क्यों बोलता है वैसे किसान के लिये कहा जाता है कि उसे गल्ला नहीं मिलता है। किसानों के लिये धोखेबाजी है । बिजली पर बोलें, लोहें पर बोलें, सीमेन्ट पर बोलें, कानून पर बोलें, पुलिस पर बोलें तो नेता बोलें । लिहाजा सबल के लिये कुछ नहीं होता चाहे उधर का हो या इधर का हो । नेता उधर भी हैं और इधर भी हैं । नेता जी व महाशय जी और बहन जी का ही चक्कर है और इस चक्कर में देश मुश्किल से बचेगा । मुझे देखकर श्रीमन्, हंसते हैं । कहते हैं कि बैठिये आप ।

एक सदस्य—प्वाइन्ट आफ आर्डर । ये विषय पर बोल रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—आप बैठिये । अभी भूमिका बना रहे हैं ।

श्री टीकाराम पुजारी—विषय को क्या आप भी जानने लगे ? मुर्दे भी कफन में पैर फेंकने लगे । मैंने जितने वक्ताओं के भाषण सुने सब समाजवाद की बात करने लगे, देश के निर्माण की, सोशलिज्म की । कोई प्रजा समाजवादी है, कोई बिना प्रजा समाजवादी है, कोई यूनिटी बना रहा है, और एक कांग्रेसी समाजवाद बन गया है । ईश्वर-वादी नास्तिक से कहता है कि तुम ईश्वर को पहचानो और जब वह ईश्वर को पहचान जाता है तो वह नास्तिक नहीं रहता, वह उसी गुट्ट में आ जाता है । भीष्म ने कहा था कि शान्तनु पुत्र कहाऊं तो कृष्ण पर वाण गहाऊं । आज मैं श्रीकृष्ण को जरूर मारूंगा । तो मैंने भी कहा कि टीकाराम पुजारी कहाऊं तो नेहरू जी से सोशलिज्म में देश का निर्माण कराऊं । तो मेरी बात पूरी हो गई जो कांग्रेस देश का निर्माण सोशलिज्म में करने लगी ।

भीष्म बाल ब्रह्मचारी की धर्म पुत्र ने जान लई है ।
श्रीकृष्ण पर बान गहाऊं हिरदय अन्दर जान लई है ।]

कान्ग्रेस ने सोशलिज्म में करने को निर्माण कहा है।
कहे पुजारी भीष्म की सी आज हमारी विजय भई है ॥

मैं किसानों के बारे में दो बातें कहूंगा। आज गेहूं का भाव १८, १९ और २० रुपये मन तक है। सोचने की चीज है कि आगे चल कर गेहूं, चना, बाजरा, मटर, अरहर, गुड़ वगैरह का दाम घटेगा या बढ़ेगा। मैं कहता हूं कि इनका दाम घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि यह हमारा होगा, किसान का होगा। जब हमारे पास से यह चला जायगा और जुलाई का महीना आ जायगा तो जो १४ रुपये में हमसे अनाज लिया गया वही २२ रुपये मन हमको मिलेगा। इस पर हमको और आपको सोचना होगा। लोहे का भाव गिरना चाहिये। जब गेहूं का भाव १४ रुपये मन होगा और सोना १५० रुपये तोला बिकेगा तो हम लोग दो तोला सोना भी शादी के लिये नहीं ले सकेंगे। जब गेहूं का भाव १४ रुपये हो तो सोना ७० रुपये तोला में बिकना चाहिये। जब मोटे अनाज का भाव १२ रुपये हो तब धोती का जोड़ा ६ रुपये में मिलना चाहिये। १४ रुपये में हमसे गेहूं ले लें लेकिन माह के महीने में हमें १५ रुपये में खाने के लिये गल्ला दे दें। चाहे किसी नेता से पूछ लो वह भी यही कहेगा। मैंने एक नेता से पूछा कि आप कभी किसानों में रहे हो। उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा कि फिर नहर की कोठी में ठहरे होंगे। भला बताइये कि फिर नागनाथ और सांपनाथ में फर्क ही क्या हुआ। बहुत चिल्लाते हैं कि ये लोग कोठियों में रहते हैं, गद्दों पर सोते हैं। अरे, तुम भी तो वही करते हो। कोठियां और महलों को छोड़ कर सड़क के किनारे झोपड़ियां डाल कर उनमें रहो और ६ महीने तक उन झोपड़ियों में रहकर फिर किसान और मजदूरों के हित की बात कहो। मेरा प्रस्ताव था कि २०० रुपये न लो, १०० रुपये लो; १० रुपये नहीं, ५ रुपये लो और फिर ६ महीने बाद सरकार से कहो कि तुम निकम्मे हो: तो एक बात भी है। लेकिन अब तो नये-नये लोग आ गये। एक बार जेल हो आये और कहने लगे कि हमको भी मिनिस्टर बनाओ। अरे,

रण करने को निकलेंगे जब आजादी के दीवाने।
धरा धसेगी, प्रलय मचेगा, ब्योम लगेगा थर्राने ॥

बहन कहे तुम भाई, जाओ विजय बधू वर के लाना।
माता तिलक करे बेटा को, आजादी लेकर आना ॥

भाई भुजा पूज कर बोले कीर्ति लगेगी फहराने।
रण करने को जब निकलेंगे स्वतन्त्रता के दीवाने ॥

श्री उपाध्यक्ष—समय समाप्त।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा—एक जरूरी सूचना है। मैंने अभी माननीया सदस्या के पास लिख कर भेजा था। उन्होंने लिखा है कि मुझे समझ है। धन्यवाद। अगर वह केवल राजनीतिक शंका थी, तब तो कोई प्रश्न ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—अगर देर में समझ में आ गया तो क्या बात है?

श्री याज्ञवेन्द्रदत्त दुबे, आप १५ मिनट लेंगे।

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक जानकारी चाहता हूं। जब अपोजीशन का एक बार बोलता है तो राइट विंग को मौका मिलता है और जब राइट विंग का बोलता है तो अपोजीशन को मौका मिलता है। लेकिन आप दोनों चांस उधर दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष---इसके बाद मंत्री जी बोलेंगे। उनको एक घंटे के करीब समय मिलेगा। अगर उस हिसाब से बुलवाना शुरू करूं तो मंत्री जी को १० मिनट ही मिलेंगे। इसलिये उसके मुताबिक मौका दे दिया है। वह जनसंघ के नेता हैं। उसके बाद मंत्री जी बोलेंगे।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं बोलना नहीं चाहता था, परन्तु हमारे खाद्य मंत्री महोदय ने बजट के भाषण में अपने विभाग की प्रशंसा की, सफलताओं को बताया। मैं मानता हूं कि कुछ अंश में सफलता हुई लेकिन असफलता जिस मात्रा में है, और जो विभाग की जड़ गड़बड़ हो रही है, और विभाग का जो ब्यूरोक्रैटिक संचालन हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप उनके विभाग के अन्दर जो चीजें हैं, सभी मानते हैं कि उन खाद्य और मकान जैसी चीजों का जनता से बड़ा गहरा संबंध है, उसमें जनता को अधिकाधिक कष्ट हो रहा है। उस ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान कदाचित न गया होगा। उस पर उनका और इस सदन का ध्यान आकृष्ट हो, इसलिये मैं आज खड़ा हुआ हूं।

श्रीमन् मंत्री जी ने यह तो स्वीकार किया, सीधे उन्होंने स्वीकार तो नहीं किया बल्कि प्रश्नों के उत्तरों में घुमाफिरा कर स्वीकार किया। मैंने प्रश्नों में पूछा भी कि डिफ्युमिगेट करने के बाद भी आटे में बदबू क्यों रहती है। जिस प्रकार का आटा दिया जाता है उसमें बदबू है। तो अगर उनके विभाग में डिफ्युमिगेशन होता है---मैं समझता हूं कि होता होगा---तो उस नियम के पालन के बाद भी बदबू क्यों है? साफ है कि जिस गल्ले से आटा बनाया गया है वह मनुष्य के खाने योग्य नहीं रह गया है। इस कारण वह बदबूदार आटा हमको दिया जाता है। यह कहा जाता है कि हम होल मील निकाल कर आटा देते हैं। इसके मानी यह है कि उसका रस और सत निकल गया। वह पुष्टकर नहीं होता है। जो होलमील निकाल कर आटा दिया जा रहा है वह मैं समझता हूं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से समाज के लोगों के लिये हितकर नहीं है, बहुत मात्रा में अहितकर है। एक ओर खराब गेहूं, दूसरी ओर सारा उसका रस निकला हुआ होलमील आटा, ये दोनों स्वास्थ्य-वर्द्धक नहीं हैं।

श्रीमन्, सस्ते गल्ले की दूकानों का बड़ा हल्ला यहां हो रहा है और मंत्री जी ने स्वयं जिक्र किया कि कोआपरेटिव सोसाइटी के नाम पर जो दूकानें ली गईं उनमें अत्यधिक भ्रष्टाचार है। जौनपुर में ही ८० में से २६ दूकानें कैंसिल हुईं।

(इस समय ३ बजकर ५६ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त, पीठासीन हुए।)

बात क्या हुई? या तो उनके पास पैसा नहीं था और उन्होंने इधर-उधर से कहीं से कुछ पैसा इकट्ठा करके झटपट दुकान ले ली और चलाने के लिये दूसरों को दे दी या उन्होंने ब्लैक मार्केटिंग की या सबलेटिंग की। लेकिन इसका नतीजा कौन भोगता है? इस प्रकार की गलत नीति बना लेने का परिणाम समाज को भोगना पड़ता है और सब प्रकार की गड़बड़ी उसमें फैलती है। मैं यह नहीं कहता कि इंडिविजुअल व्यापारी ब्लैक मार्केटिंग नहीं करते हैं। लेकिन, श्रीमन्, चाहिए यह था कि जो उसके व्यापारी हैं जिनके खिलाफ किसी तरह की ऐसी शिकायत नहीं आयी है जिन्होंने ईमानदारी से काम किया है उनको पहले देना चाहिए था न कि नये-नये एक्सपेरिमेंट्स किये जाते।

इसमें एक शिकायत और भी है, श्रीमन्। ज्यादातर इसका प्रयोग पोलिटिकल पैट्रोनेज के ख्याल से किया गया है। मैं इसका एक ही उदाहरण देना चाहता हूं। नाम मैं नहीं लूंगा। जौनपुर का ही उदाहरण है, मेरी कांस्टीट्यूएंसी के अन्दर की बात है और उसकी मुझे स्पष्ट जानकारी है। जौनपुर जिले में एक दूकान कैंसिल हुई। उसके लिये

बहुत से लोगों ने दरख्वास्तें दीं। एक सज्जन जिनके पास तीन दूकानें, तीन भिन्न-भिन्न नामों से अलग-अलग हैं, और वह एक एम० एल० ए० के पिता भी हैं, और जौनपुर के राजनीति के एक बहुत ही प्रकांड पडित उनके श्वसुर हैं, उनकी दूकान फतेहगंज, जफराबाद और भरसरा में मौजूद हैं, उन्हीं सज्जन को फिर वही दूकान फतेहगंज से ट्रांसफर करके जौनपुर में लाकर दी गई। ऐसा क्यों किया गया? अपने दलगत संबंध के कारण, अपने दल को मजबूत करने की दृष्टि से और मैं स्पष्ट लांछन लगाता हूं कि उस समय कांग्रेस पार्टी का यू० पी० सी० सी० का एलेक्शन चल रहा था। उस दूकान को एलाट करके यू० पी० सी० सी० का एलेक्शन बनाया गया। देहात की दूकान जो शहर से पांच सात मील की दूरी पर थी उसको खिसकाकर शहर में लाने की क्या आवश्यकता थी? सीधी सी बात है कि आज देहातों में सेल कम है। शहर में ज्यादा मुनाफा है। वह अपने दल के आदमी हैं, एम० एल० ए० के श्वसुर हैं; इसलिये उनको दूकान देकर मुनाफा कमवा दिया गया। तो क्या आज यह जनहित में प्रशासन हो रहा है? यह बिल्कुल पार्टी हित में हो रहा है। श्रीमन्, यह स्पष्ट है कि इस प्रकार जो सस्ते गल्ले की दूकान एलाट करने की नीति रखी जाती है वह व्यक्तियों को पैट्रोनेज देने की नीति है और उससे समाज को लाभ नहीं हो सकता है। यह भी बिलकुल स्पष्ट है, माननीय मंत्री जी चाहें तो एन्क्वायरी करा लें, कि पोलिटिशियन्स को जो दूकानें दी गई हैं उन दूकानों पर सबसे ज्यादा ब्लैक मार्केटिंग हुई है और आज वह ब्लैक मार्केटिंग पोलिटिकल पैट्रोनेज के नाम पर छिपाई जाती है। मैं दूकानों का नाम ले सकता हूं, अगर मंत्री जी चाहेंगे तो बता दूंगा। अधिक न कहकर मैं इसको यहीं छोड़ता हूं। यह दृष्टिकोण बिलकुल गलत है। इससे जो समाज का हित होना चाहिए वह उस मात्रा में नहीं हो पाता है।

अब रेंट कंट्रोल को ले लें। रेंट कंट्रोल के अन्दर सबसे बड़ी गड़बड़ी यह है कि उसमें फेवरिटिज्म हो रहा है। मैं लखनऊ शहर का उदाहरण लेकर बताना चाहता हूं। लखनऊ के ही एक बहुत प्रतिष्ठित पत्रकार हैं। उन महानुभाव ने तीन चार वर्ष पहले एक मकान के लिये प्रार्थना-पत्र दिया। लेकिन वह मकान उनको न एलाट करके एक एम०एल० ए० महोदय को एलाट किया गया जबकि उन एम०एल०ए० महोदय के लिये स्थान दारुलशफा में मौजूद है। उसके बाद फिर जब खाली हुआ और फिर प्रार्थना-पत्र दिया तो वह मकान एक कांग्रेसी नेता को स्कूल चलाने के लिये एलाट किया गया। मैं मकान ही कहूंगा, कोठी नहीं कहूंगा। फिर, श्रीमन्, उसके बाद जब खाली हुआ तो मजेदार चीज यह हुई कि एक मंत्री महोदय के पी०ए० को दे दिया गया जबकि उन पी०ए० साहब के पास उनका निजी मकान खुद का है और वह निजी मकान चूंकि रेंट कंट्रोल में आता नहीं है इसलिये उसको दुगुने और तिगुने किराये पर दे रखा है और अपनी सरकार से यह मकान लेकर रह रहे हैं। उस पत्रकार को, जो बेचारा बाहर का आदमी है, न देकर जिसके पास स्वयं का घर मौजूद है या जिसके पास रहने के लिये राज्य की ओर से स्वयं व्यवस्था है, उसको मकान दिया जाता है। यह कौनसी नीति है? यह आपका रेंट कंट्रोल कानून है?

मैं यह मानने के लिये तैयार हूं कि आज मकानों की शार्टेज है लेकिन उस कमी के जहां और कारण हैं वहां एक सबसे बड़ा कारण हमारे सरकारी अधिकारी भी हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेता लेकिन लखनऊ का उदाहरण बताना चाहता हूं। लखनऊ में जितने अधिकारी हैं वे जब यहां पर पोस्ट होते हैं, मकान एलाट करा लेते हैं। बड़ी-बड़ी कोठी ७५,१०० या १२५ रुपये में वे ले लेते हैं। यहां से ट्रांसफर हो गया तो उसके लिये बहाना यह होता है कि हमारे बच्चे यहां पढ़ रहे हैं। मान लिया कि बच्चे यहां पर पढ़ रहे हैं लेकिन जब सेशन खत्म हुआ तो बच्चे और श्रीमती यहां से चले गये। उस मकान में अपने किसी रिश्तेदार को बैठा दिया। इसलिये बैठा दिया कि मकान छोड़ना न पड़े। लखनऊ आना पड़ता है, आने जाने का

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

टी०ए० मिलता है और ठहरने के लिये भी इन्तजाम रहे, इसलिये उस मकान को बनाये रखते हैं। किसी रिश्तेदार को जिसको चाहे आवश्यकता भी न हो लेकिन मकान बना रहे इसलिये उसको बैठा देते हैं। यह क्या है? आज जहां मकानों की भीषण कमी है उस कमी को आप भी उनमें बैठकर बढ़ा रहे हैं। यह शासन का मतलब नहीं होता है। माननीय मंत्री जी इतनी ही जांच करायें कि छोटे अधिकारी हों या बड़े अधिकारी हों, जिन लोगों ने लखनऊ में मकान बनाने के लिये कर्जा लिया है, सब ने मकान बनाये हैं लेकिन वे उनमें न रहकर, नये मकानों पर रेंट कंट्रोल लागू न होने की वजह से उन्होंने अगर किराया ४० रुपया है तो १५० या २०० रुपये किराये पर मकान दे रखे हैं। स्वयं वे किराये के मकान में रहते हैं। क्या माननीय मंत्री महोदय इसकी जांच करायेंगे? अगर आप जांच करायें तो मेरा निश्चित मत है कि इसी लखनऊ शहर में, जहां हाउसिंग का ऐसा प्राब्लम है, वहां पर १५० या २०० मकान ऐसे खाली कराये जा सकते हैं, जिनके पास निजी मकान हैं लेकिन उन्होंने उनको किराये पर दे रखा है और स्वयं के लिये मकान एलाट कराकर बैठे हुये हैं और एक अफसर होने के नाते आपसी संबंध का एक अनुचित उपयोग कर रहे हैं स्वयं के स्वार्थ की सिद्धि के लिये।

आज, श्रीमन्, उस भीषण कमी की जलती हुई आग में यह स्वार्थ के कारण आहुति देकर उस आग को और प्रज्वलित कर रहे हैं। इसलिये मैं मंत्री महोदय से यह विनम्र निवेदन करूंगा कि इस हाउसिंग के लिये रेंट कंट्रोल का ऐक्ट सारा दुरुपयोग में चल रहा है। यह जो आपका प्रशासन चल रहा है इसके लिये आप सब जगह नहीं बल्कि लखनऊ में ही अकेले अगर जांच करायें कि कितने अधिकारियों ने मकान बनाने के लिये कर्जा लिया है और कितनों ने बनाकर किराये पर दे रखा है और स्वयं किराये के मकान में रहते हैं तो मंत्री महोदय उस जांच के बाद जान सकेंगे। अगर लखनऊ में ही इसके लिये मंत्री जी कोई कदम उठायें तो यह मकानों की समस्या लखनऊ शहर में कुछ मात्रा तक हल हो सकेगी। मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि इस जांच से समस्या हल होगी या निश्चित मात्रा में हल होगी लेकिन यदि जांच करायेंगे तो मैं समझता हूं कि वह मेरी बात से सहमत हो जायेंगे।

श्रीमन्, मंत्री जी ने अपने भाषण में यह कहा कि गल्ला कम पैदा हुआ और आमद कम हुई और फिर भी सस्ता है। मैंने माना कि सस्ता है लेकिन जो आपकी नीति है इस ओर आपने कभी ध्यान दिया। आज गल्ले का व्यापारी बैंकों से मिलकर यह कर रहा है कि मंगाता है गेहूं और चावल और गोदामों में उसको रखता है कोर्स ग्रेन के नाम पर। रिजर्व बैंक का यह आदेश है कि फाइन ग्रेन्स पर एडवांस न करो तो उस आदेश को तोड़ा जा रहा है और वह गल्ला बैंकों के गोदामों में कोर्स ग्रेन्स के नाम करके रखा जा रहा है। उसका नतीजा यह होता है कि सरकार को धोखा देते रहते हैं और सरकारी दुकानों पर जो खराब गल्ला मिलता है; मजबूरन उसको लोग जाकर लेते हैं। उदयगंज मंडी में ही माननीय मंत्री जी छुपकर जायें और जांच करें तो मेरी बात का प्रमाण एक मंडी से ही उनको मिल जायगा। इस प्रकार की घटना अकेले लखनऊ में नहीं बल्कि सारे प्रांत में होती है। इस ओर सरकारी विभाग का ध्यान नहीं गया। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान उनके विभाग की त्रुटियों की ओ दिलाना चाहूंगा। मैं यह नहीं कहता कि मैं उनकी नीति से सहमत हूं। उनकी स्टेट ट्रेडिंग की नीति से हमारा विरोध है। इस स्टेट ट्रेडिंग की घोषणा होते ही सूबे भर में गल्ले का दाम बढ़ गया और इसके लिये जो आवश्यक फाइनेंसेज चाहिये थे वे राज्य के पास नहीं हैं। तो स्टेट ट्रेडिंग की नीति का मैं विरोधी हूं और जनसंघ भी इसका विरोध करता है। हमने इसका परिणाम देखा कि गल्ला महगा हुआ और लोगों को खाना भी नहीं मिला लेकिन इसके साथ-साथ जो बफर स्टाक बनाने की नीति है उसको सरकार धीरे-धीरे मानती चली जा रही है। वह ठीक है कि लेकिन उसका जो प्रयोग हो रहा है, जो उसका प्रशासन है, उसमें जो गड़बड़ियां हैं, उनकी ओर सरकार का ध्यान नहीं है। उनका ज्ञान उसे होना चाहिये, कारण कि प्रशासन की गड़बड़ी हमारे समाज के लोगों को असंतुष्ट करती जाती है और लोगों

के मन में यह विचार खड़ा हो जाता है कि अगर हमारे रहने और खाने की समस्या जनतांत्रिक पद्धति से नहीं हल हो सकती तो क्यों न हम तानाशाही की ओर जायं इस जनतंत्र की प्रणाली को छोड़ कर, क्योंकि देश में इस प्रकार का प्रचार हो रहा है कि तानाशाही हमें रोटी, कपड़ा और मकान दे सकती है, उसकी समस्यायें हल कर सकती है, जनतांत्रिक पद्धति नहीं। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि मंत्रिमंडल और हमारे मंत्री महोदय को अत्यन्त जागरुक होना चाहिये और गड़बड़ी के लिये अत्याधिक कठोरता का प्रयोग करना चाहिये। इन शब्दों के साथ में इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री रामायणराय---मान्यवर, मैं उन तमाम माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने आज के इस अनुदान पर अपने विचार व्यक्त किये। प्रारम्भ से ही मैं देखता रहा कि दोनों ही पक्षों के अधिकांश सदस्यों ने इस बात को स्वीकार किया कि हमारी यह समस्या पहले ही की भांति आज भी बहुत जटिल बनी हुई है। और जगहों की बात मैं क्या करूं, आपके द्वारा माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि गरबियांग में, जो अल्मोड़े में स्थित है और सीमा पर का एक गांव है और जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, ११ छटांक आटा बिक रहा है एक रुपये का। यह आपकी नीति की सफलता का सबसे बड़ा परिचायक है।

मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जिस सत्याश्रम की चर्चा यहां हुई, उस अन्याय का निराकरण करने के लिये वह क्या सोचते हैं इसे वे अपने वक्तव्य में स्पष्ट करें। लोक लेखा समिति ने भी इस विभाग में किस प्रकार से अव्यवस्था हुई इसकी चर्चा की है माननीय मंत्री जी उसको अवश्य देखें क्योंकि जिन लोगों ने उनको धन्यवाद दिया है संभव है कि उससे उनको कुछ गलत फहमी हो जाय।

मैं आपके द्वारा उनसे आग्रह करूंगा कि प्राइस फिक्सेशन बोर्ड के बारे में अपनी नीति साफ क्यों नहीं करते हैं। बहुत पुरानी मांग है, आज फिर दोहरा रहा हूं।

मैंने प्रारम्भ में भी उनसे चाहा था और पुनः आग्रह कर रहा हूं कि जो इनवैलिड हैं, अनाहिज हैं, बच्चे हैं, इनके लिए सस्ते गल्ले की दूकानों से रिलीफ कोटा कार्ड्स बनवाने की कृपा करें। अगर उनके लिए कार्ड नहीं बने तो जिनके लिए यह योजना है उनका कल्याण नहीं हो सकेगा।

मैं मन्त्री जी से आग्रह करूंगा कि आज जो जोन का बटवारा उन्होंने रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट के आधार पर कर रखा है, यदि फिर से अन्न के उत्पादन के कौन से क्षेत्र हैं और किस अन्न के हैं, इसके आधार पर बटवारा करें तो अधिक लाभकर होगा।

फेयर प्राइस शाप्स के बारे में उनकी नीति बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। अगर वह क्षणिक होती है तो फिर बाजार पर मूल्य का नियन्त्रण कर पाना उनके लिए सम्भव नहीं होगा। उन को स्थायी बनायें तो अधिक सहायक हो सकेगा।

खाद्यान्न में मिलावट के सम्बन्ध में मैं स्वयं क्या चर्चा करूं? माननीय सदन का प्रत्येक सदस्य जानता है कि आज किसी भी भले आदमी के लिए बाजार से बिना मिलावट के अन्न पाना या खाने की कोई वस्तु पाना कदाचित् सम्भव नहीं है। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे आप का दायित्व पहले की भांति बना रहेगा, इसलिए इस चीज को रोकने का प्रयत्न होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं किया जायगा आप यह नहीं कह सकेंगे कि आपके विभाग ने कोई सफलता प्राप्त की। क्या यह सही नहीं है कि आज भी आप के आदेशों के बावजूद भी, गल्ले की चोरबाजारी, स्मगलिंग जोर पर है तथा साधारण जनता आप के कानून की चक्की में पिस रही है? आपने कारिडोर एरिया में प्रतिबन्ध लगा रखा है, लेकिन क्या वह कामयाब

[श्री रामायणराय]

है या नहीं, यह जानने की कोशिश की आपने ? जो आप रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, उसमें यह भी बतावें कि मिलावट के सम्बन्ध में कितने लोगों को सजा दी गयी। मैं खुद अपने जिले की बात जानता हूं कि आटे की जो स्कीम चल रही है, सोप स्टोन मिलाने की चेष्टा की जाती है यह जन स्वास्थ्य के साथ कितना बुरा काम किया जा रहा है, आपने यह जानने की चेष्टा की ? एक भी आदमी को आपने इस कुकर्म में पकड़ा ? कारिडोर एरिया में, जिसकी चर्चा मैंने आपसे की और आज फिर कर रहा हूं, जब तक वहां के रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को राशन कार्ड नहीं दे देते हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, तब तक आप कैसे उनके ऊपर प्रतिबन्ध लगा सकते हैं ? वहां के रहने वाले अधिकांश लोग मजदूरी भी गल्ले की शक्ल में पाते हैं, आज मजदूरी भी कहीं ले नहीं जा सकते हैं। पुलिस और अन्य अधिकारी उन्हें तंग करते हैं। तो इसके लिए कोई व्यवस्था करें और मैं चाहूंगा कि जब आप जवाब देने लेंगे तो उस भाग की जनता के साथ क्या तरीका होगा, उसके बारे में भी हमें बतायें।

राज्य व्यापार की योजना के सम्बंध में सदन के एक-आध माननीय सदस्यों ने और खास कर जन संघ के सदस्यों ने इस योजना को बुरा बताया, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि यह एक पवित्र योजना है। मैंने प्रारम्भ में ही निवेदन किया था कि कैनेडा, आस्ट्रेलिया में भी यह योजना है, इसलिए कि खाद्यान्न हमारे जीवन की सबसे बड़ी चीज है, इसलिए उन्होंने खाद्यान्न के क्षेत्र में अपनी मोनोपोली कर रखी है। वह योजना भी आज आपकी बदइन्तजामी की वजह से निकम्मी साबित हो रही है। आपको साफ-साफ बताना चाहिए कि वह योजना किस तरह से पूरे खाद्यान्न के क्षेत्र में व्यवस्था करेगी। ढुलमुल यकीनी से अगर आप कोई योजना चलायेंगे तो उसका ऐसा ही बुरा हाल होगा और लोग उसे बुरा समझ बैठेंगे।

अन्त में मैं माननीय सदस्यों से आपके द्वारा आग्रह करूंगा कि मैंने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसके पीछे मेरा एक पवित्र विचार है। मैं आज महसूस कर रहा हूं कि हमारे राज्य में लाखों लोग आपकी इस व्यवस्था से परेशान हो रहे हैं। बाहर की बात जाने दीजिये, क्या सदन के सदस्यों को नहीं मालूम है कि चीनी किस भाव पर उनको खरीदनी पड़ती है ? क्या सदन के सदस्य नहीं जानते हैं कि हाउसिंग प्राब्लम कितना कठिन हो रहा है ? तो मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि जिन पवित्र भावनाओं को लेकर मैंने यह कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है सदन के समक्ष, उनको समर्थन देते हुये मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन आप अवश्य करेंगे।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—अधिष्ठाता महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों को हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस अनुदान पर अपने विचार व्यक्त किये और अपने-अपने दृष्टि-कोण से टिप्पणी भी की। मैं जहां तक सम्भव होगा उनके सुझावों से लाभ उठाने की चेष्टा करूंगा। मुझे इन सब बातों को सुनने के बाद यह कहना है, मैंने बजट के साधारण वाद-विवाद में भी हिस्सा लिया था, आलोचना और समालोचना तो शिरोधार्य है, लेकिन जो कोसने का तरीका है उसे ठीक होना चाहिए। माननीय रामायण राय जी की पवित्र भावनायें मेरे अंतःकरण में, शुद्ध अंतःकरण में, कोसने के अतिरिक्त और कुछ नहीं जंची। मुझे यह कहने के लिए क्षमा किया जाय, मैं विवश हूं यह कहने के लिए। मैं एक बात आपके सम्मुख, सदन के आदरणीय विचारशील सदस्यों के सम्मुख एक किस्सा रखना चाहता हूं। मैंने एक किस्सा पढ़ा था कि इटली के एक कलाकार ने अपने समस्त दिल की भावनाओं को लेकर एक चित्र चित्रित किया। उसमें वह यह चाहता था कि अगर कोई त्रुटि हो तो इटली के निवासी उसे शुद्ध कर दें। उसने इसके लिए अपने चित्र को एक चौराहे पर टांग दिया और लिख दिया कि अगर कोई भाई इसमें कुछ शुद्धि करने की कृपा करेंगे तो मैं उनका बहुत आभारी होऊंगा। अब जितने भी आने जाने वाले व्यक्ति थे उन सबने उस चित्र पर पेन्सिल से कुछ न कुछ चिह्न बनाना शुरू कर दिया। एक गलती उन्होंने यहां बतलायी, एक गलती वहां बतलायी, और इस तरह से तमाम गलतियां उन्होंने पेन्सिल से उस चित्र में बना डालीं और उस सारे चित्र की सूरत ही बदल डाली। उस

चित्रकार ने जब उसे देखा तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि मैंने तो अपनी सारी शक्ति लगाकर इस कला का प्रदर्शन किया मगर इन सब लोगों ने इस तस्वीर की सूरत ही बदल दी। तो उसके एक घनिष्ट मित्र ने उसे कहा कि भाई रोते क्यों हो, क्या बात है। तुम अब दोबारा फिर से नयी तस्वीर बना डालो और फिर यह लिखो कि जहां पर कोई गल्ती हो तो उसे दुरुस्त कर दो। जब दूसरा चित्र बनाया गया तो उसमें किसी ने कुछ छेड़ छाड़ नहीं की। इस तरह उसे बड़ा सन्तोष हुआ कि ऐसी स्थिति में उससे बढ़कर तस्वीर कोई दूसरा बना ही नहीं सकता था। तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि वर्तमान परिस्थिति में जो खाद्य समस्या के बारे में हमने तस्वीर बनायी है वह बिलकुल ठीक है और आप उस पर यदि पूरी कूंची फिरा दें तो उस से कुछ बनता बिगड़ता नहीं। मगर दुरुस्त करने के लिए दी जाय तो आपके लिए असम्भव होगा। श्रीमन्, मैं बताता हूं कि उग्रसेन जी ने भी तो पुस्तक उठाकर अप्रैल के आंकड़ों का मुकाबिला करना शुरू कर दिया। जनवरी, फरवरी, और जाने कहां-कहां के आंकड़ों को पढ़ दिया। लेकिन उन्होंने समकालीन बातों को छोड़ दिया। उसका उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। हमारे अवधेशकुमार सिनहा साहब ने एक घटना का जिक्र कर दिया। अगर अपवाद में ऐसा हुआ हो तो उसको....

डाक्टर अवधेश कुमार सिनहा---श्रीमन्, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। मैंने जो कहा है यदि वह गलत हो तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, नहीं तो यह मन्त्री जी इस्तीफा देंगे। मैं चल कर यह दिखा सकता हूं....

श्री अधिष्ठाता---यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, आप कृपया बैठिये।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---हो सकता है कि कहीं नियम के विरुद्ध कोई अपवाद हुआ हो। मैं आपकी बात को मानता हूं, उसके लिए अगर आप लिख कर देंगे तो मैं उसकी जांच करा लूंगा। किन्तु मैं यह कह रहा था कि यह अपवाद की बात है। जहां तक टीका-टिप्पणी करने का सवाल है आप सब एक हैं (व्यवधान)। आप जरा सुन लीजिये, मैं कह क्या रहा हूं ठीक है, अच्छा है मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं दुबे जी का आभारी हूं कि उनकी उदारता थी कि उन्होंने ठीक बातों को थोड़ी बहुत मात्रा में स्वीकार किया और मैं इसलिए उनका बहुत आभारी हूं। जो कमियां उन्होंने दिखायी हैं उनका देखना हमारा फर्ज है। मगर एक बात बताऊं। हमारे ऊदल साहब बड़े जोरों से कह रहे थे कि तुमने स्टेट ट्रेडिंग खत्म कर दिया और झारखंडेराय जी भी यही कह रहे थे। दुबे जी कह रहे हैं कि अगर तुमने स्टेट ट्रेडिंग की तो दुनिया का सत्यानाश हो जायगा और इधर ऊदल जो कहते हैं कि स्टेट ट्रेडिंग नहीं करोगे तो दुनिया खत्म हो जायेगी। रामायणरायजी भी यही कहते हैं।

श्री प्रताप सिंह---आप अपनी पालिसी बताइये।

श्री जगमोहन सिंह नेगी---उसके बारे में कई बार मैं कह चुका हूं और अभी परसों भी कहा है। लेकिन फिर भी अपनी ही बातों को दोहराये जाना अच्छा नहीं जचता कि जबरदस्ती अपनी बात को कहा जाय। स्टेट ट्रेडिंग के बारे में साधारण वादविवाद में साफ कह दिया था कि अगर गवर्नमेंट न भी चाहे तो भी वह चलेगी ही। उसके दो कारण तो मैंने बताये थे। उसकी एक वजह यह भी है कि जब हम कोआपरेटिव्ज बना रहे हैं समाजवादी व्यवस्था की स्थापना सरकार का ध्येय है तो निश्चित बात है कि मार्केटिंग कोआपरेटिव्ज के जरिये से गल्ले की वसूली होगी और उन्हीं ऐपेक्स मार्केटिंग सोसाइटीज के द्वारा वितरित होंगी और बीच का मध्यवर्ती समाप्त हो जायेगा। तो निश्चित बात है कि स्टेट ट्रेडिंग होगी, कोई उसको रोक नहीं सकता।

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

ऊदल जी ने यह भी कहा कि कहीं राशन की दूकान आज आपने खोल दी और उसको कल बन्द कर दिया, क्योंकि गल्ला बहुत पैदा हो गया। मैं यहां टीकाराम जी पुजारी से सहमत हूं कि अगर गल्ला इतना सस्ता पैदा हो गया तो उसके लिए भी दुकान चाहिए। तो सरकार उसको करेगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि स्टेट ट्रेडिंग की जरूरत है। ऊदल जी ने अभी कहा था कि पहले तो आप तेजी से चले लेकिन अब ढीले पड़ गये। अगर मैं आपसे यह कहूं कि कम्युनिज्म का प्रचार करते-करते लेनिन मर गये, पचासों मर गये और आज तक कम्युनिज्म नहीं आया तो क्या कहा जायगा कि उनके साथ ही कम्युनिज्म की टांग भी टूट गयी? क्या यह मुनासिब बात होगी? सोवियत रशा में सोशलिस्ट स्टेट है तो क्या कहा जायगा कि कम्युनिज्म की टांग टूट गयी? तो वह सही नहीं है। वह चल रहा है, धीरे-धीरे चल रहा है।

श्री प्रतापसिंह---क्या सेन्टर की तरह आप भी फूड बैंक स्थापित करेंगे?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---अब जहां तक प्राइस सपोर्ट की बात है, उस पर मैं कह रहा हूं कि उसको करना हमारा फर्ज होता है। एक तरफ से यह शिकायत है कि कीमत गिरी कहां। वह आंकड़े भी दिखाते हैं। मेरे दूसरे दोस्त यहां कह रहे थे कि और चीजों की कीमत नहीं गिरायी, इसी की कीमत गिरा दी, काश्तकारों को मिटवा दिया। दुबे जी की बात पर मैं सहमत नहीं हो पा रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि पिछले साल से होर्डर्स के पास अनाज इकट्ठा हुआ था नहीं। उन्होंने रिजर्व बैंक का कोटेशन दिखा दिया। मैं कहना चाहता हूं कि होर्डिंग नहीं हो पायी। हम बराबर इस बात को देखते हैं कि ट्रेडर्स अधिक रखते ही नहीं। पचास मन से ज्यादा रखते ही नहीं। अगर आया भी तो तुरन्त निकाल देते हैं। इसके बाद भी अगर कहा जाय कि कहीं पर किसी तरह से होर्डिंग हुई है तो अगर वह मालूम हो तो उसको हम फौरन जब्त कर लें या जो उचित कार्यवाही हो, वह करेंगे। मगर अभी तक कहीं ऐसी बात मिली नहीं कि होर्डिंग हुई हो।

साथ ही साथ यह भी कहा गया कि अराइवल्स नहीं हो रहे हैं। तो होर्डिंग हो कैसे? जब बाजार में अराइवल्स हों तभी तो वह हो। और अराइवल्स के लिये आप कहते हैं कि निल है, गत वर्ष के मुकाबिले में बहुत कम है तो फिर कहां से होर्डिंग होगी? मेरे मित्र रामायणराय जी शुरू में कह रहे थे कि अराइवल्स अप्रैल, मई, जून में कम हुये मगर उसका समय अब आ रहा है तो इसके माने क्या हुये? मैं इस बात को कहता हूं कि अगर अराइवल्स कम हुये तो उसका मुझे कोई पश्चाताप नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है क्योंकि गल्ला काश्तकार के पास रहा। मैं इसका ज्वलन्त उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे एक माननीय सदस्य इस समय यहां पर नहीं हैं, वह भी एक काश्तकार हैं और इस समय खेती करते हैं। वह यह कह रहे थे कि उन्होंने इस साल तमाम गेहूं नहीं निकाला और वह इसलिए नहीं निकाला कि मध्यवर्ती ने तो गत वर्ष १३ रु० में खरीदा और जब बाजार भाव ३० पये का हो गया तब उसे १६-१७ रु० फी मन के फायदे पर बेच दिया, इसलिए वह फायदा जो मध्यवर्ती खा जाता है वह हम स्वयं क्यों न लें। इसलिए उन्होंने गेहूं नहीं निकाला। एक साहब ने कहा कि आपने दुकानें तो बढ़ा दीं लेकिन आफटेक जो था वह घट गया। उनका कहना था कि हमने गल्ला कितना दिया। इसमें सोचने की बात है कि गल्ला घटा यों क्योंकि वह किसान के पास पहले से ही मौजूद था, उसने निकाला ही नहीं। अगर गल्ला उसके पास रहे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं जानता हूं कि कोई भी बात जो दिमाग में बसने वाली होगी उसको उधर के लोग मानेंगे ही नहीं। अब मैं यह तो जानता नहीं कि उनके दिमाग है या नहीं, यह तो आप लोग ही जानें। लेकिन मैं यह तो जरूर कहूंगा कि हमने इस बात की पूरी चेष्टा की कि सभी को गल्ला उचित मूल्य पर मिले। जहां तक और बातों का सवाल है, मैं स्वीकार करता हूं कि कहीं वितरण में कोई खराबी हो गई हो या कहीं गल्ला खराब हो गया हो। वितरण के सम्बन्ध में दुबे जी ने दो बातें कहीं, औरों ने भी वही बातें कहीं कि मैं व्यक्तिगत आदमियों को गिना सकता हूं जहां पर फेवरिटिज्म

हुआ। सही बात है, हुई होगी। मगर साथ ही उन्होंने कहा कि कोआपरेटिव के ५२ में से २६ खत्म होगये। वह भी ठीक नहीं है। कोआपरेटिव में भी वह दोष बताते हैं और स्टेट ट्रेडिंग में भी । मेरी निजी राय यह है कि दुनिया में सबकी शिकायत है और दुनिया में किसी की भी शिकायत नहीं है। कम से कम ऐसा इस जमाने में मैं देख रहा हूं। मार्केटिंग इंसपेक्टर्स की बड़ी शिकायत की गई है। अगर हम किसी मार्केटिंग इंसपेक्टर को अलग करते हैं--तो मैं कम्बख्त कहूं या खुशकिस्मत कहूं--लोग हमारे पास आकर कहते हैं कि साहेब, इसने तो बड़ी जनसेवा की है, इसे क्यों अलग किया। अगर हम किसी की एक जगह से दूसरी जगह की बदली करते हैं तो लोग आकर कहते हैं कि इतनी थोड़ी तनख्वाह वाले के लिये आपके दिल में जगह नहीं है और अगर बदली नहीं करते हैं तो लोग कहते हैं कि १२ वर्ष से यह इंसपेक्टर हमारी खोपड़ी पर चढ़ा बैठा है। मैं उग्रसेन जी और रामायणराय जी के लिये नहीं कह रहा हूं, मगर और हमारे भाई हैं। आज जरा सी लेवी करते हैं तो शोर मचाया जाता है और जब पूरी स्टेट ट्रेडिंग होगी तो क्या होगा ? अगर थोड़ा-सा बफ़र स्टाक हम बनाना चाहते हैं तो इसके लिये भी एतराज होता है। उसमें किसान भी मारा जाता है, रामायणराय जी भी परेशान हो जाते हैं। क्या वह चाहते हैं कि हम यह भी न करें ? एक ही सीढ़ी हम चल रहे हैं तो आपत्ति होती है और अगर हम ६ सीढ़ी एक साथ चलेंगे तो क्या होगा ? अगर मेरे दोस्त ठंढे दिल से सोचेंगे तो उनकी बातों का उत्तर उन्हें स्वयं मिल जावेगा। मैं कई सालों से देख रहा हूं कि एक पार्टी के सदस्य जो कुछ कहते हैं दूसरी पार्टी के लोग उसे काट देते हैं। मदन पांडेय जी कह रहे थे कि बस्ती, गोरखपुर और देवरिया को मिला दो। क्या देवरिया वाले इसके लिये तैयार होंगे ?

कुछ सदस्य--तैयार हैं, तैयार हैं।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--इस बात को सोच लें कि उनके सिर पर लेवी लग जायगी तब भी क्या तैयार हैं?

कुछ सदस्य--तैयार हैं।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--हमने इस बारे में शिब्बनलाल जी सक्सेना और चार-पांच दूसरे साथियों से पूछा था। उन्होंने इंकार किया था। अगर आप कहते हैं तो मैं अवश्य मिला दूंगा। मगर यदि मैं प्रोक्योरमेंट और लेवी नहीं करूंगा तो दूकानें कहां से चलाऊंगा ? जरा यह सोचा आपने कि देंगे क्या ? या खाली दूकान खोल दें अगर ऐसी बात आप चाहते हैं तो एक हजार दूकान मैंने खोल दीं और जितनी आप चाहें उतनी खोल देता हूं। लेकिन बगैर प्रोक्योरमेंट के उसमें माल आना मुश्किल है। आपका देवरिया जिला डेफिसिट है जिसे हमने लेवी के अन्तर्गत नहीं रखा है। उसको हमने इसीलिये छोड़ रखा है कि वहां के लोग परेशान होंगे क्योंकि वे तो खुद दूसरी जगह से अनाज मंगाते हैं। लेकिन गोरखपुर वाले चाहते हैं कि उनकी दुम कट गयी है, इसलिये देवरिया वाले भी अपनी कटा लें। मुझे उम्मीद है कि देवरिया वाले गोरखपुर वालों के जाल में नहीं फंसेंगे। अगर वहां वाले तैयार हों तो मै उनको गोरखपुर वालों के साथ कर दूंगा। माननीय मदन पांडेय जी ने कहा है कि गोरखपुर वालों के लिये नैपाल से चावल आता था, तो मैं पूछता हूं कि आज आपकी क्या परेशानी है। जितना भी चावल आप नैपाल से लाकर खाना चाहें, ला सकते हैं; इस पर कोई रोक नहीं है। हां, धान पर रोक है जिसे आप बाहर ले जाना चाहते हैं। दूसरी बात जो उन्होंने डिक्शनरी की उठायी कि ट्रिब्यूटरी के लोगल माने क्या हैं, तो मैं इतना बतला दूं कि इस बारे में जानकारी कर ली है, ट्रिब्यूटरी जो है वह मेन रिवर में गिरा करती है। आपकी डिक्शनरी और इसमें काफी फर्क है। जहां तक देवरिया जिले को दूसरे जिलों के साथ रखने की बात है, मैंने वहां के श्री शिवप्रसाद जी, श्री भारती जी, श्री तिवारी जी, श्री पांडेय जी, एम० एल० सी०, आदि से बातें कीं

[श्री जगमोहन सिंह नेगी]

और उन्होंने हमको बतलाया कि उनको ये-ये कठिनाइयां हैं। अगर आप नेपाल से कोई चीज लाना चाहते हैं तो आप नारायणी के किनारे-किनारे ला सकते हैं, उसके लिये हमने रास्ता खोल दिया है और यह मुनासिब चीज है। जहां तक जिन पर मुकदमे चल रहे हैं उनको छोड़ने की बात है, समय आने पर उनको भी छोड़ दिया जायगा। लेकिन अगर सबको हम छोड़ ही दें तो बाद में आप ही कहेंगे कि आपने जिनको पकड़ा उनको छोड़ दिया और आप पूंजीपतियों का साथ दे रहे हैं। मैं नाम नहीं लेता लेकिन आगरा के एक बड़े भारी कैपिटलिस्ट व्यापारी का जिसने प्राइस, कंट्रोल आर्डर का उल्लंघन किया हमने प्रासीक्यूशन कराया बाद में उधर के ही एक माननीय सदस्य मेरे पास आये और मुझसे कहा कि इनको छोड़ दीजिये। मैंने कहा कि कल आप ही कहेंगे कि हम पूंजीपतियों के साथ हैं, जबकि असल में देखा जाय कि कौन उनका साथी है तो वे आप ही होंगे।

एक सदस्य---आप नाम लीजिये।

श्री जगमोहन सिंह नेगी---मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, यह तो अपने दिल में ही समझने की बात है। मैंने इतना बतला दिया कि वह एक बड़े ट्रेडर हैं। गोरखपुर के मिल वालों के लिये भी आप यहां पर रोज कहते हैं कि वहां चावल मिल वाले परेशान हैं, उनकी मदद कीजिये।

मैं तो यह चाहता हूं कि जो तस्वीर हमने बनायी है उसकी सही प्रशंसा करें। अतिशयोक्ति करने से या जरूरत से ज्यादा तारीफ करने के माने तो हमारा मजाक बनाना होगा, जिसे मैं कैसे पसन्द कर सकता हूं ?

दर्जा अव्वल से एक दम बी० ए० कर सकते हैं, यह मैंने नई बात सुनी। और कोई कुछ आहिस्ता-आहिस्ता पढ़ेगा दर्जे-दर्जे या एक दम बी० ए० पास कर लेगा ? स्टेट ट्रेडिंग का रास्ता पकड़ा है, उस पर चल रहे हैं,। हमने तो आपके पूर्वी जिलों के लिये जान लड़ा दी और आपको मजा ही नहीं आया। तमाम भाट एरिया और कोराइडर एरिया में सब कुछ इंतजाम किया श्री गेंदासिंह को जीप पर बिठाकर जिलाधीश ले गये और जिलाधीश ने कहा कि गल्ला इतना है कि कोई लेता ही नहीं। २५ मन से क्वान्टिटी भी ४० मन कर दी। फिर कहा जाता है कि साहब सड़ा गल्ला दिया जाता है। मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात को जानकर कि जहां पहले पूर्वी जिलों में हर साल दस बीस भूख से मर जाते थे, वहां कोई भूखा नहीं है। उग्रसेन जी को ज्यादा मौका नहीं मिला तो कह गये कि गाजीपुर में एक मर गया। मैं स्वीकार करता हूं कि एक मर गया होगा। (एक आवाज---भुखमरी का मजाक वह उड़ा रहे हैं) लेकिन भूख से कोई नहीं मरा, यह सही हो सकता है कि कभी खराब अनाज हुआ हो। मुझे इतनी खुशी जरूर है कि पहले पूर्व की शिकायत रहती थी कि अन्न नहीं पहुंचता पर अब यह शिकायत हो रही, अब तो यही कहना है कि खराब है जैसा कि उधर से कहा गया। इसके माने हैं कि वहां की गल्ले की हालत सुधर गई है, कहते हैं कि बस माल खराब है, बहुत बढ़िया नहीं है लेकिन कम से कम वह भरा तो है, जब भूख रहती है तो परवाह नहीं रहती कि सब्जी कैसी है और जब पेट भरा रहता है तो ५० नखरे करते हैं, यह खराब है, वह खराब है। अब पूर्व के लोगों ने नखरेबाजी सीख ली है, इसके माने है कि अब उनका पेट भरा है।

श्री अधिष्ठाता---आप अभी कितना समय लेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---पांच मिनट में खत्म कर दूंगा....

श्री अधिष्ठाता---जब श्री उग्रसेन जो बैठे हैं तो ५ मिनट से ज्यादा भी लग सकते हैं। मैं चाहता हूं कि समय के अन्दर हो जाय।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---मैं कह रहा था कि श्री रामायणराय जी ने कहा कि इस बात का खयाल रखा जाय कि किस जिले में क्या अन्न अधिक खाया जाता है और उसी हिसाब से भेजा जाय। हम इसका बराबर खयाल रखते हैं, पूर्व के लोग चावल ज्यादा खाते हैं इसलिये हम वहां के लिये ५० प्रतिशत चावल और ५० प्रतिशत कोर्स ग्रेन भेजते हैं, कुल ४० मन में से २० मन चावल और और २० मन मोटा अनाज भेजा जाता है। इतना चावल जाता है लेकिन फिर भी सन्तोष नहीं है। आप हाउस में रोज कहते हैं कि हम सीरा पीकर रहते हैं। तो सीरा ही भेंजे क्या? मेरी समझ में तो यह बात नहीं आई। पूर्वी जिलों के लोग चावल ज्यादा खाते हैं, वह उन्हें दिया। हमने बहुत विचारपूर्वक ये सब बातें की हैं।

कोआपरेटिव को हमने पहला प्रिफरेंस दे रखा है। दुबे जी ने कहा कि २६ कट गईं ५२ में से। अभी गोंडा के एक साहब मेरे पास आये थे। कहा कि हमारे यहां अगले महीने की शुगर का कोटा न दिलवायें, पिछला ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि बिक्री नहीं है। मैंने पता लगाया तो मालूम हुआ कि उनके पास फंड ही नहीं है कि ले सकें। तो स्टैंडबाई की नीति मेरी है।

मैं पौड़ी गया था। कोटद्वार वालों का सब जगह का लायसेंस कर रखा था। मैंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से कहा कि कर्ण प्रयाग, रुद्रप्रयाग जितनी जगहें हैं सब में लायसेंस दिया जाय, क्यों एक जगह कर रखा है। मेरा खयाल है कि उसके मुताबिक हो गया है।

उग्रसेन जी ने तो मुझे फेमिन मिनिस्टर कह दिया। अगर खाना बेकर फेमिन होता है तो यह उनकी डिक्शनरी में होगा। पेट भर कर खायें तो फेमिन और खाली पेट हों तो ठीक....

श्री उग्रसेन---व्यवस्था का प्रश्न। श्रीमन्, जबकि मंत्री सारे प्रदेश के मंत्री हैं तो वह किसी क्षेत्र की गरीबी का मजाक उड़ा सकते हैं जैसे माननीय मंत्री जी पूर्वी जिलों का उड़ा रहे हैं?

श्री अधिष्ठाता---वह मजाक नहीं उड़ा रहे हैं।

श्री जगमोहन सिंह नेगी---मैं चाहता था कि इसमें बड़ी गंभीरता से बहस होती। लेकिन वह नहीं हुई। इसीलिये मैं यह बात कह रहा हूं।

जहां तक स्केयरसिटी डिपार्टमेंट का संबंध है, वह इस काम को करता है कि किसमें रिलीफ दी जाय, किसमें नहीं। पूर्वी जिलों में सारा रिलीफ है। सब्सीडाइज किया जाता है। फ्री हमारे यहां नहीं है। जहां तक कि दूरस्थ स्थानों की बात है, भटवारी, हरसील और भी कई जगहें हैं जिनके बारे में प्रश्न आया। अब भी कुछ स्थान है जैसे नीतिमाना का है। यह सारी विचार करने की बातें हैं और विचार होगा।

लालबत्ती हो गई है, इसलिये एक चीज और कह दूं। सत्याश्रम की बड़ी चर्चा हुई। खाने की समस्या से तो उसका कोई संबंध नहीं है। हमको उपदेश देते हैं। गंभीरता से बोलें और हम पर आरोप करते हैं उसके एलाटमेंट का कि मंत्री जी का हाथ है। मैं अभी तक नहीं जानता कि कौन मकान मालिक है। लेकिन उन्होंने कहा। तो यह गंभीरता थी? मैं बताऊं अध्यक्ष महोदय ने सचमुच सही बात कही कि मुझे जितना नहीं बताना चाहिये था उससे ज्यादा बता दिया। मुझे मालूम हुआ कि श्री मैकू लाल उस मकान में रहते थे वह वहां से चले गये और उसके साथी जो सब-टेनेंट थे श्री हंस राज वह उसमें रहते थे। तो रेंट कन्ट्रोलर ने कहा कि श्री हंसराज ट्रेसपासर हैं और उस मामले को उसने ऐडवाइजरी कमेटी को दे दिया। अक्षय ब्रह्मचारी कमिश्नर के यहां चला गया और कमिश्नर ने कहा कि रेंट कंट्रोलर इस केस को फिर देखें। हंस राज ने उसके खिलाफ सरकार में अपील कर दी कि जो कमिश्नर ने रीडायरेक्ट किया है, रिमान्ड किया है, वह नहीं होना चाहिये और मकान पर उसका हक है। हमने लिख दिया

[श्री जगमोहन सिंह ने गी]

तुम्हारी कहीं कोई पोजीशन हमारे सामने नहीं है इसलिये हमने उसे रिजेक्ट कर दिया। हमारे यहां से तो खत्म हो गया। अब मैं नहीं जानता इसके अलावा। कुछ दिन बाद सारे मुहल्ले वालों ने मुझे घेर लिया। मैंने पूछा किस्सा क्या है, तो उन्होंने वह किस्सा बताया। उन्होंने कहा कि ब्रह्मचारी से परेशान हैं, क्यों परेशान हैं यह मैं नहीं कहना चाहता। मैंने कहा कि मेरे यहां कोई बात नहीं है। मैंने उनसे कहा कि हम हंसराज को पहचानते नहीं आप जिलाधीश के पास जायं एलाटमेंट का काम उन्हीं का है। वह लोग जिलाधीश के यहां गये। मैंने जिलाधीश से पूछा कि किस्सा क्या है? उन्होंने कहा हमने एलाटमेंट अक्षय ब्रह्मचारी को किया है लेकिन सारे मोहल्ले वाले उससे परेशान हैं और वह लोग कहते हैं कि यहां बलवा हो जायगा। तो मैंने पूछा तुमने क्या किया। उन्होंने कहा कि हम एस० डी० एम० से इसकी जांच करवा रहे हैं। तो मैंने कहा कि जांच की सूचना हमें भी दे दें। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं मालूम।

जहां तक प्रायोरिटी का सवाल है, किसी पत्रकार भाई का जिक्र आया, तो मेरी तो कोशिश रहती है कि अगर किसी को प्रायोरिटी मिली है तो उसको मकान पहले मिलना चाहिये।

इन शब्दों के साथ, मैं सबको धन्यवाद देता हूं और माननीय उग्रसेन जी मुझे क्षमा करेंगे अगर उन्होंने मेरी किसी बात को यह समझा हो कि मजाक में कोई बात की है, तो ऐसी बात नहीं है। वह तो केवल आपके और हमारे बीच की बात थी, आशा है आप मुझे क्षमा करेंगे और मैं आशा करता हूं माननीय रामायण राय जी अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लेंगे और जो मांगे मैंने सदन के सामने रखी हैं उन्हें सदन सर्वसम्मति से स्वीकार करेगा।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा---मैं एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं....

श्री अधिष्ठाता---स्पष्टीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कृपया बैठें।

मैं सदन का समय १५ मिनट के लिये बढ़ाये देता हूं। अब मैं पहले श्री रामायण राय जी के कटौती के प्रस्ताव को लेता हूं।

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ३३---खाद्य और रसद संगठन---लेखा शीर्षक ४७, के अधीन मांग की धनराशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ---

पक्ष में---३५,

विपक्ष में---१५१।)

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३३---खाद्य और रसद संगठन---लेखा शीर्षक ४७---प्रकीर्ण विभाग के अन्तर्गत ६३,६३,१०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उग्रसेन---ये जो हम लोगों ने प्रस्ताव दिये हैं उन पर वोटिंग नहीं होगी क्या?

श्री अधिष्ठाता---जी नहीं।

श्री उग्रसेन---स्वीकृति तो मानी जायगी?

श्री अधिष्ठाता---पहले तय हो गया था कि रामायणराय जी की रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में उनके प्रस्ताव को पेश किया जा रहा है और उसी पर वोटिंग की जा रही है। सब पर नहीं की जायगी।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५४--राज्य व्यापार की योजनायें--लेखा शीर्षक ८५-क, के अधीन मांग की धनराशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री मदन पांडेय--मैं एक व्यवस्था चाहता हूं। जहां तक मुझे याद है, मैं इस सदन में आज हर समय रहा हूं। कटौती के सम्बन्ध में कोई निर्णय इस सदन के सामने नहीं हुआ। क्या यह बिना किसी निर्णय के ही मान लिया जा सकता है कि वे पेश हो चुके हैं?

श्री उग्रसेन--यह परम्परा रही है कि माननीय अध्यक्ष सब कटौतियों को पढ़ देते हैं और उनको पेश मान लिया जाता है और रिप्रेजेंटेटिव एक पेश कर देता है।

श्री अधिष्ठाता--मैं कल से देख रहा हूं कि यह प्रथा हो रही है कि एक माननीय सदस्य सभी माननीय सदस्यों की तरफ से कटौती का प्रस्ताव पेश कर देते हैं और उन्हीं के प्रस्ताव पर वोटिंग होती है। मैं वही प्रथा फालो कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५४--राज्य व्यापार की योजनायें--लेखा शीर्षक ८५-क--राज्य व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत (Capital Outlay) के अन्तर्गत २६,७८,१३,२०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६०–६१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर २ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
२३ फरवरी, १९६०।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७३३ पर)

कानपुर की टेक्सटाइल मिलों के विरुद्ध बकाया बिक्री कर की धनराशि का ब्यौरा

क्रम-संख्या	मिल का नाम	साल	बकाया धनराशि	स्थगित धनराशि	धनराशि की वसूली को स्थगित करने वाली सत्ता का नाम	अन्य विवरण
			रु० न०पै०	रु० न० पै०		
१	सर्वश्री ग्रथर्टन वेस्ट एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कानपुर	१९५४–५५*	६,६३१.०६	..	..	वसूली हो रही है।
२	सर्वश्री जे० के० काटन मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी, कानपुर ।	१९५४–५५	४०,०६५.७२	४०,०६५.७२	उच्च न्यायालय इलाहाबाद।	..
३	सर्वश्री जे० के० काटन स्पिनिंग ऐण्ड वीविंग मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कानपुर ।	१९५७–५८	३,२१,६०७.६१	३,२१,६०७.६१	उच्च न्यायालय इलाहाबाद।	..
४	सर्वश्री कानपुर टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, कानपुर ।	१९५४–५५	२४,५१७.३१	२४,५१७.३१	..	मामला जज (अपील) सेल्सटैक्स कानपुर के समक्ष विचाराधीन है।
५	सर्वश्री एलगिन मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कानपुर	१९५७–५८	३,३७,५००.००	३,३७,५००.००	उच्च न्यायालय इलाहाबाद।	..
६	सर्वश्री न्यू विक्टोरिया मिल्स, कानपुर ..	१९५७–५८	४,८१,६२०.६४	४,८१,६२०.६४	उच्च न्यायालय इलाहाबाद।	..
७	सर्वश्री म्योर मिल्स लिमिटेड, कानपुर ..	१९५०–५१	२,८३९.००	..	..	वसूली के उपाय किये जा रहे हैं।
		१९५३–५४	२,३७,७१२.८९	..	..	
		१९५६–५७	५,३१,९६१.८७	..	..	
		१९५७–५८ (अस्थायी)	२,१९,२२१.४७	..	..	

* शुद्ध १९५४–५५ है।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७४५ पर)

खसरा नम्बर	नाम काश्तकार	मुआवजे की धनराशि रु०	आ
१७४	सर्वश्री अब्दुल्ला खां व अब्दुल्ला हकीम खां	७	२
२१५	श्री अब्दुल्ला खां	१	४
२२१	श्री अब्दुल्ला खां		
२२३	श्री चिन्ता पासी	१	१४
२२९	श्री बुलाकी ..	२	१२
२३०	श्री अब्दुल्ला खां	२	०
२३१	श्री अब्दुल्ला खां		

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७४६ पर)

		महसूल फी एकड़ डाल (Flow) रु०	तोड़ (Lift) रु० न० पै०
१	गन्ना (बुवारी तथा पेड़ी)	३२	१६
२	धान तरकारी (बाग सिंघाड़ा पोस्ता)	१४	७
३	चारे की फसलें	३	१.५०
४	हरी खाद	२	१
५	अन्य खरीफ की फसलें	७	३.५०
	रबी		
१	गेहूं, जौ तथा गेहूं जौ सम्मिलित	१२	६
२	अन्य रबी	९	४.५०

उपर्युक्त रेट में तीन आने फी रुपया छूट दी जा रही है।

सत्यमेव जयते

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७४७ पर)

आजमगढ़ तथा बलिया के शहर और देहाती क्षेत्रों में तथा गाजीपुर के देहाती क्षेत्रों में बिजली का वितरण विद्युत् परिषद् द्वारा होता है,। बिजली की दर इन क्षेत्रों में इस प्रकार है :

(१) रोशनी तथा पंखा . . ७ आने, कम १ आना रिबेट प्रति यूनिट।
(२) घरेलू उद्योग धंधे . . ४ आने ६ पाई, कम ६ पा० बिट प्रति यूनिट।
(३) उद्योगों के लिये . . ३ आने ३ पाई, कम ३ पा० रिबेट प्रति यूनिट।

गाजीपुर शहर में बिजली का वितरण सर्वश्री ईस्टर्न यू० पी० इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी द्वारा होता है और वहां बिजली की दरें इस प्रकार हैं :

(१) रोशनी तथा पंखा . . ५६ नये पैसे, कम ६ नये पैसे रिबेट प्रति यूनिट।
(२) घरेलू उद्योग धंधे . . ४० नये पैसे, कम ६ नये पैसे रिबेट प्रति यूनिट।
(३) उद्योगों के लिये . . २५ नये पैसे प्रति यूनिट, रिबेट नहीं दी जाती है।

संसद भवन

पी० एस० यू० पी० ए० यी०—६ एल० ए०—१९६०—८४५।